खण्ड-130, अंक-5
गुरूवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(25 फरवरी, 1954 ई0)

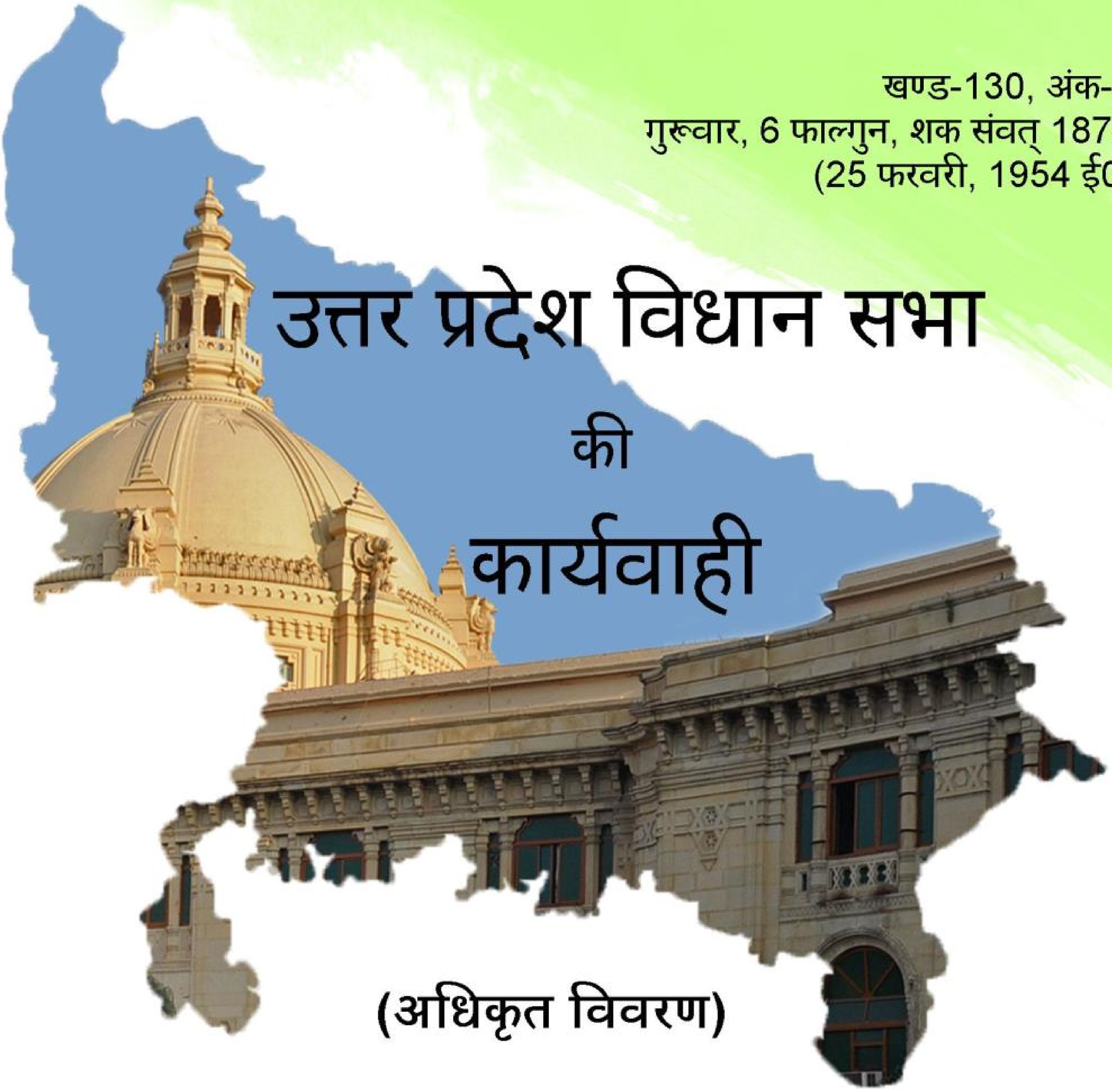

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 130 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २५ फरवरी, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४७)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरुप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाँडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदय भान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कमताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाँडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाँडेय, श्री
केशव राम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाँडेय, श्री
गुरुप्रसाद, सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फज़लुलहक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीत्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बिश्राम राय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री

यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामभूति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री

रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप , श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाँडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहाँ मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुज राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाँडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

---

*१—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[२५ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में परगना हाकिमों का स्थानान्तरण

*२—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कितने ऐसे परगना हाकिम हैं जो तीन साल से अधिक समय से हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—कोई नहीं।

*३—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च, १९५२ ई० से १ अप्रैल, १९५३ ई० तक कितने परगना हाकिमों का तबादिला कितने दिनों बाद अन्य जिलों को हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह—इस अर्से में नीचे दिए हुए परगना हाकिमों का तबादला हुआ :—

(१) श्री लक्ष्मण प्रसाद २ वर्ष १० माह २ दिन बाद तारीख ११-८-५२ को बस्ती स्थानान्तरित किये गये।

(२) श्री श्याम बिहारी लाल २ वर्ष ११ मास ५ दिन बाद १५-९-५२ को बस्ती स्थानान्तरित किये गये।

(३) श्री आर० टी० आई० मोहन १ वर्ष २५ दिन बाद तारीख १३-१०-५२ को फर्रुखाबाद स्थानान्तरित किये गये।

(४) श्री सुरेन्द्रनाथ सागर ५ माह १३ दिन बाद तारीख २७-३-५३ को फैजाबाद स्थानान्तरित किये गए।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अवधि के अन्दर परगना हाकिमों के तब्दील कर देने पर सरकारी कार्य में बाधा नहीं प्रतीत होती ?

श्री हुकुम सिंह—जी नहीं, ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर ही तो किया गया था।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन परगना हाकिमों की तब्दीली अवधि के अन्दर जल्दी-जल्दी किया गया है उसका क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह—ऐसा करना जरूरी था।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि हाकिम परगनों का ट्रान्सफर अनिवार्य है कि तीन वर्ष के अन्दर कर दिया जाय ?

श्री हुकुम सिंह—कोई वक्त मुकर्रर नहीं है लेकिन आर्डिनरिली तीन वर्ष के बाद होता है ।

बनारस फारेस्ट डिवीजन में पत्थर के निकास करने पर रायलटी की दर

*४—श्री रामलखन (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकिया तहसील, जिला बनारस की पहाड़ियों से पत्थर की पट्टियां लेने पर सरकार चकिया के निवासियों से किस दर से रायलटी लेती है और बनारस की अन्य तहसीलों में उसी पत्थर पर रायलटी किस दर पर वसूल करती है ? क्या रायलटी की दरें अलग-अलग हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—बनारस फारेस्ट डिवीजन में पत्थर के निकास करने की रायलटी की प्रचलित दर निम्नलिखित है :—

विवरण किस्म पत्थर	रायलटी की दर	
	स्थानीय अथवा काशी राज निवासियों के लिये अर्थात् मौजूदा तहसील चकिया निवासियों के लिए	बाहर के निवासियों के लिये
१	२	३
१—पटिया या अन्य एक फुट से अधिक लम्बाई के पत्थर	दो आना प्रति घन फुट	चार आना प्रति घनफुट
२—छोंका जिसकी नपत (लम्बाई, चौड़ाई व मोटाई) एक फुट से अधिक न हो ।	तीन रुपया प्रतिशत घनफुट	छः रुपया प्रतिशत घनफुट
३—गिट्टी जिसकी नपत (लम्बाई, चौड़ाई व मोटाई) दो इंच से अधिक न हो ।	चार आना प्रतिशत घनफुट	आठ आना प्रतिशत घनफुट

उपरोक्त रायलटी की दर विलीन काशीराज वन विभाग में प्रचलित थी और वही अब तक लागू है । बनारस की और किसी तहसील में पत्थर नहीं निकाला जाता ।

*५—श्री रामलखन (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर की पहाड़ियों से पत्थर लेने में रायलटी १ रु० ८ आना के हिसाब से ली जाती है परन्तु उसी पत्थर की पटिया को चकिया जिला बनारस की पहाड़ियों से लेने में रायलटी ६ रु० देनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—जिला मिर्जापुर की पहाड़ियों से भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्थर लेने में रायलटी 'स्टोन महाल रूल्स' (Stone Mahal Rules) के अनुसार ली जाती है । ये रूल्स बनारस में लागू नहीं हैं ।

*६–८—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[११ मार्च, १९५४ के के लिये स्थगित किये गये ।]

*९–१०—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[२५ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।

*११–१३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—[२४ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१४–१५—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—[९ मार्च, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८–९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१६–१७—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[२५ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली पर किसानों का बक़ाया रुपया

*१८—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली पर गन्ने की कीमत का कितना रुपया किसानों का बाकी है ?

श्री हुकुम सिंह—१५ जनवरी, १९५४ को एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली पर किसानों की गन्ने की कीमत का कुल ८,९३,३५३ रुपया १० आना ९ पाई बाकी था ।

*१९—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त फैक्टरी ने कब से बरेली व शाहजहांपुर केन कोआपरेटिव सोसाइटीज का कमीशन का रुपया नहीं दिया है और ऐसी रकम पृथक-पृथक कितनी हैं ?

श्री हुकुम सिंह—उक्त फैक्टरी ने शाहजहांपुर केन सोसाइटी को कमीशन के बकाया में कई महीनों से कुछभी नहीं दिया है परन्तु बरेली सोसाइटी के कमीशन का बीच-बीच में कुछ भुगतान हुआ है । १५ जनवरी, १९५३ को कमीशन की बकाया रकम जो कि बरेली फैक्टरी को उक्त गन्ना समितियों को देना शेष रहा वह निम्न प्रकार है :—

		रु०	आ०	पा०
बरेली सोसाइटी	१९५२–५४	४२,८२२	६	०
शाहजहांपुर	१९४९–५४	११९,२९०	११	६

*२०—श्री भगवान सहाय—क्या यह सही है कि शाहजहांपुर केन कोआपरेटिव सोसायटी के काश्तकारों ने सरकार के पास पिछले दो वर्ष से कई प्रार्थना–पत्र भेजे कि उनका गन्ना बरेली फैक्टरी को न दिलाया जाय ?

श्री हुकुम सिंह—जी नहीं ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली शुगर फैक्टरी के ऊपर सोसायटीज के कमीशन का रुपया पिछले चार साल तक क्यों बाकी रखा गया ?

श्री हुकुम सिंह—शायद उनको कुछ माली दिक्कत थी ।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया जो बाकी है इसका सूद सोसाइटीज को दिलाने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह---सोसाइटीज ने दावा दायर किया था तो उनके दरमियान में मसालेहत हुई और उसकी बिना पर डिग्री हुई।

श्री भगवान सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह बात सही है कि सोसाइटी की जो डिग्री हुयी है वह रुपया अब भी वसूल नहीं हुआ है?

श्री हुकुम सिंह---सम्भवतः बाकी है जब माननीय सदस्य कहते हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बरेली और शाहजहांपुर केन कोआपरेटिव सोसायटीज का कमीशन का कितना-कितना रुपया फैक्टरियों पर वाजिब है?

श्री हुकुम सिंह---शाहजहांपुर का १ लाख, १९ हजार, २९० रुपया ११ आना ६ पाई और बरेली का ८२२ रुपये ६ आना।

श्री भगवान सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया किसानों का ८ लाख, ३५३९३ हजार, १० आने ९ पाई गन्ना फैक्टरियों के ऊपर १५ जनवरी, १९५४ को बाकी था उस पर क्या सरकार किसानों को सूद दिलाने की कोई व्यवस्था करेगी?

श्री हुकुम सिंह---ऐक्ट बना हुआ है। कोई रोक नहीं सकता है। शायद सूद चलना शुरू भी हो गया होगा।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---क्या सरकार को मालूम है कि बहुत सी शुगर फैक्टरियों ने किसानों के गन्ने की कीमत दो साल से नहीं दी है?

श्री हुकुम सिंह---कुछ ने दे दी है और कुछ के जिम्मे बाकी है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन फैक्टरियों ने अभी तक रुपया अदा नहीं किया है उनके खिलाफ गवर्नमेंट कोई कार्यवाही करने जा रही है?

श्री हुकुम सिंह---आवश्यक कार्यवाही अवश्य की जायगी।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन फैक्टरियों में देने की ताकत नहीं है उनसे हटाकर दूसरी फैक्टरियों को गन्ना बेचने की सरकार किसानों को इजाजत देगी?

श्री हुकुम सिंह---इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। इसमें कानूनी दिक्कत पड़ेगी।

अल्मोड़ा फारेस्ट डिवीजन के अन्तर्गत विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम

*२१---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्मोड़ा पूर्वी तथा पश्चिमी डिवीजन में अलग-अलग कितने फारेस्ट गार्ड, फोरेस्टर, डिप्टी रेंजर तथा रेंजर हैं?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---एक सूची मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२२ पर)

*२२---श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फारेस्ट गार्ड तथा फारेस्टरों की नियुक्ति किस प्रकार होती है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—फारेस्टर्स की नियुक्ति अधीनस्थ वन सेवा (Subordinate Forest Service Rules) और फारेस्ट गार्ड्स की नियुक्ति फारेस्ट मैनुअल की आर्टिकिल ३३ में दिये हुये विस्तृत नियमों के अनुसार की जाती है। फारेस्टर्स की ५० प्रतिशत स्थानों में नियुक्ति विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा की जाती है और शेष की एम्पलायमेन्ट ऐक्सचेन्ज द्वारा।

*२३—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री के पास यह शिकायत आयी है कि हाई स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण व्यक्तियों का ध्यान न रख कर कम योग्यता तथा बे पढ़े व्यक्तियों की इन पदों पर नियुक्ति की गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं।

*२४—श्री बाबूनन्दन—[२५ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में साबुन और तेल के उद्योग-धंधों के लिये सरकारी सहायता

*२५—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में किन-किन व्यक्तियों को किन-किन तहसीलों में साबुन के उद्योग-धंधे के लिये कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—आवश्यक सूचना संलग्न नत्थी 'अ' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२३-३२४ पर)

*२६—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार की तरफ से किन-किन घरेलू उद्योग धन्धों के लिये किस भांति सहायता दी जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—सरकार ने घरेलू उद्योग धंधों की ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई है जिनके लिये आर्थिक सहायता दी जावे। फिर भी, उदाहरण के लिये नत्थी 'ब' में कुछ ऐसे घरेलू उद्योग धंधों के नाम लिखे हैं जिनको आर्थिक सहायता देने में प्राथमिकता दी जाती है।

इस सरकार की ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत घरेलू उद्योग-धंधों के विकास तथा उन्नति के लिये ऋण तथा अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है। इस सहायता को प्राप्त करने के लिये एक निर्धारित प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थना करनी पड़ती है। इन आवेदन-पत्रों को उचित छान बीन करने के बाद, ऋण तथा अनुदान कमेटी के सामने रखा जाता है। यह कमेटी योग्य प्रार्थियों को उचित रक़म ऋण तथा अनुदान के रूप में स्वीकार करती है। जिन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकार हो जाती है उनसे एग्रीमेंट भराने के बाद रुपया दे दिया जाता है।

श्री बाबूनन्दन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को साबुन और तेल के उद्योग धंधों के लिये रुपया दिया गया है वह कार्यरूप में परिणित हुआ है या नहीं, यदि हुआ है तो किस स्थान पर और कैसे-कैसे ?

श्री हुकुम सिंह—काम तो वह कर रहे हैं लेकिन स्थान के बारे में मुझे नोटिस चाहिये। दरियाफ्त करके बतला दूंगा।

श्री बाबूनन्दन—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि घरेलू उद्योग-धंधों के विकास तथा उन्नति के लिये जो सहायता ऋण तथा अनुदान के रूप में दी जाती है उसको किस रूप में वापस लेते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—कर्जा तो नकद ही रूप में वापस लेते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी कर के यह बतलायेगी कि हार्टिकल्चर जो इंडस्ट्री में आ गयी है उसको भी सहायता देने की सरकार के सामने कोई तजवीज है ?

श्री हुकुम सिंह—अभी कोई मेरे सामने तजवीज आयी नहीं, इसलिये कोई फैसला हमने किया नहीं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साबुन और तेल का जिनको रुपया दिया गया है उनमें से हरिजन कितने हैं ?

श्री हुकुम सिंह—माननीय प्रश्न कर्ता हरिजन हैं और उसमें कोई हरिजन नहीं है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिनको रुपया दिया गया है उनमें से कोई सोशलिस्ट भी हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

अतारांकित प्रश्न

१—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—[२५ मार्च, १९४५ के लिये स्थगित किये गये।]

सरैया चीनी मिल पर हाटा केन यूनियन की बकाया रकम

३—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करब तायेगी कि हाटा केन यूनियन की कितनी रक़म किस-किस प्रकार की सरदार नगर (सरैया) चीनी मिल के जिम्मे बाक़ी है ? इन रक़मों के बाक़ी रहने का कारण क्या है और इनकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री हुकुम सिंह—हाटा केन यूनियन की निम्नलिखित रकमें सरैया चीनी मिल के जिम्मे ३१ जनवरी, १९५४ तक बाक़ी थीं:—

गन्ने का मूल्य	..	..	..	५.१७	लाख रुपया।
कमीशन	..	..	..	०.३२	लाख रुपया।

इन रक़मों के भुगतान न होने का मुख्य कारण मिल की आर्थिक कठिनाई व शक्कर बिक्री की शिथिलता बताई जाती है। उक्त रक़मों का भुगतान कराने के लिये यूनियन ने मिल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया था। किन्तु यूनियन के चेयरमैन से जो इस मिल के सीनियर मैनेजिंग पार्टनर भी हैं मिल द्वारा शीघ्र भुगतान कराने का आश्वासन पाने पर यूनियन ने कानूनी कार्यवाही स्थगित कर दी।

४—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरैया (सरदार नगर) चीनी मिल के जिम्मे और कौन-कौन सी रकमें कितनी-कितनी अब तक बाक़ी हैं और उसका कारण क्या है तथा उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुम सिंह—उपरोक्त रकमों के अतिरिक्त सरैया चीनी मिल के जिम्मे निम्नलिखित रकमें बाकी हैं:—

गन्ने का मूल्य	..	..	..	५.६८	लाख रुपया।
कमीशन	..	..	..	०.४१	लाख रुपया।
सेस	..	..	..	७.१६	लाख रुपया।

इन रक़मों के बाक़ी रहने के कारण वही हैं जो प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में दिये गये हैं। रक़मों को शीघ्र भुगतान कराने के लिये जिला अधिकारियों को उचित आदेश दिये जा चुके हैं।

बनारस जिले में ओला वृष्टि के सम्बन्ध में श्री राजनारायण द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने भेजा है कि बनारस जिले के दक्षिणी भाग में बहुत तहसीलों में बहुत जोर से ओला पड़ा और उससे बहुत क्षति हुई। कुछ गांव उजड़ गये तो इससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस पर विचार करने के लिये यह काम रोको प्रस्ताव है।

इस विषय को मैं इतना अर्जेंट नहीं समझता हूं कि आज ही इसके ऊपर विचार हो। जब राजस्व और कृषि विभागों की अनुदान के सम्बन्ध में विचार होगा उस वक्त इस पर विचार हो सकता है। इसलिये इतनी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है कि आज ही लिया जाय। इस लिये मैं इसको वैध नहीं करार देता हूं।

सार्वजनिक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—दूसरे, परसों या नरसों की बात है, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपना मत मैंने इस सदन में प्रकट किया था कि उसके चेयरमैन ही उसकी रिपोर्ट उपस्थित करें, और मैंने अपना मत देते हुये यह भी कहा था कि जो माननीय सदस्य मेरे उस मत के विरुद्ध अपना मत रखते हों, चूंकि सदस्यों को इस विषय पर मत प्रकट करने का पहिले मौका नहीं दिया था, इसलिये उन्हें मौका देना चाहता हूं कि वे अपना मत प्रकट कर सकते हैं अगर किसी को आपत्ति हो। किसी ने आज तक आपत्ति नहीं की जो सदन की उदारता, प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा का लक्षण है। इससे स्पष्ट है कि सदन के सदस्य बहुत उदारवृत्ति के हैं और इसी कारण उन्होंने एक स्वस्थ्य प्रथा इस विषय में कायम करने में मुझे सहायता दी। वह मेरा निर्णय अब अन्तिम निर्णय है, क्योंकि विरोध किसी की तरफ से नहीं हुआ है। यह बात मैंने उस रोज भी जाहिर की थी।

श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा स्वशासन मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—तीसरे, अब यह एक अविश्वास का प्रस्ताव श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने मेरे पास भेजा है जो स्वायत्त शासन मंत्री जी के विरुद्ध है। क्या वे सदन की अनुमति आज ही लेना उचित समझते हैं?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—जी हां।

श्री अध्यक्ष—मैं पढ़ कर सुनाता हूं। जिस शक्ल में वह मेरे सामने पेश हुआ है उसको मैं वैध करार देता हूं इसलिये पढ़ कर सुना देता हूं और इसका तरीका यह होगा कि जब मैं पढ़ कर सुना दूंगा तो यदि सदन की जो पूर्ण संख्या है उसका पंचमांश खड़ा हो कर उसको प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिये कहे तब अनुमति समझी जायगी। कुल संख्या ४३१ है, कुछ वेकेंसीज भी हैं इसलिये पंचमांश ८६ का नम्बर आता है। वैसे ८७ का आना चाहिये लेकिन ८६ का नम्बर वैकेंसीज के कारण अब आ जायगा। इतने सदस्य खड़े होंगे तब अनुमति समझी जायगी।

यह प्रस्ताव इस प्रकार है:

"यह सदन श्रीमान् मोहनलाल गौतम, मंत्री स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश की नीति तथा कार्यों के सम्बन्ध में अपना अविश्वास प्रकट करता है, क्योंकि:

(१) गत ३ फरवरी कुम्भ के महान् पर्व के अवसर पर कुम्भ मेला में सरकार की ओर से जैसा समुचित प्रबन्ध करना चाहिये था उसे मंत्री जी ने नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

(२) वी० आई० पी० कैम्प की स्थापना करा कर माननीय मंत्री जी ने राज कोष का दुरुपयोग कराया और उन्हीं की सुख-सुविधा के प्रबन्ध में साधारण तीर्थ यात्रियों की पूर्णरूप से उपेक्षा की गयी।

(३) कुम्भ मेला क्षेत्र का ३ फरवरी के पूर्व निरीक्षण करने पर भी माननीय मन्त्री जी ने बांध के पास का बड़ा गड्ढा जिसमें हजारों आदमी फंसे और हजार के ऊपर मरे उसे पटवाने की व्यवस्था नहीं की।

(४) ३ फरवरी के पूर्व घटना का निरीक्षण करने के बाद प्रबन्ध का ऐसा सुन्दर चित्र खींचा जिससे बड़ी भीड़ मेला में एकत्रित हुई।

(५) इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रण कर स्नान के लिये उन्हें जाने और आने का समुचित मार्ग बिलगाव नहीं कराया।

इसके अतिरिक्त

(६) जनतांत्रिक प्रणाली का साधारण नियम भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा ग्राम पंचायतों के चुनाव की तिथि टालने में पालन न किया गया और लगातार निश्चित अवधि सालों से टाली जा रही है।

(७) म्युनिसिपल बोर्ड तथा नोटिफाइड एरिया व टाउन एरिया का चुनाव काफी विलम्ब से कराया गया। इस विलम्ब का नतीजा एक यह भी हुआ कि वर्तमान सदस्य आगामी लेजिस्लेटिव कौंसिल के चुनाव में भाग न ले सकेंगे।

(८) अक्तूबर में चुनाव समाप्त होने के बाद भी इस सदन का सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पास करा कर पार्लियामेंट के वैधानिक दिक्कत दूर करने का प्रयत्न माननीय मंत्री जी ने नहीं किया।

(९) माननीय मंत्री जी ने म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में ऐसा परिवर्तन कराया जिससे नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन तथा सदस्य जब भी सरकार चाहे बिना किसी प्रमाणित चार्ज के हटाये जा सकते हैं।

(१०) माननीय मंत्री जी ने ग्राम पंचायतों के चुने हुये प्रतिनिधियों का अधिकार धीरे-धीरे नियमों, उपनियमों द्वारा छीन कर उन्हें केवल एक सरकारी कमेटी मात्र रहने दिया है।

(११) माननीय मंत्री जी ने म्युनिसिपल बोर्डों में संगठित कर्मचारी संगठनों की मान्यता छीन कर व मान्यता प्रदान करने की नीति अपनाकर कर्मचारियों के मौलिक अधिकार का हनन किया है।

(१२) ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम जनता पर टैक्स लगाने, वसूल करने व वसूल किया हुआ रुपया केवल पंचायत राज आफिसर के नाम जमा कराने की व्यवस्था करा कर मंत्री जी ने पंचायतों के कोष को एक प्रकार से सरकारी कोष में बदल दिया है।

(१३) स्वायत्त शासन व्यवस्था के सभी अंगों को केन्द्रित कर मंत्री जी ने जनतंत्र में सत्ता के केंद्रीयकरण की नीति अपनायी है जिससे सारे प्रान्त में अव्यवस्था, अन्याय--कुनबापरस्ती बढ़ी है।"

श्री अध्यक्ष---जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों कृपा कर के अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(केवल १४ सदस्य खड़े हुए और इस प्रकार सदन ने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं है।)

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ९-लेखा शीर्षक १७,१८ और १९-ख-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों पर विवाद जारी होगा।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९-लेखा शीर्षक १७,१८ और १९-ख-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण (स्थापना व्यय को छोड़ कर) के अन्तर्गत २,४४,७८,४०० रुपये की मांग स्वीकार किया की जाय।

महोदय, मैं आप का कृतज्ञ हूं कि आप ने अनुदानों की मांग का कार्यक्रम आरम्भ करते हुये सिंचाई विभाग को पहले अवसर प्रदान किया कि वह अपनी मांग को पेश करे। वास्तव में हमारे इस बजट में, जो कार्य इस सरकार की ओर से विकास के सम्बन्ध में इस समय हो रहे हैं उनमें सब से अधिक महत्व सिंचाई के कार्यों को दिया गया है यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह प्रदेश खेतिहर प्रधान प्रदेश है जिसकी बहुत बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। और यह भी सही है कि यदि कोई भू-प्रदेश ऐसा हो जहां की जीविका का मुख्य साधन खेती हो, यदि उस प्रदेश को विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर करना हो तो यह आवश्यक है कि भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की जाय और जैसा कि स्पष्ट है कि हमारी जो यह पंचवर्षीय योजना चल रही है उसमें इसी विचार से सिंचाई के सम्बन्ध में सब से अधिक ध्यान दिया गया है। इस बजट में भी यदि मैं भूल नहीं करता तो कदाचित सिंचाई सम्बन्धी अनुदान, ये तीनों अनुदान जो इस माननीय सदन की स्वीकृति के लिये एक के बाद दूसरा प्रस्तुत किया जायगा, उसमें कदाचित सब से अधिक रक़म रखी गयी है। तीनों अनुदानों को मिला कर क़रीब १५ करोड़ रुपये से अधिक की मांग इस सदन से करने का सौभाग्य, अवकाश और अवसर मुझे प्राप्त हुआ है।

यह प्रस्तुत अनुदान ९, विशेषकर सम्बन्ध रखता है उन नहरों, कुओं, ट्यूबवेल्स और ड्रेंसादि के संरक्षण, सुधार के जो इस प्रदेश में प्रचलित हैं हमारे प्रदेश में भी पहले से भी अंग्रेजी राज्य के जमाने में भी सिंचाई संबंधी कुछ व्यवस्था रही है। यमुना, गंगा, और शारदा की नहरें आज से बहुत पहले निकल चुकी हैं। इसके अलावा क़रीब-क़रीब सन् १९४६-४७ तक १७, १८ सौ ट्यूब वेल्स भी हमारे सूबे में चलते रहे हैं। उनके रखरखाव और संरक्षण के लिये उनमें साधारण सुधार के लिये, उनकी मरम्मत के लिये और ठीक प्रकार से वह काम कर सकें इसके लिये जिस खर्चे की आवश्यकता होती है उसका सम्बन्ध इस अनुदान से है। इस अनुदान की विस्तृत व्याख्या हमारे बजट में वाल्यूम नम्बर ४ में पूरी तरह से दी हुई है। मुझे आशा है कि हमारे माननीय सदस्यों ने उस पर कृपा कर दृष्टिपात किया होगा। गत वर्ष इस अनुदान में इस सदन से २ करोड़ ४० लाख रुपया मांगा गया था और जो रिवाइज्ड़ एस्टीमेट है उसे यदि आप देखें तो उसमें स्पष्ट हो जायगा कि करीब २ करोड़ २८ लाख रुपया उस पर खर्च किया गया। इस वर्ष भी २ करोड़ ४४ लाख रुपये की मांग की जा रही है। जो यह १५, १६ लाख रुपये की वृद्धि इसमें हुई है उसका कारण यह है कि आगामी वर्ष जो हमारी योजनायें चल रही हैं उनके रखरखाव के लिये और संरक्षण के लिये कई सौ मील नई नालियां और बहुत से नये ट्यूबवेल्स हमारे सामने उपस्थित किये जायेंगे।

इस समय जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके अनुसार १९५४ के मार्च के अन्त तक करीब २०,५७६ मील हमारी इर्रीगेशन चैनल्स हो जायंगी और ११,२८६ मील ड्रेन्स हो जायंगी और १५ के क़रीब रिजरवायर्स और डैम्स हो जायंगे जो नदियों पर बने हुये हैं और इनके अलावा मोटे टैंक्स, रिजरवायर्स और चैनल्स अलग हैं। हमारा जो आगामी वर्ष प्रारम्भ होगा उसमें यह वृद्धि हो जायगी लिहाजा उनके रखरखाव के लिये खर्चे में भी वृद्धि होना एक स्वाभाविक बात है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इस अनुदान के अधीन क़रीब-क़रीब ६० लाख रुपये तो ट्यूबवेल्स के लिये एलेक्ट्रिसिटी चार्जेज पर व्यय होंगे। इतना खर्चा तो इस प्रकार बढ़ जाता है। एक कुएं पर क़रीब क़रीब १ हजार रुपये यूनिट को मिला कर ५५० रुपये यानी क़रीब १,५०० रुपये व्यय होते हैं। ३ हजार कुयें इसी साल तैयार हुए जा रहे हैं। जिनका यदि आप हिसाब लगावें तो करीब ६० लाख रुपये हो जाते हैं। इस तरह से बड़ी भारी रक़म एलेक्ट्रिसिटी चार्जेज पर है।

इसके सिवा हमारी जो नहरें हैं उन पर १ करोड़ १३ लाख ९६ हजार रुपये जो प्रोडक्टिव कैनाल्स हैं जैसे गंगा और यमुना की, उनके रखरखाव पर हर साल खर्च करने होते हैं। इसका हिसाब होता है कि इतने मील नहर है और उसके हर मील पर उसके रख रखाव के लिये इतना खर्च होता है, उसी हिसाब के मुताबिक यह सारी रक़म खर्च होती है। ढाई रुपये प्रति एकड़ उसके मेन्टिनेन्स पर खर्च होता है।

इस प्रकार यह २ करोड़ ४४ लाख रुपये की मांग स्वीकृति के लिये सदन के सम्मुख उपस्थित है। मैं और अधिक समय इस विषय पर लेना नहीं चाहता इसलिये कि इसके ऊपर हमारे सदस्यों की ओर से बहुत से कटौती के प्रस्ताव आये हैं जिसमें उन्होंने सुझाव दिये हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें अधिक समय मिले क्योंकि मेन्टिनेन्स पर खर्च एक रोटीन सा है और अगर कोई सुझाव माननीय सदस्य देंगे तो उसके उत्तर में मुझे जो कुछ कहना होगा वह आप की आज्ञा से बाद में निवेदन करूंगा।

विभिन्न अनुदानों पर विवादार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब इस अनुदान पर समय दो रोज का है। इन सब अनुदानों के लिये समय बांट लिया जाय तो अच्छा होगा। जो माननीय सदस्य सुझाव देना चाहें दे सकते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आज खाली सिंचाई को ही लिया जाय और अनुदान संख्या ९ पर दो घंटे, अनुदान संख्या १० पर आध घंटा और अनुदान संख्या ४२ पर दो घंटे, इस तरह से बंटवारा कर दिया जाय।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—मेरा प्रस्ताव यह है कि तीनों अनुदानों को एक साथ ले लिया जाय और एक ही समय उनके लिये निर्धारित कर दिया जाय ताकि सबको सहूलियत हो।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री व्रजविहारी मिश्र ने पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। तीन अनुदानों को अलग-अलग लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है वैसा नहीं होगा। आपको जिसमें सहूलियत हो वैसा ही किया जायगा। समय के बंटवारे के बारे में किसी को और कुछ सुझाव देना हो तो दे सकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मेरा विचार है कि हर एक सदस्य को दस-दस मिनट बोलने के लिये दिये जायं और तीनों अनुदानों को एक साथ ले लिया जाय। व्रजविहारी मिश्र जी ने जो सुझाव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह तो स्वीकार नहीं होगा क्योंकि उसमें विरोधी दल को आपत्ति है।

श्री शिवनारायण—तो अनुदान संख्या १० पर आध घंटे के बजाय ४५ मिनट रख दिये जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी साढ़े चार घंटे का समय बाक़ी है और आप अनुदान संख्या १० पर आधा घंटा चाहते हैं। आप पहले पर ४५ मिनट चाहते हैं और दूसरे के ऊपर कोई बात नहीं है।

अच्छा तो यह रहा कि पहले पर १।। घंटा, दूसरे अनुदान पर ४५ मिनट और तीसरे पर २ घंटा। इस तरह से यह ४।। घंटे का बटवारा हो जाता है।

जो माननीय सदस्य कटमोशन पेश करें उनके लिये २० मिनट और बाक़ी लोगों के लिये ७ मिनट रहेगा।

१९५४–५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख, राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना-व्यय को छोड़कर)

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से इस अनुदान संख्या ९ पर सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय यह कटौती का प्रस्ताव इसलिये पेश करना चाहता हूं कि इस सिंचाई के मुहकमे की जो त्रुटियां हैं उनको बतलाया जाय और साथ ही साथ कुछ अपने सुझाव दूं।

मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि आज कल सिंचाई के मुहकमे में बड़ी धांधली चल रही है। जो ग़रीब लोग हैं या जिनके पास ज्यादा आदमी नहीं हैं उन लोगों को पानी मिलने में बड़ी कठिनाई है बल्कि उनको पानी मिलना असम्भव हो जाता है और जिनके पास जत्थेदार आदमी हैं और बहुत आदमियों वाले हैं और लाठीबन्द हैं वह जबरदस्ती पानी नहरों का ले जाते हैं और अपनी सिंचाई कर लेते हैं। इस बारे में अभी तक कोई सरकार की ओर से खास क़दम नहीं उठाया गया है और जहां तक कि आप के अफसर लोग हैं उनके हाथ में भी कोई ऐसी ताक़त नहीं है कि जिससे वह कहीं पर पुलिस का प्रयोग कर सकें या जबदस्ती ठीक वारबन्दी पर ग़रीब आदमियों को पानी दिला सकें। तो मैं यह समझता हूं कि इनके लिये भी कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये जिससे हर एक छोटे से छोटा काश्तकार जिनके पास ५, ६ बीघे खेत हैं वह सूखे नहीं रहें और दूसरे के पास अगर १०० बीघा है तो उनकी भी सिंचाई हो जाय। रास्ते में जो कठिनाई हैं वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। पिछले दो साल से जो दिक्क़त महसूस हो रही है काश्तकारों को समय पर पानी न मिलने की और उनके खेत जो सूख जाते हैं उनको पानी नहीं मिलता है उसका कोई कारण ठीक तरह से मालूम नहीं पड़ता है कि क्या उसका कारण है। बताया यह जाता है कि पानी में कुछ कमी नहीं हुई है। पानी पहले जितना था उतना ही मिलता है। यह जरूर है कि जैसा कि बतलाया जाता है कि पानी का एरिया अब बढ़ गया है यानी नहरों से पानी का कमांड खेतों में लगाने के लिये अब ज्यादा हो गया है और उससे जितनी भूमि सींची जाती थी उससे अब कई गुना ज्यादा भूमि सींची जाती है और जिसका नाम सींचा जाना है, मैं उसको सींचा जाना कहने के लिये तैयार नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि अगर अधिक से अधिक एरिया को पानी मिल जाय और फिर उनकी पैदावार पक न जाय उस वक्त तक पानी उनको न मिले तो मैं इसको सिंचाई नहीं कहता हूं। आप ने तो कह दिया कि दो लाख एकड़ में पानी चला गया उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। यह तो सिंचाई वगैरा के आंकड़े इस किताब में दिये गये हैं मैं समझता हूं कि यह आंकड़े उसी तरह के हैं हमने इतनी ज़मीन की सिंचाई कर ली है अगर ६० बीघे खेत का पानी वक्त पर दिया जाता है तो वह उससे अच्छा है कि आप ६०० बीघे को वक्त पर सिंचाई न करें चाहे कहने को यह हो जाय कि ६०० बीघे की सिंचाई हुई। लोग अपनी कठिनाई बताते हैं कि सिंचाई का टैक्स बढ़ गया है लेकिन गांव के किसानों में कोई बेचैनी नहीं है

[श्री भलखान सिंह]

यह बात ग़लत है। किसान कहता है कि अगर हमको ठीक समय पर पानी मिले तो हम टैक्स भी देने को तैयार हैं। लेकिन सरकार समय से पानी नहीं देती। बढ़ा हुआ टैक्स १० या १२ रुपया एकड़ ईख पर और लगभग इतना ही गेहूं पर हो गया है। तो लगान से भी अधिक आबपाशी का टैक्स है। इसलिये जो पहले सिंचाई का टैक्स था या तो आप वह करिये या ठीक समय पर पानी तो दीजिये। जैसा मैंने परसों कहा था, हमारे यहां तहसील अतरौली में गांव खुसावली में नं० ९६ A B Tubewell २ बरस से पड़ा हुआ है जिन पर काम करने वाले कह देते हैं अगले दिन ही कि कुआं खराब हो गया है क्योंकि तुम कुछ देते तो ही नहीं और अगर फ़ी किसान कुछ दे दो तो ठीक हो जाय। कई अर्जियां एग्जीक्युटिव इंजीनियर को दी गई हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ और वहां हजारों बीघे खेत सूख गये हैं? नये-नये नलकूप आप बनाते चले जा रहे हैं और पुराने खराब होते जा रहे हैं।

मुझसे शिकायत यह की जाती है, और आप जा कर पता लगावें कि यह कुआं इसलिये दुरुस्त नहीं हुआ क्योंकि इस गांव वालों ने सोशलिस्ट पार्टी वालों को वोट दिया था। परन्तु सरकार को समझना चाहिये कि यह तो किसान का काम है। इसमें सोशलिस्ट या किसी और पार्टी वाले का कोई ख्याल नहीं होना चाहिये। लोग लिखे पढ़े नहीं हैं, वे तो ऐसे ही ख्याल कर लेते हैं।

मेरे जिले में नलकूपों पर बारबन्दी का नियम भी बदल दिया गया है जिससे अब किसानों को नुक़सान ही नुक़सान होता है। अगर एक आदमी का १ घंटे पानी मिलने का समय खत्म हो गया है तो वह नलकूप बन्द कर दिया जायगा और फिर उसका पानी जब शुरू होगा तो उसको उस बरहे में फिर पानी ले जाना पड़ेगा। पहले ऐसा था कि किसान जो उसके बाद पानी लेता था वह पहले के आगे पानी काट कर लेता था। लेकिन अब वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनीयर ने पुरानी बारबन्दी के नियम को बदल दिया है। मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप जरा इसको सोच लें और बारबंदी के इन नियमों को बदल दें। इसके सम्बन्ध में जिस पब्लिक को उससे काम पड़ता है उसकी भी आपको सलाह लेनी चाहिये। उनके रिप्रेजेन्टेटिवज़ की भी सलाह लेनी चाहिये। आपकी नहरों के आसपास ऐसे बहुत से नाले हैं जहां हजारों बीघा खेत बरसात में डूब जाते हैं। वहां के लोग श्रमदान के लिये तैयार हैं लेकिन सरकार उनकी कोई बात सुनती नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो नाले हैं उनको ठीक करा दिया जाय ताकि बरसात में जो हजारों बीघा जमीन डूब जाती है वह न डूबने पाये।

मेरा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि जैसे मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर और अलीगढ़ के जिले हैं जिनमें नहरें और ट्यूबवेल्स दोनों साथ-साथ चलते हैं, उनमें दोहरे अफ़सरान रक्खे गये हैं। उनमें एक ही ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर या ओवरसियर आदि काम कर सकते हैं और इस तरह से दुहरा स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक नहरों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने लोगों की बहुत सी असुविधाओं और दिक्क़तों को दूर कर दिया है तथा करने का यत्न किया है किन्तु अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको दूर होना बाक़ी है। मैं इसी सम्बन्ध में कुछ अपने विचार माननीय मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं।

जहां तक नहरों से आबपाशी का सम्बन्ध है यह हम मानते हैं कि नहरों की आबपाशी अब इतनी ज्यादा हो गयी है कि किसानों को वह अब असह्य होती जा रही है। बहुत सी जगह कहा जाता है कि नहरों की आबपाशी एक तरह से व्यापार की बात है, इधर पानी देना और उधर पैसा लेना। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि यह इस प्रकार की बात नहीं है। जहां तक सरकार के कामों का सम्बन्ध है वह व्यापार की दृष्टि से नहीं होते। वह बहुत से विचारों को सामने रख कर किये जाते हैं जैसे कि अधिक गल्ला पैदा हो, लोगों को सुख और सुविधा पहुंचे।

कई बार यह भी कहा जाता है कि अगर आप हल और बैल से आबपाशी करें तो आपको बहुत कीमत पड़ जायगी, इस हिसाब से नहरों से जो पानी दिया जाता है वह बहुत ही सस्ता पड़ता है। यह एक ऐसा आर्गूमेंट है जो बहुत ही लचर है। कोई मुझसे कहे कि अगर मैं मुजफ्फरनगर से लखनऊ बैलगाड़ी में आता उसके मुकाबले में रेलगाड़ी में ज्यादा सुविधा देकर सरकार कम किराया लेती है इसलिये रेल का किराया बढ़ा दिया जाना चाहिये। इस प्रकार की लचर बातें हैं वे भी कभी-कभी बड़े लोगों की तरफ से भी कही जाती हैं। ये बातें मुनासिब नहीं हैं। यह बात मानी हुई है कि नहरों का किराया इतना बढ़ गया है कि वह नाकाबिल बरदाश्त होता जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिये कि वह इस पर खासतौर से ध्यान दे। अगर किसी के पास पैसा नहीं बचता है तो ऐसी खेती करने से क्या लाभ? किसानों का कहना है कि बढ़ती आबपाशी के दर पर खेती करना दूभर हो जायगा। यह भी कहा जाता है अगर टैक्स नहीं बढ़ेंगे तो तरक्की कैसे होगी। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ तथ्य है लेकिन क्या टैक्स इतने बढ़ जाने चाहिये कि देने वाले के लिये नाकाबिल बरदाश्त हो जाय और जहां से टैक्स लिया जाता हो वहां पर उस टैक्स को लगाने का जरा भी खयाल न हो। मैं मानता हूं कि पूर्वी जिलों में इस समय बहुत जरूरत है मगर जिन लोगों से टैक्स लिया जाता है उनकी जरूरतों का भी तो कुछ खयाल रखना चाहिये। पूर्व में अगर आप तरक्की के काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है लेकिन जिन लोगों से आप टैक्स लेते हैं उनका भी तो ख्याल करना चाहिये। अब यह कहा जाता है कि साहब पश्चिम में तो अंग्रेजों ने नहरें बनवाई और हमारे पूर्व वालों से रुपया लिया था। तो मैं आपसे कहता हूं कि अंग्रेजों ने न पूर्व वालों के लिये नहरें बनवाईं न पश्चिम वालों के लिये बल्कि उन्होंने तो अपने लाभ के लिये नहरें बनवाईं। अगर पूरब में उनको लाभ होता तो वे पूरब में ही बनवाते मगर चूंकि पश्चिम में बनवाने से लाभ था इसलिये उन्होंने पश्चिम में ही बनवाये। यह ऐसा आर्गुमेंट है, ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसमें मैं समझता हूं कि पूरब पश्चिम का सवाल नहीं लाया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि आगे से पूरब वालों के लिये नहरों के लिये ज्यादा इन्तजाम कर दिया जाय, इसका एक तरीका बन सकता है लेकिन यह कहना कि पश्चिम को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाय और अब जितनी चीजें बनें, सब पूरब में ही बनें, पश्चिम को बिलकुल खत्म कर दिया जाय यह ग़लत है, इस तरह से काम नहीं चलने के हैं। हो सकता है कि जो पश्चिम के लोग हमारे साथ रहे हैं वे पूरब की तरफ खिलाफ हो सकते हैं। यह बात भी ध्यान में रखने की है। दो तीन सुझाव मैं और देना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि जहां नहरों का मामला है बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां छोटे-छोटे पाकेट्स रह जाते हैं। वहां पर आबपाशी हो रही है, दो तीन गुल चल रहे हैं लेकिन वहां पर सौ दो सौ बीघा जमीन में पानी नहीं पहुंचता है। तो वहां के लिये न तो ट्यूबवेल लगा कर पानी देने का प्रबन्ध कर सकते हैं जिससे वहां पैदावार हो सके। नहर के मुहकमें को इस बात को देखना चाहिये कि कहां-कहां ऐसे-ऐसे छोटे रकबे हैं जिनके अन्दर आबपाशी कर देना लाजिमी है। इसके साथ ही साथ मुझे यह भी अर्ज करना है कि नहर के मुहकमें के जो आफिसरान हैं उनका वर्ताव वहां के लोगों से अच्छा नहीं है। आज कल नहर के कर्मचारियों को अपनी मनोवृत्ति को बदलना चाहिये। अंग्रेजों का जमाना था तो वे अपने आदमियों का सम्मान करते थे और अगर आज नहर और ट्यूबवेल के अफसरान अच्छे ढंग से काम करेंगे तथा अच्छा व्यवहार करेंगे तो उससे काफी हद्द तक हमारा काम आगे बढ़ सकता है।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जहाँ तक इस मद को समझा हूं, पूरे बजट को पढ़ने के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचता हूं कि हमारे इस कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश के लिये यह पूरे बजट की जान है। और जैसा कि अपने शुरू के भाषण में माननीय मंत्री जी ने इस पर बहुत कुछ रोशनी डाल दी है और उन्होंने बतलाया कि बजट में सब से ज्यादा रुपया इस मद पर खर्च किया जा रहा है, इसमें दो रायें नहीं हैं। हमारे प्रदेश के सब भाई चाहे वे विरोधी दल के हों, या ट्रेजरी बेंचेज के हों सब की राय ऐसी ही मालूम होती है।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

अब सवाल यह है कि जब से अंग्रेज यहाँ से गये यह विभाग जिस ढंग से अपना काम कर रहा है, यदि पहले के काम और आज के काम को देखा जाय तो मालूम होगा कि विभाग ने अब तक बहुत बड़ा काम कर डाला है। और जैसा कि इस सिंचाई विभाग के कार्यों की कापी से मालूम होता है कि कर रहा है, ऐसी तंग हालत में जब कि रुपये की कमी है और दूसरी तरफ रुपया पैदा करने के लिये, इसको जुटाने के साधन सोचे जायं, पोलिटिकल पार्टीज पैर पीछे ही को खींच रही हैं, उनका भी मुकाबला करना पड़े, ऐसी हालत में जो कुछ काम हुआ है मैं तो समझता हूं कि बहुत काफी हद तक सन्तोषप्रद है। मुझे इस विभाग के बहुत से कार्यकर्ताओं से सम्पर्क पैदा करने का मौका मिला है और दो साल के अन्दर मुझे ऐसे भी मौके मिले हैं कि यहाँ के चीफ इंजीनियर के साथ मौके पर जाने का भी अवसर मिला और मैंने देखा कि यहाँ के एक चीफ इंजीनियर श्री बी० पी० सक्सेना थे तथा उनका पूरा स्टाफ साथ में था। उनके विचार मुझे इतने सुन्दर मालूम पड़े कि वे लोग अपने देश की तरक्की चाहते हैं और इस काम को अपना काम समझ कर करते हैं कि किस तरह से हम काम करें जिससे जल्द से जल्द अपने उत्तर प्रदेश को ऊपर उठा सकें। यह उन लोगों को रात-दिन फिकर रहती है। यह मैं पूरे विभाग की बात कर रहा हूं कि उन सबके विचार ऐसे ही हैं। यह तो विभाग की बात है। मैंने थोड़ी सी बात यह इसलिये कह दी कि शायद विरोधी भाई इसमें कुछ और समझ कर आलोचना करें तो उनके लिये थोड़ा सा जवाब हो जायगा।

अभी श्री मलखान सिंह जी ने कहा कि पानी की कमी है। तो पानी की कमी तो हमारी ओर से भी हर किताब में लिखी है और बताई जाती है। काश्तकार की माँग पानी के लिये बढ़ती जाती है। ज्यों ज्यों नहरें बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों माँग बढ़ रही है। लेकिन पानी की कमी को दूर करने के उपाय किये जा रहे हैं। इसी पानी की कमी का अनुभव करके ही जहाँ से शारदा नहर निकलती है वहाँ रिजरवायर्स बनाये जा रहे हैं। लखनऊ के पास ही जहाँ से शारदा नहर जाती है उसके बगल से और नहर खोदी जा रही है। मुसाफिर लोग पूछते हैं कि यह क्या तमाशा हो रहा है तो उनसे यह कहा जाता है कि लोगों को पानी पहुंचाने के लिये ही यह तमाशा किया जा रहा है। यह सारे उपाय पानी की कमी दूर करने के लिये किये जा रहे हैं।

भाई बलवन्त सिंह जी ने कभी पूर्व और पश्चिम की बात उठाई। मैं उनसे कहूंगा कि मुझे इस विभागीय किताब को ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला लेकिन अगर वे देखेंगे तो किसी को भी शिकायत करने का मौका नहीं है। सिंचाई की स्कीमों का वर्गीकरण इस ढंग पर हुआ है कि पूर्व, पश्चिम, मध्य और पर्वत किसी को भी इस बात का मौका नहीं है कि शिकायत करे। पश्चिमी भागों में सिंचाई के साधन पहले से उपलब्ध थे। नये बनाये जाने वाले साधनों का भी बहुत सुन्दर वर्गीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ सहायता के लिये दान भी करना पड़े तो उन पिछड़े हुये लोगों को भी अपने साथ ले चलें। इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं होनी चाहिये।

अब मैं माननीय मंत्री जी को कुछ थोड़े से सुझाव देता हूं। मेरे पास अक्सर शिकायतें आई हैं कि जो सिंचाई का कानून है उसके अन्दर शामिल बरहा की बात है वह यह है कि पानी किसी तालाब से लेता है और नहर की नाली उसके बगल से बनी हुई है और उसमें से तालाब का पानी भी लिया जाता है तो उसको नहर का पानी लिख लिया जाता है। मेरे पास इसकी शिकायतें बहुत हैं। इस पर माननीय मंत्री जी विचार करें जिससे किसानों को कोई तकलीफ न पहुंचे।

इसके साथ मुझे निवेदन करना है कि तीन चार सालों से रायबरेली में तहसील महराज गंज-मौरावाँ बांध नहर निकली है। मैं पहले अनभिज्ञ था और जैसे मलखान सिंह जी आज पानी की कमी के कारण नहीं जानते हैं कि रियल फैक्ट्स क्या है। एक बार मैं माननीय मन्त्री जी से पानी के लिये नाराज भी हो गया था परन्तु सही बात जान कर संतोष कर रहा हूं। परन्तु तीन साल हो गया है लेकिन वहाँ के किसानों की जो जमीन एक्वायर की गयी थी उनका

लगान नहीं माफ हुआ। मुआवजा तो मिल गया लेकिन लगान नहीं माफ हुआ। मैं नहीं जानता कि यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कार्य है या इस विभाग का लेकिन इस डिपार्टमेंट ने जमीन ली है इसलिये उसकी जिम्मेदारी है। इसलिये यह भी मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि वे इस पर गौर करें और वहाँ के लोगों को सहायता दें।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि मैंने अभी एक दिन यहीं असेम्बली में एक सवाल किया था कि हमारे यहाँ ड्रेनेज खोली गयीं और उनके मेंटिनेंस का प्राविजन है लेकिन महाराजगंज तहसील में जो ड्रेनेज है क्योंकि वह मेरी कांस्टीटुयेंसी है मैं जानता हूं कि वहां जो ड्रेनेज खोदा गया है उनका मेंटिनेंस नहीं होता और ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और इससे किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। मुझे नहीं मालूम कि रुपये की कमी की वजह से पड़े हुये हैं या किस वजह से लेकिन माननीय मंत्री जी इस पर भी गौर करें।

अभी कुछ दिन हुये वहाँ डूबा आ गया था और उसकी वजह से काफी नुक्सान फसल का हुआ, इसलिये उसको देखना जरूरी है।

एक बात मैं और कहता हूं। मैंने पारसाल भी माननीय मंत्री जी से कहा था कि रायबरेली जिले में काफी जिक्र इस बात का है कि हमें भी नलकूप दिये जायं और जहाँ तक हमारा खयाल है वहाँ के लिये नलकूप की योजना है भी। लेकिन इस पूरे बजट को देखने से मुझे महसूस होता है कि मेरे जिले का कोई मंत्री नहीं है और इसलिये मेरे जिले को ओवरलुक किया जाता है लेकिन माननीय मंत्री जी का मेरे जिले से काफी सम्पर्क रहा है। काफी गरीब जिला है। तो मैं वहाँ के लोगों के लिये यह जरूर कहूंगा कि ट्यूबवेलों को खुलवाने के लिये कुछ न कुछ व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस मद का समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं।

श्री कृष्णचन्द्र गुप्त (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो अनुदान सिंचाई के सम्बन्ध में पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें शक नहीं कि हमारे प्रदेश में सिंचाई की जो व्यवस्था हुई है उससे आज सारा प्रदेश सुख और शांति का अनुभव कर रहा है। हजारों ट्यूबवेल्स और नहरों का जो निर्माण हुआ है वह हमारे प्रदेश के लिये एक विशेष बात है। हमारे विरोधी दल के जो लोग हैं और वह जिस तौर पर नुक्ताचीनी करते हैं और उनके सामने हर समय शिकायत ही शिकायत रहती है उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि वह देखें कि यह विभाग कितना अच्छा काम कर रहा है। असल में उनके लिये तो यह है कि हमारे जो विभाग अच्छा काम करते हैं वह भी उनके लिये बुराई ही मालूम होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज हमारे इस सिंचाई के मुहकमें की जो व्यवस्था है और इसमें जिस तरीके से शिकायतें सुनी जाती हैं और दूर की जाती हैं वैसी व्यवस्था किसी दूसरे विभाग में नजर नहीं आती है। हमें तो सदन के सामने विरोधी भाइयों से यह कहना है कि वह देखें कि आज प्रान्त में जो उत्पादन बढ़ा हुआ है और जिस तरीके से हमारे किसान सुख और शान्ति का अनुभव कर रहे हैं वह सिर्फ सिंचाई के ही कारण है।

आज जो सिंचाई रेट की बात की जाती है उसके संबंध में मैं यह कहता हूं कि किसान अपने खेतों की तरक्की करने के लिये सिंचाई की अच्छी व्यवस्था चाहता है क्योंकि खेती के लिये सिंचाई एक मुख्य चीज है लेकिन वह सिंचाई रेट की तरफ नहीं ध्यान देता है और न उसको इस बात का खयाल है कि सिंचाई का रेट कम है या ज्यादा। इसलिये मैं यह कहता हूं कि यह तो केवल उभाड़ने वाली बातें हैं जो कि आज प्रदेश में सिंचाई की बातें लेकर कई प्रकार की बातें उभाड़ी जाती हैं। इस तरह से समय-समय पर, जो इस तरह की बातें कही जाती हैं यह तो हमारे विरोधी भाइयों का काम है।

मैं अपने माननीय मन्त्री जी के सामने एक यह सुझाव जरूर रखना चाहता हूं कि आज नहरों में खराबी जरूर है और वह खराबी इस माने में है कि उसकी व्यवस्था जो अंग्रेजों

[श्री कृष्ण चन्द्र गुप्त]

के जमाने में थी वह बात देखने में नहीं आती है। इसका एक कारण तो यह है कि नहरों की जो मरम्मत होती है वह समय से नहीं की जाती है।

दूसरी बात यह है कि समय से नहरों से पानी नहीं दिया जाता है इससे काश्तकार बहुत परेशान रहते हैं। हमारे जिले में अक्सर यह शिकायत रहा करती है कि नहरों से समय से पानी न मिलने के कारण खेती में उपज होनी चाहिये वह नहीं होती। मैंने अपने माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना भी की है और उप-मंत्री जी अभी सीतापुर गये थे तो उनसे भी मैंने प्रार्थना की थी। उन्होंने यह बतलाया था कि नये नहरों के निर्माण की वजह से पानी समय से नहीं मिलता है और पानी की कमी है। यह ठीक है कि नये नहरों का आप निर्माण करें, लेकिन जब आपके पास पानी की कमी है तो आप नहरों को क्यों बढ़ाते जाते हैं। इसलिये इस समय जितनी नहरें हैं उनसे आप काम लीजिये और जब पानी की व्यवस्था हो जाय उस समय आप नयी नहरों का निर्माण करें।

इसके अतिरिक्त मैं अपने माननीय मंत्री जी और उप मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विभाग को बहुत ही जनता के निकट कर दिया है। अभी हमारे किसी माननीय सदस्य ने यह बात कही थी कि जो नहर के कर्मचारी हैं या इंजीनियर्स हैं वे जनता के निकट नहीं हैं। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि यह बात ऐसी नहीं है। चूंकि हमारे माननीय मंत्री जी और माननीय उपमंत्री जी स्वयं जनता के बहुत निकट हैं, इसलिये उनका विभाग बराबर जनता के निकट रहता है और शिकायतें भी सुनी जाती हैं। मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि जो शिकायत होती है उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे जो और दूसरे विभाग हैं जहां पर फाइलों का ढेर रहता है और जहां छः-छः महीने तक दरख्वास्तों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उन विभागों को इस विभाग से सबक लेना चाहिये और उन्हें भी इतनी ही जल्दी काम करना चाहिये। यह शिकायत करना कि इसके कर्मचारी काम नहीं करते हैं, इसके लिये जैसा मैंने कहा कि यह जो हमारे समालोचक हैं उनके सामने चाहे अच्छी बात हो तब भी वह समालोचना करेंगे और चाहे बुरी बात हो तब भी समालोचना करेंगे। मैं अपने माननीय मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देकर जो अनुदान उन्होंने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटमोशन का प्रस्ताव सदन के सामने पेश हुआ है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं सिंचाई मंत्री जी को हृदय से इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के लिये इस सरकार ने बहुत सी योजनायें ला करके और दो, तीन, चार बांध बना करके हमारे यहां सिंचाई की योजना में बहुत सहायता दी है और करने की कोशिश की है। मैं साथ साथ यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि बुन्देलखंड का क्षेत्र इस प्रांत में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और वहां नयी-नयी योजनायें लाने के बाद जितने कर लगे जितनी चीजें हुयीं उनमें और जगहों के रेट के हिसाब से हमेशा इस बात का खयाल रखा गया कि बुन्देलखंड में वही रेट लगाना मुनासिब नहीं होगा। और इसी दृष्टिकोण से मैं श्रीमन् आपके ज़रिये मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि पहले वहां रेट ३ रुपये एकड़ था और आज १० रुपये एकड़ कर दिया गया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां साल में एक या दो फस्ल मुश्किल से होती हैं वहां भी वही टैक्स लगे और जिन ज़िलों में और जगहों में उसी नहर के पानी से कई फस्लें लेते हैं वहां भी वही टैक्स लगे, तो यह कहां तक मुनासिब होगा? इसके अलावा रेट दो बातों का खयाल करके बढ़ाया गया था। एक तो यह कि गल्ले की कीमत बढ़ेगी और इसी का ख्याल कर कमेटी ने रेट बढ़ाने की राय दी थी। अब गल्ले की कीमत भी कम हो गयी है। इसलिये सरकार को सिंचाई का रेट कम करने की ओर ध्यान देना चाहिये। १० रुपये प्रति एकड़ टैक्स के प्रति बुन्देलखंड के किसानों में बहुत विरोध

है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनने से पहले आपने यह वायदा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो नहर का पानी मुफ्त देंगे। जो पुराने कांग्रेसजन यहां बैठे हुये हैं वे इस बात को याद करेंगे। (चारों ओर से आवाजें–यह गलत है) श्रीमन्, यह बहुत पिछली बात है, लेकिन मंत्री जी याद करेंगे। मैं ग़लत नहीं बतला रहा हूं। मैं इसको चैलेंज करता हूं और दिखा दूंगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप कर न लगायें लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी देखना चाहिये कि आपने दस रुपये एकड़ तो टैक्स बढ़ा दिया..

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—(श्री अध्यक्ष से) जनाब तो टैक्स लगाते नहीं हैं जो मेम्बर साहब फरमा रहे हैं कि आपने टैक्स लगाया।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, आपके जरिये मैं सरकार से कहता हूं, श्रीमन् मैं यह कह रहा था कि आज कर बढ़ाने के लिये तो सरकार तैयार हो जाती है लेकिन यह नहीं देखती है कि किसानों को उतना पानी भी मिलता है?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। यह जो अनुदान चल रहा है इसमें रिपेयर्स और मेंटीनेन्स का प्रश्न है न कि किराये का। माननीय सदस्य तो सिंचाई के किराये की बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय वीरेन्द्र शाह जी, आप जारी रखें।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, मेरा जो समय इस तरह से लिया गया है इसको आप ध्यान में रक्खेंगे। (हंसी) मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार अगर इस टैक्स के ऊपर विचार नहीं करेगी तो यह हमारा विकास का कार्य और सरकार के प्रयत्न सब व्यर्थ जायेंगे। मैं आपके जरिये सरकार को सावधान कर देना चाहता हूं कि वह समझ बूझ कर टैक्स बढ़ाये तो ठीक होगा। सरकार को देखना चाहिये कि हम टैक्स लें तो पानी भी तो मिलना चाहिये। बुन्देलखंड की मैं जानता हूं कि जब तीन रुपये एकड़ टैक्स लिया जाता था तब तीन पानी मिलते थे और जब से यह टैक्स बढ़ा है तब से दो पानी मुश्किल से मिलते हैं, तीन तो कभी मिलते ही नहीं हैं। अबकी हमारे यहां गेहूं के खेतों में सिर्फ एक ही पानी दिया गया। तो बिजनेस प्वाइंट आफ व्यू से भी यह जायज नहीं है। सरकार को देखना चाहिये कि कम से कम दो पानी तो जरूर ही मिले। इस तरह के रोजगार से क्या फायदा कि किसान उधर चिल्ला रहा है और इधर टैक्स बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि उधर आप विकास योजनाओं में तमाम खर्च बढ़ाते जाते हैं और खर्च घटाते हैं नहीं। खर्च घटाने के लिये एक कमेटी बैठी हुयी है और उसमें यह सुझाव हो रहा है और वह अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मैं भी इस कमेटी में हूं। इसलिये उसको बतलाना नहीं चाहता हूं। जब तक आपके सामने उसकी रिपोर्ट न आजाय तब तक उस चीज को यहां लाना उचित नहीं है।

मैं आप से यह कहूंगा कि रेट उसी हिसाब से लिये जायं कि सरकार का जो खर्चा हो जरूर ले लिया जाय। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि आप फायदे की बात सोचने लगें और कामर्शियल बेसिस पर चलें कि फायदा ही फायदा हो। सरकार को सोचना चाहिये कि यह किसानों के फायदे के लिये है, इसलिये अगर इसमें सरकार कुछ नुकसान भी सहे तो उसके लिये यह कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि इससे तो सरकार की योजनायें और ज्यादा सफल होंगी। फिर हमारे मंत्री जी ने कहा था कि हम सहयोग चाहते हैं। यही चीज जिससे किसानों का आपको सहयोग मिलेगा। अगर सही रूप से आप टैक्स लगायेंगे और सही रूप से उसको वसूल करेंगे और उनको पूरा पानी देंगे। लेकिन इस तरह से इतना भारी टैक्स लगाकर अगर उनको पूरा पानी भी न मिला तो मैं समझता हूं कि इससे कोई

[राजा वीरेन्द्र शाह]

फायदा नहीं हो सकता है। मैं सरकार को फिर चेतावनी देता हूं कि बुंदेलखंड के लिये मंत्री जी विचार करें। जहां पर केवल दो ही फसलें होती हैं वहां पर इतना अधिक टैक्स लगाकर वसूल करना अनुचित है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिंचाई का अनुदान सदन के सामने है। यह मानी हुयी बात है और इसमें मेरे खयाल से कोई दूसरा प्रश्न नहीं है कि सिंचाई में जो उन्नति हमारे प्रदेश ने की है वह छिपी हुयी नहीं है। काफी ट्यूबवेल्स बनाये गये, बांध भी बनाये गये हैं और खर्चा भी काफी किया गया है लेकिन बावजूद इस उन्नति के हम देखते हैं कि किसान जिसका कि सिंचाई से सीधा संबंध है, ज्यादा संतुष्ट नहीं है। इसका कुछ न कुछ कारण तो जरूर है और वह कारण जहां तक मैं समझता हूं यह है कि जो कर्मचारी इससे सम्बन्ध रखते हैं इस कार्य को अंजाम देते हैं, उनकी या तो गफलत या सीनाजोरी या फिर कमजोरी हो सकती है और इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है।

मैं हृदय से इस बात को मानता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने काफी दिलचस्पी इस सिंचाई विभाग से ली है और पिछली बार जो उन्होंने मेरठ का दौरा किया था उसमें भी मैंने देखा था मेरे ही हृदय में यह बात नहीं उठती है बल्कि वहां की जनता जो उनके सम्पर्क में आई और जहां-जहां मंत्री जी ने दौरा किया और लोगों की शिकायतों को सुना और जिस ढंग से सुना वह वास्तव में सराहनीय था और यह ऐसा था जिससे टपकता था कि आपकी भावना ऐसी थी कि जो-जो लोगों को कठिनाइयां और दिक्कतें थीं उनको किसी न किसी तरीके से दूर किया जाय, एक खास खूबी यह थी कि उन्होंने लोगों को उनकी बात कहने के लिये काफी समय दिया बल्कि एक दिन तो मैं भी गाजियाबाद की तहसील में उनके साथ गया था। मैं तो ज्यादा समय देने से कभी-कभी उकता भी जाता था लेकिन उन्होंने बड़े धैर्य के साथ लोगों की बातों को सुना। इसके अतिरिक्त एक और अच्छी खूबी यह थी कि उन्होंने अपने साथ कर्मचारियों को भी बुला रखा था। पतरौल से लेकर चीफ इंजीनियर तक सब उनके साथ थे, कागजात भी थे। उन्होंने वहीं पर कागजात को देखा और उचित हिदायतें भी दीं कि इस तरह से आयन्दा काम होना चाहिये जिससे लोगों को दिक्कत न हो और काफी ध्यान देकर उन्होंने हिदायतें दीं लेकिन बावजूद इन सबके मुझे बड़ा दुख है कि सदन के सामने मुझे यह रखना पड़ता है कि इसका जो रिएक्शन हुआ, इसका उल्टा अमल ऐसा हुआ जिसके बारे में मंत्री महोदय ने मुझसे यहां भी पूछा और मैंने सूचना भी उनको दी। मुझे यह अनुभव होता है कि जो उन्होंने विजिट किया था और वहां पर एक गालन गांव है वहां के लोगों की शिकायत मंत्री महोदय से यह हुयी थी यहां कागजात में गलत इन्दराज होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जांच कीजिये। मैंने जांच की और दरअसल वहां गलत इन्दराज थे। तो पहली जो कमी नजर आती है, जो सब से ज्यादा मानी रखती है वह यह है कि परताल जो कर्मचारी करते हैं वह या तो लापरवाही से करते हैं या किसी वजह से वह इतनी गलत होती है कि जो सिंचाई का रेट या एमाउन्ट किसान पर पड़ना चाहिये वह उससे कहीं ज्यादा पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह परताल सही नहीं होती। तो इसके बारे में उन्होंने हिदायतें कीं।

इसके अलावा एक दो जगह का काम ऐसा था कि स्पाट (मौके) पर ही मंत्री महोदय ने यह कहा कि कुलाबे उनको लगा देने चाहिये। इसके बाद उन्होंने कहा कि मालूम करना। लेकिन मैंने मालूम किया, अभी तक वह नहीं लगाया गया। एक जगह जिस गांव के लोगों ने शिकायत की, उसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे ही दिन उस गांव की माइनर को बन्द कर दिया गया और फसल सूख गयी तो कहने की गरज यह है कि इस तरह की

बातें होने से किसानों को ज्यादा तकलीफ होती है और परेशानी बढ़ती है। यह मैंने देखा है कि सिंचाई का जो रेट है वह पहले से कहीं ज्यादा है। पिछले साल सन् १९५३ में ८८ लाख नहर और ट्यूबवेल्स से आमदनी हुयी थी, वह अब ड्योढ़ी कर दी गयी। यह सारा बोझ किसान के ऊपर है यह मानना पड़ेगा। यह जरूर कहा जाता है कि हमारे मुल्क में और मुल्कों के विरुद्ध ऐसा है कि यहां टैक्स से लोग घबराते हैं। यह जरूर है, यह तो बिलकुल सत्य है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सिंचाई के रेट का बोझा इतना है कि वह किसान के बस का नहीं है कि वह बराबर देता रहे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का हवाला अपने भाषण में दिया था कि इटावा जिले में जो सिंचाई का एमाउन्ट था वह आसानी से वसूल हो गया, लेकिन यह इस बात की कसौटी नहीं है कि आसानी से वसूल हो गया इसलिए सिंचाई की रेट ज्यादा नहीं है। वह अवश्य ज्यादा है और इस पर सदन को वक्तन–फक्तन विचार अवश्य करना पड़ेगा और उसको कम करने की कोई न कोई योजना बनानी पड़ेगी।

इसके अलावा मैं पूर्वी–पश्चिमी जिलों के प्रश्न पर न जाकर यह कहूंगा कि मुझे पूर्व के जिलों से भी पूरी सहानुभूति है और मैं माननीय राजा साहब की तरह यह नहीं कहूंगा कि केवल बुन्देलखंड में ही नजर डालें, मैं तो यह कहूंगा कि सब ओर सारे प्रदेश में उनको निगाह रखनी चाहिये। साथ ही मैं यह कहूंगा कि यह जो कहा जाता है कि पश्चिमी जिलों को बिलकुल ही छोड़ दिया गया, वहां कोई काम नहीं किया गया या जो काम किया गया है उसको भी नजर अन्दाज किया जाता है यह सही है। पश्चिम को नजर अन्दाज नहीं करना है और इससे किसान का बड़ा भारी नुकसान है। इसके अलावा, चूंकि समय थोड़ा है, एक प्रार्थना इस सदन से करूंगा कि जहां-जहां पर नहर हैं वहां कैनाल ड्रेनेज भी है लेकिन कई वर्षों के अन्दर इस प्रदेश में देखा गया है कि उन ड्रेन्स को साफ नहीं किया गया है, जिस से गांवों में बहुत बाढ़ आ जाती है और नुकसान हो जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि उन कैनाल ड्रेन्स की सफाई का जल्द से जल्द इन्तजाम करना चाहिये वरना आने वाली बारिश में फिर गांवों को नुकसान होगा।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)——माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान के सम्बन्ध में कुछ कहने के पूर्व मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं माननीय सूचना मंत्री जी को आज के अनुदान के लिए बधाई दूं। परन्तु इस बधाई के पश्चात् मुझे खेद है कि मैं उनसे जो शिकायत करूंगा वह यह कि यद्यपि वृहस्पति का उदय हुआ, फिर भी अभी तक इलाहाबाद पर बटलरी शनि की वक्र–दृष्टि शेष है। और इस लम्बे बजट में केवल इसी वर्ष नहीं पिछले तीन वर्षों से बावजूद हमारे सुझावों के इलाहाबाद जिले पर उनकी कृपादृष्टि अभी तक नहीं हुयी और कोई भी सिंचाई या नहर आदि की योजना उस तरफ नहीं चलायी गयी। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद की जनसंख्या और उसके महत्व की दृष्टि से वह जिला ऐसा नहीं है जिसकी इतनी उपेक्षा जो, अंग्रेजी शासन काल में रही है, वही अभी भी बनी रहे। पश्चिम और पूरब दोनों तरफ से इतना शोर उठता है कि इलाहाबाद जिला उसमें खो सा जाता है और मैं समझता हूं कि जितनी भी योजनायें न केवल इस विभाग की बल्कि और विभागों की भी दिखायी देती हैं उनमें इलाहाबाद का कहीं स्थान नहीं है। इलाहाबाद जिले का वह भाग जो बनारस से मिला हुआ है जिसकी तरफ कुछ शारदा नहर के बढ़ाने की योजना सरकार की कल्पना में कुछ वर्ष पूर्व थी वह आजतक सफल नहीं हुयी। सरकारी विभाग से कुछ नलकूपों की योजना गत वर्ष बनायी गयी थी। परन्तु दो वर्ष में अब तक वहां मशीन नहीं मिली और विभागीय लिखा-पढ़ी में ही अधिकारी अब तक लगे रहे और जब कि हालत यह है कि जहां पर पहले योजना १५ हजार रुपये की थी, उसके लिए २२ हजार,

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

३० हजार और फिर अब ४० हजार लगा दिया गया, जब कि वहीं पर पास ही में एक नलकूप २२ हजार रुपये में बना। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और इलाहाबाद जिले की ओर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सम्पूर्ण प्रांत में पानी पहुंचा रहे हैं तो उस जिले को ही सूखा न रखें। उसी सम्बन्ध में कुछ विभागीय शिकायतें भी हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जमुना पार में टोंस व बेलन नहर की जो योजना है उसके विभागीय कर्मचारी ऐसा करते हैं, यद्यपि अभी तक योजना चालू नहीं हुयी है फिर भी जहां कहीं पानी पहुंचता है, यदि गलती से पानी टूट जाता है और किसानों के खेत में पहुंच जाता है तो वह कर्मचारी मनमाने ढंग से उन पर सरचार्ज करते हैं और इसके अलावा भी मेरे सुनने में आया है कि वह अनुचित तरीके से उनसे पैसे लिया करते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें माननीय मंत्री जी के पास आयी भी थीं परन्तु वह भी अभी विभागीय लिखा पढ़ी और फाइलों में ही पड़ी हुयी हैं। मैं चाहता हूं कि फाइलों से कुछ आगे उन शिकायतों पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें और उन किसानों की तकलीफों को दूर करें।

जहां तक कि दोआबे की नहर का सम्बन्ध है, बहुत दिनों से वही नहर का एक हिस्सा है, उसका भी कोई विस्तार नहीं हो रहा है, केवल एक कोने में वही नहर है। अगर उसका विस्तार हो तो कम से कम दोआबे का क्षेत्र तो पानी से फायदा उठा सके। इलाहाबाद की कुछ तहसीलों में जैसे सोराम तहसील जहां कि शारदा कैनाल की नहर फैली हुयी है, अभी पिछली बार जो वर्षा हुयी, उससे सारी सोराम तहसील पानी में डूब गयी। उसके जो बांध हैं गांवों के समीप हैं वह पानी को निकलने से रोक देते हैं। मेरा सुझाव यह है कि माननीय मंत्री जी उसकी देखभाल करायें। वह जहां पर गांवों में पानी को रोकता हो वहां से पानी निकालने का प्रबन्ध करायें और इसी तरह से जो नहरों का और प्रसार हो, उनका प्रसार करते समय भी इस बात पर ध्यान दें कि किस तरह से वहां के गांवों का पानी निकल सकेगा। अगर पानी निकलने का रास्ता नहीं रहेगा तो इन नहरों से क्षति भी बहुत पहुंच सकती है।

मुझे यह भी मालूम हुआ है कि गंगा में नौसंचालन का कोई बोर्ड है जिसके लिए सरकार ने कुछ सहायता का अनुदान रखा है। पुराने समय में इलाहाबाद तक गंगा में स्टीमर आ सकते थे और इलाहाबाद वालों की इस सम्बन्ध में बहुत पुरानी मांग रही है कि किसी तरह अगर स्टीमर आने जाने का मार्ग फिर बन सके तो बनारस, मिर्जापुर आदि गंगा के किनारे के शहर बहुत लाभ उठा सकते हैं जो कि पुराने जमाने में इससे लाभान्वित होते थे। बहुत से किनारे के रहने वाले इस प्रकार के यातायात के साधनों से लाभ उठा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद जिले में फूलपुर और हंडिया तहसीलों में बहुत से ऐसे स्वाभाविक बड़े बड़े जलाशय हैं जिनसे लाभ होने के स्थान पर हानि हुआ करती है। प्रायः अति वर्षा में, जलाशय, नालियां आदि न होने के कारण अपनी सीमाओं को तोड़ कर बहुत से किसानों के खेतों को भर देते हैं। जिससे बहुत क्षति होती है।

बनारस और इलाहाबाद जिलों की सरहद पर 'गवायन' नाम का एक बड़ा ताल है जिसके सम्बन्ध में विभाग से कुछ जांच भी हुयी थी और कुछ नालियां निकालने की तजवीज भी हुयी थी। लेकिन पिछले तीन वर्षों से वह योजना कार्यान्वित नहीं हो रही है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान उस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---अध्यक्ष महोदय, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि सिंचाई विभाग बड़े महत्व का विभाग है। अगर हमें पंचवर्षीय योजना को चलाना है तो निश्चय ही इस विभाग को बहुत ज्यादा उत्साहपूर्वक हमें काम करने का मौका देना पड़ेगा। इस विभाग की कामयाबी में पंचवर्षीय योजना की कामयाबी है। और पंचवर्षीय योजना

की कामयाबी में उत्तर प्रदेश और देश की कामयाबी है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि इसमें काफी वृद्धि हुयी है। और जैसे इसके आंकड़े दिये गये हैं, १९५६ तक इसमें काफी तरक्की होने की सम्भावना है। २८ प्रतिशत नहरों की लम्बाई में ५० प्रतिशत सिंचाई में और बिजली के कुओं में ढाई गुनी वृद्धि होने की सम्भावना है। यह तो निश्चय है। लेकिन यह भी ठीक है जहां यह वृद्धि हुयी है वहां कुछ कमी भी हुयी है और उसके कुछ कारण भी हैं। जहां हम देखते हैं कि आबपाशी के रेट दुगुने बढ़ गये हैं, मैं अपने मथुरा जिले के सम्बन्ध में जहां आगरा नहर है, वहां के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आबपाशी का सवा दो गुना रेट बढ़ा है उसी के अनुपात में सवा दो गुना पानी भी कम हुआ है। उसकी वजह कोई भी हो मैं नहीं कह सकता। उस कमी के अनुसार अगर हमारे यहां के आबपाशी के आंकड़ों को देखा जाय, जो कि पांच सात दिन हुए हमारी विधान परिषद् में दिये गये हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगरा नहर में कहीं भी कलवर्ट नहीं बने, बांध नहीं बने, एक भी ट्यूबवेल नहीं बना और १९४९–५० के आंकड़ों को देखें तो २ लाख ५३ हजार ४१२ एकड़ सिंचाई हुयी है और १९५२–५३ में ३ लाख ४२ हजार ५११ एकड़ सिंचाई हुयी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि करीब ९० हजार एकड़ सिंचाई दो तीन साल के अन्दर कैसे बढ़ी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब रजबहे कम चले हैं, कुलाबों की तादाद भी कम हुई है, पानी कम हुआ है, जहां गेहूं में तीन चार पानी देने का कायदा है वहां एक एक पानी लगा हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये सिंचाईके आंकड़े कैसे बढ़ गये। एक तरफ रेट बढ़ाये जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि जब हमें पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है तो रेट बढ़ाने ही होंगे लेकिन जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि यह भी एक सौदा है, अगर हम उतने की की चीज देते हैं जितना लेते हैं तो देने वाला एक तरह से संतुष्ट होगा। मगर हम उससे जितना लें, उतनी पूर्ति न करें और वह संतुष्ट न हो तो मैं कहूंगा कि यह गलत चीज है। इसलिये हम को रेट के अनुसार पानी देना पड़ेगा या रेट कम करने पड़ेंगे।

इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जहां हमारा इसमें बढ़ाने का संबंध है वहां यह भी है कि हम अपने कर्मचारियों की ओर भी ध्यान दें। इससे भी ज्यादा कामयाबी हो सकती है। जहां तक पटरी काटने का सवाल होता है ज्यादातर काश्तकार उसमें शामिल होते हों। लेकिन बहुत कुछ जिम्मेदारी उसमें अधिकारी वर्ग की भी है। जिला प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में इंजीनियर साहब से मैंने यह कहा था कि हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं, हम अपने वर्कर्स लगाने के लिये तैयार हैं अगर उनका सहयोग हो लेकिन पूरे तौर से सहयोग जब तक दोनों तरफ से नहीं तब तक कामयाबी नहीं हो सकती। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तहसील छाता में रहता हूं वहां मैंने अमीन और पतरौल की शिकायत की। मेरे गांव से ४ रजिस्ट्री भेजी गई और यह कहा कि उन्होंने पानी के पर्चे देने में रिश्वत ली है। इंजीनियर महोदय से प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में खुले आम कहा गया लेकिन ६ महीने तक कोई कार्यवाही न हुई हो तो अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कह सकता हूं कि इसमें सुधार किया जाना चाहिये और इसमें जितना सुधार होगा उतनी ही तरक्की होगी और जितनी तरक्की होगी उतनी ही पंचवर्षीय योजना की कामयाबी होगी और इस कामयाबी में हमारे उत्तर प्रदेश की भी कामयाबी है। यह मैं कह सकता हूं कि इसमें तरक्की अवश्य हुई है। सन् ४६ में कुओं का निर्माण हुआ था ११ के करीब अब ३३,५०० कुएं तैयार हो गये हैं। इसी तरह से बोरिंग और नहरों में भी वृद्धि हुई। लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि वह हमारी तरफ भी ध्यान दें और मेरे सुझाव की तरफ जरूर खयाल करें तभी हमारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं।

श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कल भी अर्ज कर चुका हूं मेरा जिला बड़ी हद तक नजरन्दाज कर दिया गया है। मैं ऐसे इलाके

[श्री मुश्ताक अली खां]

से आया हूं जहां इस तरह की कोई शिकायत नहीं है कि महसूल ज्यादा लिया जाता है या आबपाशी का रेट ज्यादा बढ़ गया है या वहां पर सिंचाई के मुताल्लिक किसी किस्म की शिकायत हो। जिस इलाके से मैं आया हूं वहां न कोई ट्यूबवेल्स हैं जिसके लिये कोई महसूल लिया जाता हो, न वहां कोई नहर निकाली गई है जिसके लिये आबपाशी की दर पर शिकायत हो।

जिला बदायूं की आबादी ११ लाख की होगी। इस ११ लाख आबादी में से तीन तहसीलों में ५ लाख आदमी रह रहे हैं और यह ऐसा रकबा है जहां सिंचाई का कोई इन्तजाम नहीं है। ये तीन तहसीलें सहसवान, गिन्दौर और बिसौली हैं लेकिन इस वक्त तक वहां सिंचाई का कोई इन्तजाम नहीं है। आसमान से थोड़ा बहुत पानी जो बरस जाता है उसी पर वहां के लोग मुनहसिर करते हैं। जमीन की कूव्वते पैदावार की हालत यह है कि फी बीघा चार मन अनाज पैदा होता है। अभी थोड़ा अर्सा हुआ मैं तो उस मौके पर हाजिर नहीं था, हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब वहां तशरीफ ले गये थे। मुझे यह मालूम नहीं कि उन्होंने जिला बदायूं के उस इलाके को भी देखा या नहीं देखा लेकिन मैं यह समझता हूं कि गालिबन वह उस इलाके को नहीं देख पाये। तो अब मेरी गुजारिश यह है कि इतना बड़ा रकबा जिसमें सिंचाई का अब तक कोई बन्दोबस्त नहीं है और जब कि सिंचाई खेती बाड़ी के लिये एक लाजिमी चीज है जिससे कि देहात के रहने वाली जनता का ज्यादातर ताल्लुक है, मैं आपके द्वारा जनाब मंत्री जी से अदब से गुजारिश करूंगा कि उनको इस इलाके की जानिब तवज्जह कर लेना चाहिये और सिंचाई का वहां पर कुछ न कुछ बन्दोबस्त कर देना चाहिये। इसके अलावा एक दूसरी चीज है कि जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित हुआ हूं उसका बहुत सा इलाका ऐसा है जिसमें बरसात के जमाने में पानी बहुत भर जाता है और काश्त के लिये बिलकुल नाकाफी हो जाता है जिस तरीके से पूर्वी अंचल में यह बन्दोबस्त किया जा रहा है कि ऐसा रकबा जो पानी भर जाने की वजह से नाकाबिले काश्त हो जाता है उससे पानी खींच लिया जाता है। तो क्या पश्चिम के अंचल जहां पर ऐसी सूरत वाकया है वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर जनाब मंत्री जी थोड़ा तवज्जह फरमायेंगे तो यह काम भी हो सकता है। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करूं कि एक इलाका ऐसा भी है कि जहां पर १०० साल हुये एक नाला निकाला गया था जिसके जरिये से बरसात का जो पानी होता था वह गंगा में बहकर पहुंच जाता था। अब अरसे से यह नाला बन्द पड़ा था। वह नाला क्या है उसकी नहर की सी एक सूरत है। लेकिन पिछले श्रमदान के सिलसिले में उस रकबे की रहने वाली आबादी ने जो ज्यादातर किसान ही हैं उन्होंने खुद मिलकर उसकी सूरत नाले की सूरत से नहर में तब्दील कर दिया। वहां पर जब पानी भर जाता था तो वहां की जमीन नाकाबिले काश्त हो जाती थी अब वह इस काबिल हो गयी है कि उस पर काश्त हो सके। अगर सिंचाई डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरफ तवज्जह की जाय तो वहां पर सिंचाई का बहुत बड़ा जरिया पैदा हो सकता है और जो रकबा नाकाबिले काश्त हो जाता है पानी भर जाने की वजह से वह काबिले काश्त हो सकेगा और इसके होने की निहायत जरूरत है क्योंकि हमारे देहात की रहने वाली जनता की जिन्दगी का दारोमदार ज्यादातर खेती पर है और खेती बाड़ी के सिलसिले में जो रकम सर्फ होगी वह जनता के लिये सर्फ होगी। इतना अर्ज करने के बाद मैं समझता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो रुपया इस सिलसिले में मंजूर होगा उसका कुछ न कुछ हिस्सा मेरे जिले की तरफ मुन्तकिल कर दिया जायगा।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस सदन के सामने आज पेश है उसके बारे में मैं अपने विचार या यों कहें, सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह कि अगर कोई शिकायत किसी खास जिले से आती है और सरकार यदि अपने अधिकारियों की राय के आधार पर ही उस पर विचार करती हो तो वह कुछ हद तक ठीक भी हो सकता है लेकिन यदि एक ही तरफ की शिकायतें बहुत से जिलों से आती हो या यों कहिये कि सूबे के सारे जिलों से आती हों तो सरकार को उस पर दूसरी तरह से विचार करना

चाहिये या आप उसे यों कहें कि अधिकारियों की निगाह से उस प्रश्न को नहीं देखना चाहिये। बहुत से प्रश्न इसी तरह के झगड़े में पड़कर ठीक ढंग से तय नहीं हो पाते हैं। क्योंकि सरकार हर एक प्रश्न को अधिकारियों की दृष्टि से देखती है। आज जो टैक्स का मसला इस सदन में छिड़ा हुआ है उस प्रश्न पर यदि अधिकारी वर्ग की निगाह से सरकार नहीं देखती तो आज यह प्रश्न सामने ही नहीं होता और टैक्स देने की इस तरह की शिकायत हर एक जिले से न आती। टैक्स कम है या अधिक आज इसका प्रश्न नहीं है पर हर एक जिले की शिकायत यह है कि वह टैक्स आप अवश्य लीजिये पर उसके मुताबिक पानी आप अवश्य दीजिये और उचित समय पर पानी दीजिये। इस टैक्स के देने में किसी को उज्र नहीं है। परन्तु इस प्रश्न को भी जब सरकार अपने अधिकारियों की निगाह से देखती है। तब इस तरह से झगड़े का जोर और ऊंचे स्तर का हो जाता है वरना यदि सरकार अपने अधिकारियों के आंकड़ों पर सदा पूर्णतया विश्वास न करती और जनता के चुने हुये सदस्यों की सदा उपेक्षा न करती और यह समझती कि वाकई पानी कम दिया जाता है और समय पर नहीं दिया जाता है और हमारे अधिकारी वर्ग विशेष तरह से भी अड़चन जनता को पानी मिलने में पैदा करते हैं तो आज टैक्स पर सदन में वादविवाद इस स्तर का न होता। और आज यह टैक्स का मामला जिसमें कि पूरब और पश्चिम का झगड़ा भी उठा दिया गया है न उठता। इसलिये मैंने कहा कि यह सरकार अधिकारियों की ही नजर से सदा हर चीज को न देखे। यही मेरा सुझाव है। चन्द भाइयों ने यह भी कहा कि पश्चिम में टैक्स पूर्व के लिये लग गया है। बहुत समय से यह पूर्व और पश्चिम का सवाल चल रहा है जिसके लिये सरकार ही जिम्मेदार है। यदि सरकार किसी तरह से हमारी ओर भी सिंचाई का समुचित प्रबन्ध पहले ही कर लेती तो प्रश्न ही आज न उठता या जहां कि बहुत थोड़ी जमीन नहरों और ट्यूबवेलों से सींची जाती हो चाहे वह जिले पश्चिम के हों या पूर्व के, उन्हीं जिलों में सिंचाई का काम पहले शुरू करती बनिस्बत उन जिलों के जहां सिंचाई का काफी प्रबन्ध है तो भी यह झगड़ा आज खड़ा न होता जहां पानी की जरूरत ज्यादा हो वहां पानी पहले देना ही चाहिये। और जहां पानी का कुछ प्रबन्ध हो वहां यदि और अधिक पानी देने का प्रबन्ध कुछ देर में शुरू किया जावे तो विशेष अनुचित न होगा।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आज ३ दिन की उठक बैठक के व्यायाम के बाद मुझे बोलने का अवसर दिया। सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य अन्त में ठीक रास्ते पर आ जाते हैं। जब किसी भी बात को कहने के लिये वे खड़े होते हैं तो वे सीधे नाक न पकड़ कर पीछे से पकड़ते हैं। यानी जो बातें सही हैं उनको वह कह ही डालते हैं। वही बात जब हम कहते हैं तो टीका टिप्पणी करने लगते हैं। मैं कहूंगा कि सिंचाई के बारे में सिंचाई मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। अभी पूर्वी पश्चिमी जिलों का सवाल आया, इसमें मुझे नहीं पड़ना है।

कृषि के कामों में जो प्रधान साधन हैं उसमें से सबसे प्रधान पानी का साधन है। अगर खेती के सब साधन हों और पानी न हो तो सब साधन बेकार हैं। मैं पूर्वी जिलों के बारे में बतलाऊं। कुछ दिन पहले काफी पानी प्रकृति की तरफ से मिला करता था। हमको सरकारी सिंचाई साधनों की इतनी आवश्यकता नहीं महसूस होती थी। हमारा काम करीब-करीब उसी से चल जाता था क्योंकि साल में हमारे यहां लगभग ४७ या ४८ इंच पानी बरस जाता था। जिससे कि इन जिलों में पानी की सिंचाई करने की बहुत कम जरूरत पड़ती थी लेकिन कुछ वर्षों के बाद कम वर्षा के कारण वहां की जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गयी और हालत यह हो गयी कि कहीं कहीं पर जितना बीज डाला जाता है उतना भी नहीं हो पाता। पश्चिमी जिलों को देखिये कि वहां पर जमुना नहर, अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, आगरा नहर, शारदा नहर, बुन्देलखंड में बेतवा नहर, केन नहर और घाघरा नहर आदि अनेक नहरों का

[श्री रामसुभग वर्मा]

जाल सा बिछा हुआ है जब कि पूर्वी जिलों में उनका नाम तक नहीं दिखाई पड़ता है। इससे पहिले इन जिलों के लिये कभी भी नहरों का नाम तक नहीं आया। अब सरकार का ध्यान सन् ५० से पूर्वी जिलों की तरफ गया और पूर्वी जिलों में भी सिंचाई की जरूरत देख पड़ी। हमने देखा कि गोरखपुर, बस्ती और देवरिया में १०० नलकूप लगाये गये वह भी सन् ५० से ५३ तक तैयार हुये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन नलकूपों की हालत को बताना चाहता हूं यह लिखा हुआ है कि एक नलकूप ४०० एकड़ जमीन को सिंचाई करेगा लेकिन जहां मैं रहता हूं वहां एक नलकूप एक-डेढ़ साल में जाकर तैयार हुआ और जो लोग उसको बना रहे थे उन्होंने उस नालियों को ट्राई नहीं किया कि उसमें से पानी कैसे पास होगा। लेकिन जब सिंचाई का वक्त आया तो नालियों से खेत में पानी पहुंचता है और फूटकर बहने लगता है और मशीन गर्म होने के कारण बन्द हो जाती है। आपने लाल रोशनी लगा दी, मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं। सिंचाई के बारे में जो माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था की है उसके बारे में हर एक शिकायतों को सदन के सामने रखना चाहता हूं। अभी भी आपने सुना होगा कि पश्चिमी जिलों में नहरों के पानी पर रेट बढ़ा दिया गया है उसके सिलसिले में १५० व्यक्ति गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री गजेन्द्र सिंह जी भी उसी सिलसिले में गिरफ्तार हुये हैं। जब पानी की जरूरत पड़ती थी उस समय पर पानी बरसने के लिये इन्द्रदेवता की लोग पूजा करते थे लेकिन हमारे माननीय देवता सिंचाई मन्त्री जी की पूजा के बदले में लोगों को जेल जाना पड़ रहा है। यह अव्यवस्था का एक उदाहरण है।

दूसरी बात यह है कि गोरखपुर में जो नहर है उसके लिये बहुत कम रुपया रखा गया है। गोरखपुर में नहर और बिजली के लिये तीन लाख रुपया था जिसको १ लाख ६२ हजार कर दिया गया है। इस कारण से पानी की व्यवस्था में अव्यवस्था चल रही है। इतने रुपयों में काम पूरा नहीं हो सकता। माननीय मन्त्री जी का कदम बहुत धीमे चल रहा है। गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के लिये मैं खास तौर से प्रार्थना करूंगा कि वहां इन ट्यूबवेल्स से काम नहीं चलने वाला। देवरिया जिले में जो नारायणी नदी (बड़ी गंडक) है उससे नहर निकाली जाय तो उस से वहां के कोने-कोने में पानी पहुंच जायगा और वहां सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सकेगी और जहां नहर का पानी न पहुंच सके वहां ट्यूबवेल और कुएं का बन्दोबस्त शीघ्र किया जाय।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सिंचाई मन्त्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सिंचाई कार्य के सम्बन्ध में जो अपने कार्य का परिचय दिया है उसके कारण हमारे प्रान्त की जनता आभारी है। जिस समय हमारे माननीय मन्त्री जी को सिंचाई मन्त्री बनाया गया था उस वक्त कुछ लोगों ने यह आशंका प्रगट की थी कि एक साहित्यिक व्यक्ति सिंचाई मन्त्री बनाये गये हैं, क्या वे सुचारु रूप से इस कार्य को कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन अब इतने वर्ष उनके कार्य करने के बाद मेरा विश्वास है कि इस प्रान्त में ही नहीं बल्कि भारत-वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को कहना पड़ेगा कि हमारे प्रान्त के सिंचाई मंत्री जी ने जिस प्रकार से कार्य किया है उस प्रकार कभी इस प्रदेश में क्या हिन्दुस्तान में किसी और जगह कार्य नहीं हुआ है। लेकिन हमारे प्रान्त का एक दुर्भाग्य है वह यह है कि कोई ईमानदारी से कार्य करे या कुछ शिथि-लता से कार्य करे हमारे लाल टोपी वाले भाई उसकी मुखालिफत या दोष निकालने के लिये हमेशा खड़े ही रहते हैं।

मैं उन भाइयों का आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बम्बई प्रान्त के कोयना तथा अन्य डाम की तरफ जहां सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने भी उनके बनाने में हर तरह से सहयोग दिया है ताकि वह स्कीम कामयाब बने और वे बहुत जोरों के साथ सहयोग दे रहे हैं। इसलिये मैं उनका ध्यान आकर्षित करता हूं कि सिंचाई का कार्य सिंचाई की जो सहूलियत है वह गांव के किसानों के लिये उसी प्रकार कार्य करता है जैसा कि किसी रोजगारी के लिये इन्श्योरेंस काम करता है। जिस गांव में वहां के रहने वाले काश्तकारों के लिये यदि

आप पानी का प्रबन्ध कर दें तो फिर मानना पड़ेगा कि उस इलाके की फसलों में कभी धोखा नहीं हो सकता । यह मत भारत का ही नहीं बल्कि विदेशों के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स का भी है । यदि हमारे प्रान्त के गांव गांव में नहरों का इन्तजाम कर दिया जाय, ट्यूबवेल्स का इन्तजाम कर दिया जाय, गांवों में जो तालाब हैं उनको खुदवा दिया जाय और उनमें पानी का इन्तजाम कर दिया जाय तो मेरा विश्वास है कि हमारे प्रान्त के अन्दर अन्न की कमी कभी नहीं हो सकती। यह बात हो भी सकती है कि इतनी जल्दी हमारे प्रान्त में नहरें कायम न हों उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं स्थानीय कर्मचारी या अधिकारी गण उस ओर ध्यान भी नहीं देते हों लेकिन उसके कारण सरकार को दोषी ठहराया जाय या सरकार के खिलाफ प्रचार किया जाय तो यह उचित नहीं मालूम होता है । जिस तरह अभी शिकायतें बतलाई गयी हैं उन शिकायतों को हल करने के लिये स्थानीय कर्मचारियों और वहां के अधिकारियों के पास उस क्षेत्र का मेम्बर जाय और वह इस बात पर डट जाय, और यदि अपने क्षेत्र में हमेशा दौरा करें या हमेशा वहां के अधिकारियों से मिले गांव के रहने वाले हैं और उनकी दिक्कतों का अध्ययन करने का प्रयत्न करें, तो मैं समझता हूं कि वह शिकायत वहीं समाप्त हो सकती है और उसकी यहां शिकायत करने की आवश्यकता नहीं पड़े । लेकिन यदि आप एबसेंटी लैंड लार्ड की तरह से चुने जाने के बाद अपने हल्के का दौरा न करें, गांवों में जाकर वास्तविकता का अध्ययन न करें तो फिर शिकायतें तो होती ही रहेंगी और अधिकारीगण भी आपकी बात को नहीं सुनेंगे । सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि ६, ६ महीने १०, १० महीने तक शिकायत करने के बावजूद भी उसका कोई हल नहीं होता है । मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे लोग अधिकारियों के पास जाते हैं तो सही तरीके से कुछ कार्य बतलाने का प्रयत्न नहीं करते । वहां वे लड़ने की प्रवृत्ति से ही जाते हैं, इससे कोई कार्य नहीं होता है । अगर ठीक से हर चीज बतलायी जाय तो मेरा विश्वास है कि अधिकारीगण जो जिले में हैं ठीक तरह से उसको हल कर सकते हैं । मुझे तो जरा आश्चर्य हुआ राजा साहब जगमनपुर की बात के संबंध में उन्होंने शुरू में तो मंत्री महोदय को धन्यवाद भी दिया और आखिर में चलते हुये चेतावनी भी दे दी । यह दोनों कंट्रेडिक्शन किस प्रकार चल सकते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती । मैं सिर्फ इतना निवेदन करता हूं कि अभी यह कार्य नया है शुरू का है और कुछ समय के बाद अगर यह कार्य चलता रहे तो फिर शिकायत नहीं रहेगी ।

एक निवेदन मुझे करना है कि जहां नहरें बनी हुई हैं वहां पर बीच में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कें आयी हुई हैं उनके जरिये से पानी रुक जाता है और पानी का बहाव न होने की वजह से वहां पर बाढ़ आने लगती है और उससे फसलें नष्ट हो जाती हैं । अभी प्रतापगढ़ जिले में बकुलाही नदी में बाढ़ आ गई इसके कारण नहरें और सड़कों के बीच के पानी निकलने का रास्ता वहां नहीं रह गया । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस ओर सरकार को सोचना चाहिये कि जहां नहरें बनायी जायं वहां पानी बहने का रास्ता जरूर निकाला जाय ।

सिंचाई उप-मन्त्री (श्री राममूर्ति)––अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ९ के सम्बन्ध में इस सदन के लगभग १२ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और अक्सर भाइयों ने इस महकमे की बड़ी तारीफ की और सरकार की भी तारीफ की । मैं उन सब सदस्यों का बड़ा आभारी हूं । कुछ भाइयों ने अपने सुझाव भी रखे हैं । मैंने उनको नोट किया है और हमारी यह कोशिश होगी कि जितने सुझाव मानने योग्य हैं उनको हम मानें और इस बात की कोशिश करें कि उन पर कार्य हो । कुछ आलोचनायें भी हुईं उनको भी हमने नोट कर लिया है और इस बात की कोशिश की जायगी कि जहां तक हो सके जितनी गुंजायश हो उनको भी देखें और अगर वे मानने योग्य हों तो वह मानें । वैसे तो सरकार की शुरू से यह कोशिश रही है कि इस प्रदेश की जनता का और विशेष कर इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त हो और जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी भी

[श्री राममूर्ति]

कराते जायं। और इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुये हमने हर जिले में इर्रीगेशन कमेटियां बनाई हैं और माननीय सदस्यों को इस बात का मौका दिया है कि वे स्थानीय नहर विभाग के कर्मचारियों से मिल कर और जनता से मिल कर जो उनकी मुसीबतें हैं उन सबको उनकी नोटिस में लावें और जहां तक हो सके वे दिक्कतें दूर की जायं। दौरों के वक्त भी हमने इस बात का खयाल रखा है कि ज्यादा से ज्यादा उनको इत्तिला दी जाय और दौरों में उनको साथ ले जाया जाय और जितनी उनकी दिक्कतें हैं और ऐसे मसले हैं जो मौके पर दुरुस्त किये जा सकते हैं उनको दूर किया जाय और इसमें बहुत हद तक हम कामयाब भी हुये हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय उपमंत्री जी ने अभी बताया है कि इर्रीगेशन कमेटियां हर जिले में बनी हैं। मैं नहीं जानता कि बुंदेलखंड में या मेरे जिले जालौन में ऐसी कौन सी कमेटी बनी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि इर्रीगेशन कमेटियां सब जगह बनी हुई हैं और अगर हमारे राजा साहब को इसका पता नहीं है तो इसमें मेरा दोष नहीं है। प्लानिंग कमेटियों के जिम्मे यह किया गया और आर्डर्स भी ईशू हो चुके हैं कि प्लानिंग आफिसर्स वहां के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिल कर इर्रीगेशन कमेटी बनायें। वहां कमेटी बनी होगी। पारसाल भी मैंने एलान किया था कि वहां कमेटी बनी हुई है। राजा साहब कहते हैं कि नहीं बनी हुई है। कम से कम मुझे ऐसी सूचना नहीं है और अब मैं इसकी जांच करूंगा कि वहां बनी है या नहीं बनी है।

श्री राममूर्ति—मालूम होता है कि राजा साहब इस कमेटी के मेम्बर नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो देख लिया जायगा और वे उसमें हो जायंगे।

हमारे बुजुर्ग नेता ठा० मलखान सिंह जी ने कहा कि कमजोर आदमी पानी नहीं पाता है और मजबूत जो आदमी होते हैं उन्हें ही पानी मिलता है। मुझे इस बात को सुनकर ताज्जुब हुआ। हर जिले में और खास कर अलीगढ़ जिले में जहां कि नहरें बहुत पुराने जमाने से चली आ रही हैं इसके लिये एक तरीका है जिससे कमजोर से कमजोर आदमी पानी का इस्तेमाल किया करता है। हमारे यहां मैनुवल में एक ऐसा प्राविजन है कि अगर किसी काश्तकार को पानी नहीं मिलता है या दूसरे काश्तकार रुकावट डालते हैं तो १५ आने का टिकट लगाकर दरख्वास्त दी जा सकती है। डी० आर० ओ० उस पर कार्यवाही करता है और ऐसे आदमी को सजा दी जा सकती है। ऐसी हालत में यह कहना कि कमजोर आदमी को पानी नहीं मिलता और सिर्फ मजबूत को ही मिलता है यह ठीक नहीं है। उसी के साथ-साथ मैं समझता हूं कि हमारा सब का फर्ज यह भी है कि और खासतौर पर जितने एम० एल० ए० साहबान हैं, कि वह इस पंचायत राज के जमाने में ऐसा वातावरण पैदा करें कि जो कमजोर हैं वह भी ऊपर उठ सकें और उनके अन्दर संघटन हो सके। अगर उनको कोई चीज नहीं मिलती है अपने हकों के मुताबिक तो उसे भी वह पा सकें।

ठाकुर साहब ने पहले भी और आज भी ट्यूबवेल नम्बर ९६ का जिक्र किया। यह ट्यूबवेल १३५५ फसली में बना था। उस वक्त उसमें ३३ हजार गैलन पानी डिस्चार्ज करने की ताकत थी। ५ साल चलने के बाद वह ट्यूबवेल फेल हो गया। उसके बाद ही दूसरा ट्यूबवेल बनाया गया जिसका डिस्चार्ज १२ हजार गैलन पानी का है। वह आज भी काम कर रहा है लेकिन चूंकि उसका डिस्चार्ज सन्तोषजनक नहीं है इसी वजह से दिक्कत है। उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने गौर किया है और वहां पर एक सिल्टेड ट्यूबवेल, नये किस्म का बनाने का विचार है जैसे कि प्रान्तों में और जगहों पर बने हैं। इस तरह से मैं समझता हूं कि ठाकुर साहब की शिकायत दूर हो जायगी।

उनका यह कहना कि वह ट्यूबवेल वहां इसलिये नहीं बनता क्योंकि वहां पर सोशलिस्टों को वोट मिले हैं और कांग्रेस को नहीं मिले। मुझे इसको सुनकर ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं खुद वहां गया था, वहां इसका कुछ जिक्र हुआ लेकिन वहां के ही लोगों ने उन्हें रोक दिया। मैंने उन्हें अश्योरेन्स दी कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता। चाहे वोट सोशलिस्टों को मिलें या कांग्रेस को मिलें, हमारे डिपार्टमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मुहकमा तो सेवक है और जो मुनासिब काम होगा वह किया जायगा।

हमारे ठाकुर साहब ने एक यह भी शिकायत की कि पानी ठीक वक्त पर नहीं मिलता है। हो सकता है कि यह शिकायत रबी के मौसम पर अमूमन की जाती हो। इसकी वजह यह है कि रबी की सिंचाई का समय बहुत निर्धारित होता है। करीब करीब पौने दो महीने के अन्दर सभी पानी लेने की कोशिश करते हैं और वह ऐसा वक्त होता है जब कि दरियाओं में पहाड़ों पर बरफ जम जाने की वजह से पानी कम पड़ जाता है और दूसरे समय भी कम होता है और हर आदमी इस बात की कोशिश करता है कि उसे वक्त से ही पानी मिल जाय, इसी वजह से ही ऐसा होता है कि पानी वक्त से नहीं मिलता वरना हमारी तरफ से जानबूझ कर ऐसी कोई कोशिश नहीं है कि उनको पानी वक्त पर न दिया जाय। हमारे मुहकमे का तो इसी में फायदा है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी पानी लें और उसी से आमदनी बढ़ती है।

श्री बलवन्त सिंह जी ने सिंचाई के रेट्स के बढ़ने के बारे में जिक्र किया। यद्यपि यह विषय बहुत पुराना हो गया है और इस विषय पर हमारे माननीय मंत्री जी ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इसके बारे में चर्चा की है। फिर भी मैं कुछ थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं वह यह कि जब रेट्स बढ़ाये गये थे वह गरानी को देखते हुये बढ़ाये गये थे लेकिन सरकार ने यह अश्योरेन्स भी दिया था कि अगर दो तीन साल में गरानी कम हो जायगी और अगर काश्तकारों की आय कम देखी जायगी तो यह रेट भी उसी अनुपात से कम कर दिये जायंगे। लेकिन जो मौजूदा इतिहास है वह यह बताता है कि कोई भी मुल्क जो गुलामी से उठा और उसने यह कोशिश की कि वह अपनी गरीबी को दूर करे तो उसे कुछ वक्त तक तकलीफ उठानी पड़ी। सारे माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि अपने देश के अन्दर एक भाग ऐसा है जहां पानी का कोई साधन नहीं है और हमारी आमदनी और हमारा जो कोष है उसकी स्थिति को भी आप सब लोग जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में बजुज इसके कि कुछ दिनों तक हम तकलीफ जान बूझकर और उठायें और अपनी उस आमदनी का थोड़ा बहुत हिस्सा सरकार को दें जिससे दूसरी जगहों में यह हमारे काम पूरे हों, और कोई चारा सरकार के सामने है नहीं। और जो कुछ भी रुपया हमारे पास आता है उससे हम हमेशा इस बात की कोशिश में रहते हैं कि उसको सिंचाई के मुहकमे में लगायें। तमाम जो बांध बंध रहे हैं, नयी-नयी नहरें खुद रही हैं, नये-नये ट्यूबवेल्स बनते चले जा रहे हैं, डैम्स बनते जा रहे हैं, इन सब बातों में हम उस रुपये को लगाते हैं। मैं समझता हूं कि इसको देने में लोगों को खुशी होनी चाहिये और उनको सन्तोष होना चाहिये कि उनके प्रदेश में जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पानी के कोई साधन नहीं हैं, उनके लिये वह अपनी रोटी का थोड़ा सा हिस्सा देते हैं। माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि जो लोग इन रेट्स के लिये एजिटेशन करते हैं आन्दोलन करते हैं उनको वे समझायें कि यह आन्दोलन का विषय नहीं है, यह तो बड़ा विचारणीय विषय है, इसमें सारे प्रदेश की जनता को अपना कुछ न कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। जब तक सरकार के पास चार पैसे नहीं होंगे तब तक उन हिस्सों में जहां पानी के साधन नहीं हैं वहां सरकार कैसे पानी के

[श्री राममूर्ति]

साधन उपलब्ध कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, आपने तो रोशनी जला दी और अभी बहुत से ऐसे हमारे साथी सदस्य हैं जिन्होंने बहुत सी बातें कहीं, परन्तु मैं उनका उत्तर नहीं दे सका हूं। मैंने ग़लती की कि मैं कुछ पहले नहीं खड़ा हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं सब भाइयों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने सब बातें नोट कर ली हैं और जब अनुदान संख्या १० आवेगा तब मैं उन सब बातों का जवाब देने की कोशिश करूंगा।

इसके अलावा बहुत से भाइयों ने और बहुत सी बातें कहीं, कुछ अपने जिले के बारे में कहीं और कुछ जनरल किस्म की बातें कहीं। माननीय बलवन्त सिंह जी ऐसे इलाके से आते हैं जहां पानी के मामले में जो किसान भाई हैं वह बड़े होशियार हैं। आपने कहा कि वहां ऐसे पाकेट्स बन गये हैं जहां पानी नहीं मिलता है। मैंने दौरे के वक्त कहा था कि अगर ऐसी बात है तो जहां पानी नहीं मिलता है वहां के लिये मैं अपने डिपार्टमेंट से रिलीफ दिला दूंगा और वहां के किसान भाई कुएं बना लें और उन कुओं से आबपाशी कर लें। बहरहाल, मैं इन शब्दों के साथ अपने साथी सदस्यों से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि वे इस अनुदान को पास करने की कोशिश करें।

श्री मलखान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके जरिये से केवल मंत्री महोदय और उस तरफ के जो व्हिप हैं उनसे यह कहना है कि कम से कम अपने सदस्यों से यह तो कह दिया करें कि वे किसी की बात को अच्छी तरह सुनें बजाय इसके कि वे ख़ाम ख्वाह लाल टोपी वालों को दोष दें। मैं समझता हूं कि यहां पर जितनी बातें मैंने कही थीं वे केवल वास्तविकता की बातें थीं। यह इस बात से भी साबित होता है कि जितने भी सदस्य उधर से खड़े हुये उन्होंने करीब-करीब हमारी सभी बातों की ताईद की है। जहां तक मैंने सिंचाई के कर के सम्बन्ध में बात कही कि यह अधिक है और यह कम होना चाहिये, उसके लिये भी अधिकतर सदस्यों ने चाहे डाइरेक्टली (सीधे तौर से), चाहे इंडाइरेक्टली (दूसरे तरीके से), ताईद की है। इससे यह सिद्ध होता है कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो आज सत्याग्रह इटावा या और दूसरे जिलों में चल रहा है और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उस सत्याग्रह की इस सदन के लोग ताईद करते हैं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि माननीय मंत्री जी ने एक शिकायत की लेकिन उन्होंने शायद मेरे कहने को ठीक नहीं समझा। मैंने यह कहा था कि उनका जो सरकारी तरीका इतनी देरी का हुआ उससे लोगों के दिल के अन्दर ख्वामख्वाह ऐसी बात पैदा हो गयी इसलिये यहां कुआं नहीं बनता है क्योंकि उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मेदवार को वोट दिये थे। मेरी उन्होंने ताईद की कि जब वे वहां गये थे तो वहां पर इस तरह की शिकायत एक आदमी ने उनसे की थी और मैं तो उनके साथ भी नहीं था। उन दिनों मैं जिला अलीगढ़ में भी नहीं था लेकिन उन्होंने खुद इस बात की ताईद की कि वहां पर कुछ लोगों ने ऐसी बात कही जिसको दूसरे लोगों ने रोका। तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी बातें कही हैं वे जान-बूझ कर सही बातें कही हैं और गवर्नमेंट को जो सुझाव दिये हैं वे भी नेकनियती से दिये हैं। यह जो लोग कहते हैं कि मैंने किसी पर दोषारोपण करने के लिये या गवर्नमेंट की भर्त्सना करने के लिये कहा है, ऐसी न मेरी नीयत है और न मेरा क़ायदा है। मैंने यह भी कहा था कि नहर के जो डिप्टी हैं यह महकमा तोड़ दिया जाय। मैं जानता हूं मैं गांव में पला हूं और शायद अपने डिप्टी मिनिस्टर से ज्यादा गांवों का अनुभव रखता हूं। ओसराबन्दी की बात मैं भी जानता हूं और १५ आने का टिकट लगा कर जो दरख्वास्तें दी जाती हैं वे महीनों पड़ी रहती हैं और उनपर कोई कार्यवाही

नहीं होती है और यह वास्तविकता है कि लाठी वालों को तो खेतों में पूरा पानी मिल जाता है और जो कमजोर आदमी हैं उनको पानी नहीं मिलता। मुझे मालूम है, एक असहाय स्त्री बहरामपुर में है जिसका पांच बीघे का खेत है, वह नाली में बैठ गई और जाड़े के दिनों में बैठ गई फिर भी जबर्दस्ती दूसरे आदमी ने उसको उठा कर फेंक दिया और उसका पांच बीघे का खेत सूख गया। आप शिकायत करते रहिये, मुक़दमा चलाते रहिये और नहर के जो डिप्टी हैं वे सुनते ही नहीं और फिर मुकदमा तो तभी चलाइयेगा जब पैसा होगा, पैसा ही नहीं होगा तो मुकदमा क्या चलाइयेगा। मैं चाहता हूं कि नहर के डिप्टियों का महकमा ही तोड़ दिया जाय और जो दूसरे मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके सुपुर्द यह काम कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिये और यह जो दोहरा इन्तजाम है ट्यूबवेल और नहर का उसके लिये भी आपको सोचना चाहिये कि खर्चा कम हो सकता है। और इस बात के कहने की क्या जरूरत है, ऐसी बात नहीं है जो मंत्री महोदय मुझे न जानते हों, मैं समझता हूं कि मेरे बिना कहे हुये भी वह समझते हैं कि मैं उनको धन्यवाद ही दे रहा हूं जब कि मैं उनको अच्छे-अच्छे सुझाव दे रहा हूं और यह नहीं कह रहा हूं कि वह कोई बुरा काम कर रहे हैं। इसलिये मैंने जो कटौती का प्रस्ताव उनके सामने रखा है वह नेकनियती से रखा है और मैं समझता हूं कि वह इस पर अच्छी तरह से ग़ौर करेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर) (लेखा शीर्षक: १७, १८ और १९-ख) के अन्तर्गत २,४४,७८,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८--सिंचाई स्थापना पर व्यय

श्री कमलापति त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमन्, गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०, (लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८) सिंचाई स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत २,६४,००,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मान्यवर, जैसा कि इस मेरे प्रस्ताव से बहुत स्पष्ट है कि इस रुपये की मांग सिंचाई विभाग की स्थापना और संचालन के लिये की गई है। इस्टेब्लिशमेंट के सम्बन्ध में भी यह मांग है। हमारे सिंचाई विभाग में एक मद तो चलती हुई नहरों की रक्षा और सुधार के सम्बन्ध में है और दूसरी मद उसके इस्टैब्लिशमेंट की है जिसमें हमारे तमाम आफिसर्स, उनके वेतन, नहर के रेट्स वसूल करना तथा अन्य इस प्रकार के और काम आते हैं जिनके द्वारा नहर विभाग का संचालन होता है। जैसा कि अनुदान संख्या ९ के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था कि हमारी नहरों का विस्तार भी होता जा रहा है, हमारे ट्यूबवेल्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है और सिंचाई

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

का क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा है। सम्भवतः उनके रखरखाव में खर्चा अधिक पड़ जाता है और इस्टैब्लिशमेंट पर भी कुछ अधिक खर्चा करना पड़ता है जैसे जैसे इसका विस्तार होगा वैसे वैसे ही खर्चा भी बढ़ेगा।

माननीय सदस्य देखेंगे कि गत वर्ष इस मद में २ करोड़ ३० लाख रुपये मांगे गये थे परन्तु इतने से काम नहीं चला और तीन सवा तीन लाख रुपये की अनुपूरक मांग सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स के द्वारा हाउस ने कृपा करके मंजूर की। इस बार २ करोड़ ६४ लाख रुपये की मांग की गई है और यह मांग इस विचार से की गई है कि जो काम आगामी वर्ष में होने वाला है उसके लिये हमें कुछ इस्टैब्लिशमेंट में विस्तार करना पड़ेगा। एक पूरा सर्किल और दो नये डिवीजन रिहन्द डैम के सिलसिले में कायम हो रहे हैं। जब विद्युत विभाग का बजट आयेगा तो सदन देखेगा कि ४ करोड़ रुपया रिहन्द बांध पर खर्च करने के लिये रखा गया है। इसका जहां तक यानी इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का सिविल वर्क होता है वह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही होता है, खास तौर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या डिपार्टमेंट का यानी रिहन्द बांध का तमाम सिविल वर्क इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के अन्तर्गत ही होगा। इसीलिये इस नये सर्किल के कायम करने की आवश्यकता पड़ गई है। साथ ही साथ अनुदान संख्या ४२ जो हम पेश करेंगे तो माननीय सदस्य देखेंगे कि शारदा सागर की स्कीम इस वर्ष चालू हुई है। इसके लिये दो डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से माताटीला के लिये भी दो डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से इतना खर्च बढ़ गया है। इसलिये इस अनुदान में यह खर्चा बढ़ा कर मांग की गई है।

जहां तक सारे खर्चे के रेश्यो का सवाल है मैं सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बार करीब ९ करोड़ ६४ लाख रुपये का काम आगामी वर्ष में होगा। नम्बर ४२ के अनुसार और २ करोड़ २३ लाख रुपये का काम इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का यह विभाग करेगा। शारदा पावर हाउस, पथरी पावर हाउस का काम चल रहा है और रिहन्द का काम भी चालू हो गया है। इसके सिवाय ८ या ९ करोड़ रुपये के करीब सिंचाई विभाग सिंचाई रेट्स से वसूल करेगा। वह सारी वसूली इस विभाग द्वारा होती है जिसके लिये असेसिंग स्टाफ होता है जिस पर काफी खर्च होता है और इसकी वसूली कलेक्टर के डिपार्टमेंट से होती है उसका खर्च भी हमें देना पड़ता है। आप इस बजट के साहित्य पर दृष्टिपात करेंगे तो आपको देखने से ऐसा लगेगा कि कई लाख रुपया हमारे स्टाफ पर खर्च हो जाता है टैक्स की वसूली पर और कितना हमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी देना पड़ता है। इन तमाम बातों को इस मद से पूरा किया जायगा। जितने काम हम करते हैं और जितनी आमदनी वसूल होती है, जितना बड़ा यह इस्टैब्लिशमेंट है और उस पर जो खर्च हो रहा है उसका अगर रेश्यो देखा जाय तो करीब ११ परसेंट सारा खर्च पड़ता है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों से आपके द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि इस मांग को स्वीकार करने की कृपा करें।

अभी ग्रांट नं० ९ पर जब बहस हो रही थी तो हमारे भाइयों ने बहुत सी बातें कहीं, जिनका उत्तर उपमंत्री ने दे दिया है, फिर भी दो तीन बातें हैं जिन्हें मैं आपकी सेवा में उपस्थित करना चाहता हूं। मैं कृतज्ञ हूं माननीय सदस्यों का कि जिन्होंने बहुत से रचनात्मक सुझाव दिये और कुछ जो विभाग की त्रुटियां हैं उनकी ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। वास्तव में मैं समझता हूं कि जितनी बातें कही गयी हैं और जो त्रुटियां दिखायी गयी हैं, जिन शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है वह मुख्यतः ऐसी हैं जिन्हें कोई अस्वीकार नहीं कर सकता।

अधिकतर बातें ऐसी हैं कि जिन शिकायतों को हमें स्वीकार करना होता है और मुझे खुद उसकी जानकारी भी है। दौरा करते हुए मैंने देखा है कि बहुत कुछ शिकायतों में तथ्य है।

शिकायत की गयी कि आज नहरों में पानी की कमी है। मैंने खुद उन इलाकों में जहां यह नहरें चलती हैं और ट्यूबवेल्स हैं काफी व्यापक रूप से दौरे किये हैं और किसानों से मिला हूं और उनकी बातों को भी सुना है और मैं यह मानता हूं कि आज नहरों में पानी की कमी लोगों को अनुभव हो रही है और दिखायी देती है। पर इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में नहरों में जो आज पानी की कमी हुई है वह इसलिए नहीं कि नहर में जितना पानी पहले मिलता था वह पानी कुछ कम हो गया। नहर में जितना पानी मिलता था वही पानी आज आता है। गंगा की नहर, जमुना की नहर, शारदा की नहर की जितनी कैपैसिटी है, जितनी पानी देने की क्षमता है, जितना पानी हम पहले से लेते रहे हैं उससे कुछ कम उनमें पानी की मात्रा नहीं हो गयी है। आज जो कमी दिखायी देती है उसकी वजह यह है कि वास्तव में पानी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। कमांड एरिया जो नहरों का होता है उसकी ४० फीसदी का सिंचाई का प्रबन्ध मुख्यतः हमने किया है और आप अगर इस कमांड एरिया को देखें और जो सिंचाई होती है उसकी ओर दृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि कहाँ तो ४० फीसदी कमांड एरिया को सिंचाई का प्रबन्ध है और कहाँ आज उसी एरिया में ५५ फी सदी, ६० फी सदी और यहाँ तक कि ७० फीसदी तक सिंचाई हो रही है। तो उस कमांड एरिया में अगर ४० फी सदी की जगह ७० फीसदी सिंचाई होने लगे तो निस्संदेह लोगों को पानी की कमी महसूस होती है। इस दृष्टि से कि जहाँ पहले दो बार, ३ बार पानी मिलता था वहाँ अब एक बार मिलता है मुश्किल से, कहीं दो बार मिल जाय, पर ज्यादा पानी नहीं मिल पाता। तो शिकायत का कारण यह होता है कि जैसे-जैसे खेती की तरफ लोगों का ध्यान गया है, जैसे-जैसे नहरों का डेवलपमेंट हुआ है, लोग इरिगेशन माइंडेड हुए हैं, लोगों को सिंचाई से लाभ दिखायी पड़ा और सूखा पड़ा इस वजह से भी पानी की कमी हुई है और पानी की माँग बढ़ती गयी है। पहले एक ही एरिया में जितनी सिंचाई हम करते थे उससे दूने पानी की माँग हो रही है तो लामुहाला लोगों को यह अनुभव होता है कि पानी पहले से कम मिलता है और वह शिकायत करते हैं। मैं जानता हूं इस बात को कि जिन इलाकों में सिंचाई के सम्बन्ध में लोगों की चेतना बहुत जागी हुई है, उनको अभ्यास भी बहुत है सिंचाई करने का। उसके महत्व को भी वह जानते हैं। परन्तु आज उस क्षेत्र में पानी के बढ़ाने का कोई मार्ग और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। अवश्य ही सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि जहाँ सिंचाई के लिए पानी की माँग बढ़ रही हो वहाँ पानी की वृद्धि करने की कोशिश की जाय। इस बात की भी शिकायत की गई कि समय पर पानी नहीं मिलता। मैंने इस शिकायत को सुना और बहुत कुछ तथ्य इस शिकायत में भी है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा। परन्तु यह शिकायत अक्सर आप देखें तो उस समय में होती है जब रबी की फसल चलती है और रबी की फसल के वक्त थोड़े से दिनों में अधिक से अधिक पानी की माँग होती है जैसा कि अभी हमारे भाई राममूर्ति जी ने आपके सामने निवेदन किया कि पलेव के लिए पानी चाहिए, कोर के लिए पानी चाहिए और फिर दूसरा तीसरा पानी तो दूर की बात है। पहले दौर में एक बड़े व्यापक क्षेत्र में एक साथ पानी की माँग होती है। खासकर दिसम्बर और जनवरी में जब कि रबी की सिंचाई के लिए ज्यादा पानी माँगा जाता है उस वक्त नहरों के जल का परिमाण बहुत कम रहता है। साल भर में अगर कभी सबसे अधिक कम पानी नहरों से मिलता है तो वह दिसम्बर और जनवरी का महीना है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पहाड़ से जो नदियाँ आती हैं और जिनके पानी से हम नहरों को निकालते हैं वह नदियाँ जाड़े के दिनों में, दिसम्बर और जनवरी में बहुत कम जल वाली होने लगती हैं। कहा यह जाता है कि पहाड़ों में बरफ जमती है इस कारण पानी कम आता है और उसी वक्त सब से अधिक पानी की माँग होती है क्योंकि रबी की फसल चलती रहती है। इसलिये पानी जब कम होता है और एक साथ पानी की माँग होती है तो उनको एक प्रकार से बाँधना पड़ता है। अब यह कुलाबा चलेगा, फिर यह बारी चलेगी, इस तरह से उनका डिस्ट्रिब्यूशन होता है। नतीजा यह होता है कि कभी-कभी जब कि बिल्कुल ताव हो कि इसी वक्त पानी चाहिए उस वक्त दो-दो चार-चार दिन देर में पानी मिलता है तो लोगों को शिकायत होती ही है कि पानी नहीं मिल सका। विभाग की गलतियों के कारण अगर पानी न मिले और कहीं-कहीं पर ऐसा होता है, तो उसे सुधारना तो हमारे हाथ में है और माननीय सदस्य अगर उसकी ओर ध्यान आकर्षित करें तो उन्हें हम सुधारने की चेष्टा करेंगे, जहाँ कहीं इस तरह की बात सामने आयी है या जब कभी भी आती है अथवा हमारे माननीय सदस्य जब कभी इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं तो उसे सुधारने की चेष्टा की जाती है, परन्तु जिस बात पर हमारा काबू नहीं है, उस बात के सम्बन्ध में सिवाय इसके कि बराबर सोचा जाय, अधिक क्या कर सकते हैं। सरकार का उस ओर ध्यान है। वह विचार भी कर रही है, सोच भी रही है और हम केवल इतना ही आश्वासन दे सकते हैं इस सदन के माननीय सदस्यों को कि सरकार का ध्यान ऐसी बातों की ओर है और वह स्वीकार करती है कि अधिक पानी की माँग जब होती है, उस वक्त एक दम से हम पानी नहीं दे पाते। किसान को कष्ट होता है। इर्रीगेबुल एरिया बढ़ता चला जा रहा है, पानी ज्यादा यूज होने लगा है, ऐग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है। इसलिये जितना पानी नहरों में अब तक रहा है उससे काम नहीं चलता है और पानी की कमी महसूस होती है। इसी की तरफ भी हमारा ध्यान है और इसको दूर करने के लिए जो कुछ भी सम्भव उपाय हो सके, उस पर सरकार विचार कर रही है।

एक बात विशेष रूप से, चूंकि स्थापना का बजट मैं उपस्थित कर रहा हूं, कही जायगी और बार बार कही भी गई है, वह है हमारे अधिकारियों के बर्ताव के सम्बन्ध में। इस शिकायत के बारे में भी मैं एक सीमा तक अच्छी तरह परिचित हूं और यह भी मानने के लिए तैयार हूं कि हमारे विभाग के तमाम कर्मचारियों को ऊपर से नीचे तक, छोटे से बड़े तक, जिस संतोषजनक ढंग से जनता के साथ बर्ताव करना चाहिये उस ढंग से कहीं-कहीं नहीं होता है। मुझे इतना भी ज्ञान है कि नीचे के क्षेत्र में जैसे कि ट्यूबवेल के आपरेटर्स हैं या पतरोल की बात हुई, किसी एक भाई ने घूसखोरी की भी चर्चा की, उसका भी ज्ञान मुझे है और इस प्रकार की शिकायतें विभाग में हैं, नीचे के तबके में ज्यादा शिकायतें हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी शिकायतें एकदम किसी मात्रा में मौजूद नहीं हैं। उसकी एक व्यापकता है इसका अनुभव हमें है, हमारे विभाग के ऊंचे अधिकारियों को भी है। मैं समझता हूं कि सिंचाई का मुहकमा ऐसा है जिसका सबसे घनिष्ट सम्बन्ध देश के किसानों से है और उस जनता से है जो गांवों में रहती है। यह एक प्रकार से कार्मशियल डिपार्टमेंट है। अपनी चीज को यह विभाग बेचता है और किसान इसके ग्राहक हैं। मैं समझता हूं कि इस विभाग के अधिकारियों के लिए और उन सब के लिए जो इस विभाग की सिंचाई से, इसकी स्थापना से, इसकी रनिंग से, इसके मेंटिनेंस से, और इसकी रक्षा से सम्बन्ध रखते हैं। जो भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति है, उसका यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह अपने ग्राहकों से अच्छा बरताव करें। अगर यह कार्मशियल डिपार्टमेंट है तो इसका मोटा और बड़ा मौलिक सिद्धान्त है कि जो अपना माल बेचना चाहता है वह ग्राहकों से भलमन्साहत का बर्ताव करे। अगर वह टर्रापन का बर्ताव करे तो उसका

रोजगार ठप ही समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस विभाग के कर्मचारियों से ऐसी आशा की जाती है कि वह जनता के साथ अपना अच्छा बर्ताव रखें और फिर यह तो ऐसा विभाग है जो सोशल सर्विस करता है। सब से बड़ी सर्विस करता है क्योंकि किसान की सारी जीविका, उसकी सारी उन्नति, सारा विकास, सारा भविष्य जिस पानी के ऊपर निर्भर करता हो उस पानी से इस विभाग का ताल्लुक है। इसलिए सर्विस की भावना से इस विभाग के लोगों को काम करना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त में नहर विभाग के सम्बन्ध में शुरू से परम्परा भी यही रही है कि इसके अधिकारी अपेक्षाकृत एक सौजन्य का बर्ताव साधारणजन समाज के साथ करते रहे हैं और मुझे आशा है कि इस युग में जब कि जनतंत्र स्थापित हो चुका है और सरकार की सारी चेष्टा इस बात की है कि जनता की सेवा हो तो जो सबसे अधिक सेवा करने योग्य यह विभाग है उसका अधिक सौजन्यतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। जनता की शिकायतें सुनना और सुनकर दूर करने का उनका प्रयास होना चाहिए।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों की यह चेष्टा है कि आज के परिवर्तित युग के अनुकूल यह सारा विभाग हो जाय। मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, उन तमाम अधिकारियों से यह प्रार्थना भी करता हूं कि अधिकारियों का व्यवहार और बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि शिकायतों के आने का कभी मौका न दिया जाय और मुझे आशा है कि ये शिकायतें धीरे-धीरे कम होती गई हैं और भविष्य में अधिक से अधिक मात्रा में कम होंगी और जनता को सन्तोष होगा।

अब मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता। एक बात केवल और बाकी रह गई। वह भी शामिल बरहे और गलत इन्दराज के संबंध में है। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस शिकायत को भी मैं साधारण मानता हूं। मैंने जब दौरा किया तो यह देखा कि शामिल बरहे का एक मसला पेश होता है। शामिल बरहा एक नाली होती है जिसमें नहर का पानी जाता है। कभी-कभी अगर नहर का पानी नहीं मिलता तो किसान उसी बरहे से अपने कुओं से पानी ले जाते हैं। शिकायत इसमें यह होती है कि पानी मैं अपने कुयें से ले आया, सिर्फ ले आया आपकी नाली में से, लेकिन हमसे रेट वसूल किया जा रहा है नहर का। यह शामिल बरहा का मसला है। इस मसले में हमने कुछ सोचा भी है। हमारे विभाग के चीफ इंजीनियर साहब भी इस विषय में कुछ सोच रहे हैं। यह मामला जरा मुश्किल का है। हमारी राय तो है कि किसान अपना बरहा स्वयं बना लें, जिन कुओं से पानी वह ले आना चाहता है अपनी नाली अलग बनवा ले, उसमें हम मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान शामिल बरहा से एक बार भी पानी ले जाता है तो हमारा रेट आयद हो जाता है। शामिल बरहे से एक बार भी पानी ले ले लेने पर शिकायत की गुंजाइश नहीं रहती। अगर एक बार भी पानी नहीं लिया गया तो हम कह सकते हैं कि नहर का पानी इस्तेमाल नहीं किया गया लेकिन अगर एक बार भी लिया जाता है तब तो फिर गुंजाइश हो जाती है कि उस पर रेट आयद कर दिया जाय। नीचे के कर्मचारियों की इच्छा पर यह छोड़ा नहीं जा सकता कि वह जो चाहें दर्ज कर दें कि पानी शामिल बरहे से लिया गया या नहीं लिया गया क्योंकि फिर ऐसा करने से वही करप्शन की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ संतोषजनक रास्ता निकल ही आयेगा कि गलत इन्दराज न हो। मैंने खुद देखा है। इसकी खास वजह यह है कि पहले तो पटवारी के कागज से हमारे पतरौल इन्दराज कर लेते थे। अब जब से पटवारी से वह काम हट गया है तो अब जो एसेसिंग अथारिटीज हैं उनको इन्दराज करने में दिक्कत होती है। इसके संबंध में सरकार विचार कर रही है और यह विचार किया जा रहा है कि गांव सभाओं से इसमें थोड़ी बहुत मदद ली जाय। मुझे यह भी आशा है कि हमारे माननीय सदस्यों में से बहुत से लोग इन विषयों पर अपने विचार रखते होंगे और उनसे सलाह मश्विरा ले कर कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आयेगा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जिससे उन दिक्कतों को कम किया जा सके। इन शब्दों के साथ में माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह मांग स्वीकार की जाय।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। इस अनुदान को रखते हुये माननीय मंत्री जी ने जिस उदारता का परिचय दिया है मैं उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। यह अनुदान ऐसे लोगों से संबंध रखता है जो कि गरीब लोग हैं। जिस प्रकार से एक डाक्टर है वह किसी आदमी के शरीर में फोड़ा या कोई रोग है उसको दूर करता है। उसी प्रकार से जिस घर में गरीब किसान रहते हैं उसी घर की नहीं वरन् जिस लोकेलिटी और जलवायु में रहते हैं उसकी भी देखभाल करने की आवश्यकता सरकार को होती है। अगर इस प्रान्त की तरफ देखा जाय तो यह इतना बड़ा उजड़ा हुआ प्रदेश है, इसका कोना-कोना ऐसा है जहां पर मरम्मत करने की जरूरत है और ऐसे वक्त में जो हमारे इंजीनियर साहबान हैं जिनके ऊपर हमारे देश की खेती-बाड़ी या निर्माण कार्य निर्भर करते हैं अगर उनकी आंखें न खुलीं और उन लोगों ने चालाकी से काम न किया तो मैं समझता हूं कि हमारा देश जिस प्रकार अंग्रेजों के जमाने में था उससे भी बुरी हालत यहां की हो जायगी।

सबसे बड़ी खुशी मुझे यह सुन कर हुई थी जब पिछले साल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पश्चिमी जिलों में ही नहीं वरन् पूर्वी जिलों में भी नहरें बनाई जा सकती हैं। ऐसी राय हमारे इंजीनियर साहबान की थी। इसके लिये मैं उनका आभारी हूं जिन्होंने यह अन्वेषण किया कि अंग्रेज जो सदियों से हमारे देश में हुकूमत कर रहे थे उनको पूर्वी जिलों की कोई परवाह न थी। वे हमारी जानों को जान नहीं समझते थे। हमें जानवरों से बदतर समझा जाता था। आज इस सरकार ने हमारे पूर्वी जिलों की कद्र की। जो हमारी तकलीफें थीं, दुख थे, दिक्कतें थीं उनको हल करने के लिये जो नई-नई स्कीम्स इस सरकार ने निकालीं उनके लिये पारसाल भी रुपया रक्खा गया और इस साल भी रक्खा गया लेकिन जो चीजें अब तक हुई हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। यह भी हम लोगों ने देखा कि हमारे प्रदेश में अक्सर बाढ़ आजाया करती है बल्कि कभी-कभी यह सवाल आता है कि हमारे यहां सूखा पड़ जाता है। अभी २,३ रोज हुये आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर में ओले पड़ गये हैं जिससे काफी क्षति हुई है। मैं समझता हूं कि यह भार हमारे ऊपर ज्यादा नहीं है। इसका ज्यादा भार इंजीनियर साहबान के ऊपर है। इस देश में जहां पर इस प्रकार की कठिनाई आया करती है उनको किस तरह से दूर किया जाय इसका भार इंजीनियर के ऊपर है। मंगेया नदी में हमने देखा कि उसने काफी नुकसान पहुंचाया और बहुत से गांवों को तबाह कर दिया और फसलों को बरबाद कर दिया। आज हमारे ऊपर जितनी तकलीफ है वह हमारे ऊपर नहीं है मैं कहता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे इंजीनियर साहबान के ऊपर है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी और उपमंत्री में जितना जोश दिखाई देता है अगर उतना ही जोश हमारे इंजीनियर साहबान साहबान में दिखाई दे तो हमारे देश की जो बिगड़ी हुई हालत आज दिखाई देती है उसमें जल्द से जल्द सुधार हो सकता है। वह योजनायें जिनको देखने की हमारी इच्छा है उनको हम जल्द से जल्द कार्यरूप में परिणत होना देखना चाहते हैं ताकि उनसे हम फायदा उठा सकें। जहां पर हम जाते हैं इन चीजों के बारे में बात की जाती है। इनको कार्यरूप में परिणित करके दिखायें जिससे उनको यह आशा हो जाय कि हमारे इंजीनियर साहब जो इस देश में निर्माण की बातें करते हैं वह आसमान की बात नहीं है बल्कि सचमुच वह सत्य बातें हैं। हमारी आंखें जिन चीजों को देखने के लिये तरसती हैं वह चीज आसानी से हमको मिल सके और उनसे फायदा भी उठा सकें।

२, ३ बातें और इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी ने हमारे प्रदेश में बहुत से ट्यूबवेल्स बनाये। मुझे भी उन ट्यूबवेल्स को देखने का मौका मिला। मैंने देखा कि जो ड्राइवर इंजिन चलाते हैं उनके रहने के लिये वहां पर कोई स्थान नहीं है।

रात को वह लोग इंजिन में ही रह जाते हैं और वहीं पर सोते हैं जो बहुत गर्म होता है। गरमी के दिनों में अगर कोई आदमी ऐसी गर्म जगह पर रहता है तो भगवान ही जानता होगा कि उनकी क्या दशा होती है। वह भी बेचारे इन्सान हैं और दिन में काफी काम करते हैं। दूसरी जगह से वह लोग काम करने के लिये वहां पर आते हैं। ट्यूबवेल्स की देखभाल करते हैं। यही नहीं बल्कि अक्सर यह देखा गया है कि जो आपरेटर होते हैं उनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं होता है। उनके लिये रहने के लिये और सोने वगैरह का प्रबन्ध करने के लिये मकान की बड़ी आवश्यकता है। उनको भोजन की बड़ी तकलीफ रहती है तो उसके बनाने के लिये स्थान की आवश्यकता है। इन सब चीजों की दिक्कतें हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। इसके साथ-साथ हमने सिंचाई विभाग में यह देखा है कि हमारे जिले में जब बाढ़ आयी थी उस वक्त नकशा लेकर हमारे ओवरसियर एक स्थान से दूसरी जगह दौड़-दौड़ कर फिरा करते थे और कोशिश करते थे कि नक्शे में बाढ को दिखाया जाय कि बाढ ने कहां तक स्थान को कवर किया है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि उन्होंने नकशे में उस सारे एरिया को नहीं दिखाया होगा क्यों कि उनकी संख्या इतनी कम थी कि उनके लिये यह मुश्किल था कि वह उस सारे एरिया का दौरा करके नकशे के अन्दर उस सारे स्थान को दिखा सकें कि यहां तक बाढ़ एरिया कवर किया है। उनकी संख्या कम होने से वह चाहते तब भी उसको पूरा कर सकते थे। उनको पूरा एरिया चेक करने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि उनकी संख्या इतनी न्यून थी कि वह हमारे इंजीनियर के सामने उसका सही नकशा पेश नहीं कर सके होंगे। ओवरसीयर्स के टी० ए० जल्दी मिलने चाहिये ताकि वे ठीक से काम कर सकें। यह देखा गया है कि ट्यूबवेल्स के लिये इंजीनियर या ओवरसियर ब्लू लाइन लगाते हैं जो कैनाल या ड्रेन बनने के समय दूसरी जगह हो जाती है। इसलिये पहले ही सोच विचार कर ऐसी लाइन लगानी चाहिये कि बाद में बदल कर लोगों में यह भावना न फैले कि किसी के असर की वजह से बदल दी गई है। जन सम्पर्क के बारे में माननीय मंत्री जी ने कह ही दिया है और उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। एक सुझाव मेरा यह है कि हर जिले की योजना पहले तैयार कर ली जाय जिसमें से बहुत से काम तो प्लानिंग आफीसर या गांव के लोग कर सकते हैं और बड़ी-बड़ी योजनाओं को सरकार ले ले। इसमें गांव वाले काफी मदद कर सकते हैं और सिंचाई की योजना जल्द से जल्द कार्यरूप में परिणित हो सकती है।

इन शब्दों के साथ में अपना कटमोशन सदन के सामने रखता हूं।

श्री सुल्तान आलम खां---डिप्टी स्पीकर साहब, मैं गवर्नमेंट और उनके अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यह पैम्फलेट हमें आज दिया है। अगर यह ३, ४ दिन पहले दे दिया जाता तो बहुत सी तकरीरें यहां होने से बच जातीं क्योंकि इसमें बहुत सी इत्तिलाआत दी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आबपाशी के मुहकमे ने बहुत तरक्की की है। जैसा कि मंत्री जी ने अपनी तकरीर में बताया, तकरीबन १५ करोड़ रुपया रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम सर्फ कर रहे हैं और इस पर हम या कोई भी स्टेट फख्र हासिल कर सकती है। लेकिन यह भी सही है कि बाज ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से वे तमाम एचीवमेंट्स जो इतना ज्यादा रुपया खर्च करके हमें हासिल होतीं उसमें दुश्वारियां पैदा होती हैं। यह सही है कि नहर के मुहकमे में पानी जमीन के ४० फीसदी हिस्से के लिये दिया जाता है। ४० फीसदी रबी में, ४० फीसदी खरीफ में और २० फीसदी जमीन आबपाशी के लिये नामुमकिन होती है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि वे नहरें जो आज से ८० वर्ष पहले डिजाइन की गईं और बनीं थीं उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनमें पानी की मिकदार उतनी ही है जितनी ८० बरस पहले थी। उनमें से बहुत सी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल गईं जिससे पानी तकसीम हो गया है। इसके अलावा काश्तकार पहले खरीफ व रबी में चना, जौ, बाजरा, मटर वगैरह बोते थे लेकिन आज कैश क्राप्स जैसे गन्ना, आलू और तम्बाकू ज्यादा बोये जाते हैं जिन पर पानी की ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो दिक्कत अब हुई है वह यह कि बहुत

[श्री सुल्तान आलम खां]

सी ऐसी आराजी जो उस समय बेकार पड़ी हुई थी वह भी जेरेकाश्त आ गयी है। इस सबका नतीजा यह हुआ है कि पानी की मिकदार उतनी ही होते हुये उसकी तकसीम बढ़ गयी है। ऐसी सूरत में वहां जहां कि नहरें पहले से चल रही हैं एक दो को रिमाडिल भी करने की तजवीज है। उसके जरिये से पानी उनमें ज्यादा हो जायगा। इसमें कोई शक नहीं है कि रिजरवायर बनाकर या पंपिंग के जरिये से नहरों में पानी बढ़ा कर सूबे के लोगों को बहुत सुभीता और आराम हो जायगा।

जिन मुकामों पर नहरें हैं वहां के लोग नहरों पर डिपेंड करते हैं और नहरों या ट्यूबवैल्स से ही आबपाशी करते हैं। क्योंकि जहां नहरें या ट्यूबवैल्स कायम हो गये हैं वहां पर लोग अपने बैलों को बेच डालते हैं और कुओं को बन्द कर देते हैं। नहरों के निकलते ही कुयें खत्म हो जाते हैं इसलिये अगर उन लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो उन लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जायगी। लेकिन जहां अभी तक नहरें या ट्यूबवैल्स नहीं हैं वहां के लोग कुछ दिन और ठहर जायं तो कोई ज्यादा दिक्कत और परेशानी उनको नहीं होगी। इस तरह जो लोग नहरों पर डिपेंड करते हैं उन लोगों का पहले अगर सुभीता हो जाय तो ज्यादा मुनासिब मालूम होता है। इससे सब लोगों को ही फायदा होगा।

एक चीज और मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे सूबे में हार्टीकल्चर की भी बहुत ज्यादा तरक्की हो गयी है। इस वक्त इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब यहां नहीं हैं क्योंकि हार्टीकल्चर एंग्रीकल्चर से निकल कर वहां चला गया है, अगर वे होते तो मैं उनसे अर्ज करता। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि ट्यूबवैल्स का कोटा फिक्स करने में इस बात का भी ख्याल रखा जाय तो बेहतर होगा कि कुछ ट्यूबवैल्स वहां पर भी बनाये जायं जहां कि हार्टीकल्चर का काम होता है या आगे इसकी तरक्की होने का इमकान है। मैं पूरब और पश्चिम की बात में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मैं ऐसे मुकाम से आता हूं जो न पूरब है और न पश्चिम। मैं तो सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि हार्टीकल्चर जिस हिस्से में है उसमें ट्यूबवैल्स का कुछ कोटा अलाट कर दिया जाय तो नामुनासिब न होगा।

मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद इस बात को माना है कि चीजों की कीमत कम होना शुरू हो गयी है इसलिये मैं गवर्नमेंट से यह प्रार्थना करूंगा कि हालांकि सिंचाई मिनिस्टर साहब से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन केबिनेट की जिम्मेदारी मुश्तरका होती है। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि जहां तक इर्रीगेशन रेट्स का ताल्लुक है अब वक्त आ गया है इस बात पर गौर करने का कि इसमें कुछ भी हो सकता है या नहीं। इन मुख्तसिर अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा गोरखपुर जिले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गो कि गत वर्षों से सरकार का ध्यान गोरखपुर जिले की तरफ गया है लेकिन कुछ सुझाव देने के पहले मैं आपको गोरखपुर का परिचय करा देना बहुत जरूरी समझता हूं। गोरखपुर ३ हिस्सों में विभक्त है—(१) तराई, (२) बांगर, (३) कछार। तराई हिस्सा वह प्रदेश है जिसमें अधिक से अधिक पानी की जरूरत पड़ती है और अगर पानी अधिक आया तो कछार हमारे जिले का गायब हो जाता है। और बांगर एरिया वह एरिया है जिसमें सिंचाई करने के लिये कोई साधन नहीं है और सिंचाई का साधन न होने से हमारे जिले में प्रति वर्ष भयंकर अकाल ही बना रहता है। उसका परिणाम यह होता है कि हमारे जिले में लगभग प्रति वर्ष १,९,०८८,०४ मन गल्ले का अभाव रहता है। हमारे जिले की जनसंख्या २२,३८,५८८ है जिसमें कृषि की भूमि ११,४३,४०७ एकड़ है। इसमें ४० हजार एकड़ गन्ने की खेती भी शामिल की गयी है। ८ मन फी एकड़ के हिसाब से हमारे जिले में ९१,४७,२५६ मन गल्ला पैदा होता है। यदि इस गल्ले को २२,३८,५८८ आदमियों में आध सेर के हिसाब से बांट दिया जाय तो १,००,७५,०८६ मन गल्ला प्रति वर्ष के लिये चाहिये। इस हिसाब से उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सरकार को बतलाना

चाहता हूं कि प्रति वर्ष यदि बाढ़, सूखा न आये तो आध सेर के हिसाब से प्रति वर्ष ९,५४,४०२ मन गल्ले की कमी हमारे जिले में बराबर रहती है। यदि आधा सेर को बढ़ा कर एक सेर कर दिया जाय जैसा कि अन्य जगहों पर यह खुराक मानी गयी है तो हमारे जिले में प्रतिवर्ष १,९०,०८,८०४ मन गल्ले की कमी रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे जिले में फी आदमी ५ रु० कर्जे से भी लगा हुआ है। १,७०,९९,१९७ रु० सन् ५१ के आंकड़े के मुताबिक हमारे जिले में किसानों के ऊपर कर्जा रहा है। तो यह परिस्थिति हमारे जिले की है। आज हमारा जिला कुली बना कर रखा जा रहा है। हमारे गोरखपुर जिले के कुली सूबे में मशहूर हैं। कोलियरी आदि भिन्न-भिन्न जगहों पर गोरखपुर जिला जाकर अपनी गुजर बसर करता है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि अब इस अनुदान का समय समाप्त होने वाला है। इसलिये आपको बोलने का मौका दे दिया क्योंकि इसके पहले आपको कभी बोलने का मौका नहीं मिला था।

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब उसी जगह पर आ रहा हूं। जरा परिचय देना बहुत जरूरी था इसलिये मैंने दिया। श्रीमन् जी, जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, हमारे जिले में ३,६२,२८१ एकड़ रबी की जमीन है जिसके लिये पानी की नितान्त आवश्यकता है। ३,९०,०८३ एकड़ जमीन में गन्ने की खेती होती है जहां पर कि अभी तक कोई भी सिंचाई का साधन नहीं है। हमारे जिले में सरकार द्वारा ६५ ट्यूबवेल की योजना रखी गयी है। इस ६५ ट्यूबवेल की योजना के मुताबिक केवल ५२ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी, अगर यह योजना ५ साल में पूरी कर दी गयी तो।

श्री राममूर्ति---उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय समाप्त हो गया है और अनुदान को प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने विस्तारपूर्वक सब बातों का जिक्र कर दिया था तो मैं अब कोई आवश्यकता नहीं समझता कि कुछ और बातें कहूं। पांडे जी ने तो अलबत्ता लम्बा चौड़ा हिसाब बता दिया लेकिन पानी की मांग बढ़ रही है और पानी का इन्तजाम भी होता चला जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि पांडेय जी की कामनायें जल्दी पूरी होंगी गल्ला ज्यादा पैदा होने लगेगा और कोई मुसीबत नहीं रहेगी। इसके बाद मैं सदन से दरख्वास्त करता हूं कि इस अनुदान को पास करने की कृपा करें।

श्री कमलासिंह---श्रीमन्, हमें मैजिस्ट्रेसी की, जो अलग से इस कार्य के लिये है, जरूरत नहीं मालूम होती। सब जिलों में अलग से जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं और अगर उन्हीं के यहां नहर के जितने केसेज हों भेज दिये जायं तो मैजिस्ट्रेसी का खर्चा कम हो जाता।

कैनाल और गूल्स जो बनाये जाते हैं उनको भी पंचायतों को दे दिया जाय ताकि पंचायतें भी उनकी आमदनी से फायदा उठा सकें।

इसके अतिरिक्त पतरौलों का काम गांव सभाओं को दे दिया जाय तो इससे फायदा होगा।

इन सुझावों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--- लेखा-शीर्षक १७,१८,१९ और ६८-सिंचाई स्थापना पर व्यय के अधीन २,६५,००,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौ-चालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण (स्थापना व्यय को छोड़ कर)

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों के निर्माण के अन्तर्गत ९,६४,१५,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मान्यवर, मैं यह उचित समझता हूं कि इस अनुदान के सम्बन्ध में विस्तार के साथ जो कुछ कहना हो वह बाद में कहूं जब और माननीय सदस्यों की बात सुन लूं। इस समय मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह मांग सिंचाई सम्बन्धी जितने निर्माण कार्य हो सकते हैं और हो रहे हैं हमारे प्रदेश में और प्रदेश के सारे भागों में चाहे वह पहाड़ी इलाका हो, चाहे पश्चिमी इलाका हो, चाहे पूर्वी इलाका हो, चाहे केन्द्रीय हो और चाहे दक्षिण का इलाका हो तमाम इलाकों में जो कार्य हो रहे हैं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन कार्यों के संबंध में यह अनुदान उपस्थित किया गया है। सारी योजनायें पंचवर्षीय योजना के अधीन हैं और पंचवर्षीय योजना दो वर्षों से प्रचलित है। यह उसका तीसरा वर्ष आरम्भ होने जा रहा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि यह उसका लीप ईयर होगा जिसमें हमारी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य तीव्र गति से चलेगा। गतवर्ष के बजट पर यदि हमारे माननीय सदस्य दृष्टिपात करें तो यह देखेंगे कि पिछले साल जो रकम रखी गयी थी इस अनुदान के अधीन उससे ज्यादा हमने खर्च किया है और उसमें ज्यादा काम भी किया है। ५ करोड़ ८४ लाख रुपये पिछले साल इस अनुदान के अधीन थे और करीब ६ करोड़ कुछ लाख के हमने खर्च किया। करीब एक करोड़ रुपये का खर्च हमने निर्माण-कार्यों पर अधिक किया और इस मदने ने अनुपूरक मांगों के द्वारा उसकी स्वीकृति भी प्रदान की। इस विभाग के द्वारा इस बात का एक नम्रता पूर्वक प्रमाण पेश करता हूं कि पंचवर्षीय कार्य में सिंचाई संबंधी जो भी योजनायें रक्खी गई हैं उनमें काफी तेजी के साथ कार्य हो रहा है। अब जो हमारा अगला बजट शुरू हो रहा है उसमें फिर करीब १० करोड़ रुपये की मांग की गई है और आशा है कि बहुत सा कार्य इस वर्ष में हमारा समाप्त भी होगा और आगामी साल या दो साल जो रह जायंगे उसमें फिर हमारी योजना का कोई ऐसा अंश नहीं रह जायगा जो कि पूरा हुये बिना रह जाय। इसी अवसर पर मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि सिंचाई संबंधी हमारी जो योजनाएं हैं वह एक प्रकार से प्रोग्रेसिवली इवालविंग योजनायें हैं। इस प्रदेश में सन् १९५०-५१ या ५२ के आरम्भ में इस पंचवर्षीय योजना को यहां निर्मित किया गया, इस योजना का जो स्वरूप है और इसका जो आकार है उस पर अगर आप दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि जितना कार्य उस योजना के अधीन है उससे कहीं ज्यादा कार्य हो रहा है। पंचवर्षीय योजना का जो रूप हमारे यहां आरम्भ में निर्धारित किया गया उसमें कुल करीब १५ करोड़ १६ लाख रुपये की योजना थी। सन् १९५१ ई० में जो योजना बनी और १९५२ से जो कार्य आरम्भ हुआ वह विस्तृत होता गया, अन्य योजनायें भी उसमें शरीक होती गईं और इस प्रकार उसका क्षेत्र बढ़ता गया। इस प्रकार आज जो योजनायें नेशनल प्लानिंग कमीशन द्वारा स्वीकृत की गयीं उनकी लागत रिहन्ड को छोड़ कर करीब ३२ करोड़ रुपये की है, ३१ करोड़ और १६ लाख के। तो आप देखें कि जो हमारी आरम्भिक योजनायें थीं जिनके द्वारा हम यहां कार्य करना चाहते हैं ५ वर्षों में, वह काफी विस्तृत हुईं और उनका रूप काफी विशाल हुआ और करीब करीब अब वह दूना हो गया है। रिहंड की स्वीकृति के बाद और उसे शामिल कर लेने के बाद यद्यपि रिहंड की योजना सिर्फ सिंचाई की योजना नहीं है, वह एक मल्टी परपज योजना है परन्तु जिसका बहुत बड़ा संबंध सिंचाई से है, वह योजना करीब-करीब ७० करोड़ की बन जाती है। इस प्रकार सिंचाई का डबल तो यह हो ही गया। साथ ही साथ जो योजनायें ली गई हैं हम

चाहते हैं कि माननीय सदस्य उन पर दृष्टिपात कर लें। विस्तार के साथ तो मैं बाद में निवेदन करूंगा परन्तु इसमें संदेह नहीं कि हमने इस बात की चेष्टा की है कि अपने प्रदेश के प्रायः प्रत्येक जिले में कुछ न कुछ किया जाय और विशेष प्रकार से जहां कि सिंचाई का अभाव रहता है वहां और अधिक जोर दिया जाय और ऐसे स्थानों पर जहां कि सिंचाई का कोई प्रबंध ही न हो वहां उससे और अधिक जोर दिया जाय। इस प्रकार से चारों तरफ दृष्टि रखने की चेष्टा की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और इस प्रदेश की सरकार नेशनल प्लानिंग कमीशन की कृतज्ञ है जिसने हमारी इन योजनाओं को, विस्तृत होते हुये हमारी तरफ से अधिक बढ़ती हुई मांग होते हुये भी, स्वीकृत किया और बहुत सी योजनायें तो इसमें गत वर्ष ही शरीक की गई हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल प्लानिंग कमीशन के द्वारा कुछ सहायता भी, ऋण के रूप में ही सही, हमारे प्रदेश मे मिलने का आश्वासन मिला है। उसी आधार पर हमने गत वर्ष अपने कार्य को तीव्र किया और विशेषकर इस वर्ष उस कार्य को और भी तीव्र करना चाहते हैं और आशा यह करते हैं कि आगामी दो वर्षों में, पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने से पहले ही अपनी बाकी योजनाओं को समाप्त कर लें। ऐसी हम चेष्टा कर रहे हैं। नेशनल प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह इच्छा प्रकट की है कि हमारे देश में जब तक कि अन्न की उपज दुगनी न बढ़ा दी जाय तब तक हमारे देश की अन्न की समस्या हल नहीं हो सकती। इस प्रकार के उद्गार और इस प्रकार की धारणा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रकट की है। हमारी ऐसी आशा है कि हम अपने प्रदेश में इन योजनाओं को पूरा करने के बाद करीब-करीब उससे दुगुने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे जितने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था आज से सात-आठ वर्ष पूर्व अंग्रेजों के जाने तक थी। आप अगर कागजों पर दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि सन् १९४५-४६ तक किसी भी वर्ष में ६० लाख एकड़ से अधिक सिंचाई हमारे सूबे में नहीं हुई। हमें उम्मीद यह है कि पाँच वर्ष की योजना समाप्त होते होते हमारे प्रदेश में एक करोड़ एकड़ से अधिक भूमि के लिये सिंचाई के साधन प्रस्तुत हो जायंगे और उतने भाग में हमारे यहां सिंचाई होने लगेगी। आप यह भी देखेंगे कि इन योजनाओं के अतिरिक्त जो और प्रयास हुआ है वह इस क्षेत्र को और बढ़ायेगा। जैसे कि कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स, पम्पिंग सेट्स, मेसनरी वेल्स, इंडिविजुअल ट्यूबवेल्स और ड्रेनेज की यह जो छोटी-छोटी बहुत सी और योजनाएं चल रही हैं, इनसे अगर ५०, ६० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सन् १९५६ तक होती रही है तो संभवतः पाँच वर्ष पूरे होने के बाद उसकी ८० फीसदी ज्यादा सिंचाई तो अवश्य ही होने लगेगी अगर दूनी न भी हो जाय। इन शब्दों के साथ में आपके सामने इस अनुदान को स्वीकार करने के लिये इस सदन से प्रार्थना करता हूं। माननीय सदस्यों की और बातें सुनने के बाद आप की सेवा में जो कुछ और होगा वह उपस्थित किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के आदेश से मैं इस अनुदान में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस अनुदान को माननीय सिंचाई मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह अनुदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रदेश में अगर इस अनुदान का रुपया ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाता तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश का बहुत लाभ हो सकता है। हमारा प्रदेश सिंचाई के लिहाज से पाँच हिस्सों में बांटा जा सकता है—एक हिस्सा पूर्वी है, दुसरा पश्चिमी है तीसरा मध्यवर्ती है चौथा पहाड़ी है और पाँचवां बघेलखंड और बुन्देलखंड का इलाका है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल पश्चिमी और मध्य भागों में पहले अंग्रेजों की विशेष अनुकम्पा रही है। पूर्वी, पहाड़ी बघेलखंड और बुन्देलखंड के हिस्से अंग्रेजी राज्य के विद्रोही

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूर्वी और पहाड़ी जिले आज भी इस सरकार के विद्रोही समझे जाते हैं। माननीय सिंचाई मंत्री ने अभी फरमाया है कि हम चाहते हैं कि जो प्रदेश के हिस्से सिंचाई के लिहाज से उपेक्षित रहे हैं उनमें सरकार जोर से काम करे। मैं स्वागत करता हूं सिंचाई मंत्री के इस कथन का लेकिन साथ ही साथ यह शिकायत भी मेरी है कि जिस तरीके से इन तीन हिस्सों में काम होना चाहिये उस तरीके से नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी तकलीफदेह बात यह है कि सिंचाई मंत्री इस देश की भारतीय संस्कृति के उपासक हैं और साथ-साथ यह चाहते हैं कि हमारे देश की सम्पत्ति भी हमारे देश में रहे। लेकिन ट्यूबवेल बनाने की योजना जब विदेशी कम्पनियों के सुपुर्द करते हैं तो तकलीफ होती है। जर्मन वाटर डेवलपमेंट कार्पोरेशन और फ्रेंच इंजीनियर, इन दो कम्पनियों के हाथ में हमारे प्रदेश के बहुत से ट्यूबवेल बनाने का ठेका सरकार के द्वारा दे दिया गया है। मैं आप के द्वारा सिंचाई मंत्री से कहूंगा कि हमारे देश में ही अगर ट्यूबवेल बनाने वाले इंजीनियर्स हैं और कम्पनियां मिल सकती हैं तो उन्हीं को ठेका दिया जाना चाहिये। जहां तक सामानों के लाने की बात है, अगर सामान हमारे देश में नहीं है तो विदेश से मंगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, हमें तकलीफ है कि प्रदेश को जहां एक तरफ पानी की आवश्यकता है ठीक उतनी ही आवश्यकता बरसात के दिनों में हमारे प्रदेश में जो पानी बह जाया करता है उसको रोकने की है। हमारे पूर्वी जिलों में जहां पानी की जरूरत है, बरसात के दिनों में उनकी आवश्यकता से ज्यादा पानी आसमान से गिरता है लेकिन व्यवस्था न होने के कारण सारा पानी बेकार चला जाता है। जिस तरह से ट्यूबवेल और नहर बनाने की योजना सरकार के सामने है उससे बढ़ कर योजना सरकार को यह बनाने की आवश्यकता है कि बरसात के जमाने में नदियों, तालाबों और गड्ढों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है और हजारों, लाखों एकड़ रंडाबार को रौंदता हुआ समुद्र और बड़ी नदियों में चला जाता है उस पानी को कैसे रोका जाय और कैसे उस पानी को रोक कर सिंचाई के काम में इस्तेमाल किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्यूबवेल और नहर बनाने की योजना उत्तम है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी योजना, जिसकी रिपोर्ट अभी सदन में प्रस्तुत की गई है, उस रिपोर्ट के पढ़ने से यह अन्दाजा मिलता है कि सरकार का ध्यान इस तरफ है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार का ध्यान ट्यूबवेल और नहर बनाने की ओर है उस तरह का ध्यान इस पानी को रोकने की ओर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें तकलीफ यह भी हुई कि पारसाल से चार करोड़ २० लाख रुपया, इस साल इस अनुदान में ज्यादा मांगा गया है जो बहुत ही कम है और केवल ट्यूबवेल के लिये १ करोड़ ७० लाख रुपया, पक्की नालियों को बनाने के लिये भी है। आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस आदि जिलों में ४०० ट्यूबवेल्स बनाने के लिये ५४ लाख रुपया रखा गया है और सिंचाई, नौचालन आदि विभागों में ५४,०१,५०० रुपया रखा गया है। इस तरीके से मैं देखता हूं कि सारे प्रदेश में इस विभाग की इस योजना को सफलीभूत बनाने के लिये कुछ पैसा रखा गया है। लेकिन बांध वगैरह बनाने के लिये उतना पैसा इस अनुदान में नहीं रखा गया है जितना रखना चाहिये। इस मद में केवल १ करोड़ ३८ लाख है। श्रीमन्, जहां और चीजों के बनाने की आवश्यकता है वहां यह भी आवश्यकता है कि पूर्वी जिलों में नालों और नदियों के किनारे बांध वगैरह बना कर पानी को रोक कर सिंचाई का साधन बनाया जाय।

इसके अतिरिक्त मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी बातें पंचवर्षीय योजना की माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहीं हैं लेकिन यह बात सही है कि पंचवर्षीय योजना में यदि किसानों को, जैसा कि सुल्तान आलम खां साहब ने बताया है कि सिंचाई की दरें जितनी बढ़ती चली जा रही हैं उतनी किसानों को परेशानी हो रही है। गोरखपुर में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी आंखों देखा है कि ट्यूबवेल पानी देते हैं लेकिन किसान सिंचाई का रेट ज्यादा होने के कारण

ट्यूबवेल का पानी न लेकर कुएं और तालाब के पानी से सिंचाई करते हैं। पश्चिमी जिलों में जहाँ कि रेट बढ़ता चला जा रहा है, माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने फरमाया कि जहाँ नहर है, ट्यूबवेल है वहाँ के किसान सिंचाई के जो और साधन हैं वे खत्म कर देते हैं। इसी तरीक़े से यदि यह इरादा है कि पूर्वी, पहाड़ी, बघेलखंड और बुन्देलखंड के इलाक़ों में नहरों और ट्यूबवेल्स को बना कर सिंचाई की जाय और सिंचाई रेट बढ़ा दिया जाय, तो गोरखपुर की ही दशा हमारे यहाँ भी होगी। तो बहुत से माननीय सदस्यों ने यह फरमाया है कि सिंचाई की दर कम होनी चाहिये। माननीय सिंचाई मंत्री जी को यह बात माननी चाहिये, हठवादिता नहीं होनी चाहिये। और जब उधर के लोग हों, जो सरकारी पार्टी के सदस्य हैं वे सरकार को यह राय देते हैं तो उस राय का समर्थन होना चाहिये और जो रेट इतना बढ़ता चला जा रहा है उनको कम करना चाहिये ताकि ऐसा न होजाय कि जैसे पश्चिमी जिलों में नहर और ट्यूबवेल्स के पानी की अधिकता होने पर भी वहाँ के लोग आन्दोलन करते हैं वैसे ही पूर्वी जिलों में जो यह योजनायें चल रही हैं उनके खिलाफ वहाँ के लोगों को आन्दोलन न करना पड़े। अन्त में मैं कुछ बातें कहूंगा। सिंचाई मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आजमगढ़ जिला जहाँ मैं रहता हूं वह छः तहसीलों का जिला है जिनमें ४ तहसील ऐसे हैं जहाँ ऊसर है। सरकार के जो आँकड़े निकलते हैं उनके देखने से ऐसा मालूम होता है कि आजमगढ़ जिले में ट्यूबवेल्स का एक जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन मऊ से जो सड़क आजमगढ़ और दोहरी घाट को जाती है उसके किनारे किनारे ट्यूबवेल्स बनाये जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में बतलाया गया है कि दोहरी घाट से एक नहर घोसी, बलिया आदि स्थानों को छूती हुई निकलेगी और टांडा से जो नहर निकलेगी वह गाजीपुर, आजमगढ़ आदि जिलों को सींचेगी। उन्हीं स्थानों पर ट्यूबवेल्स बनाये जा रहे हैं जहाँ पर सरकार का रुपया फिजूल जायगा और अव्यवस्थित ढंग से बनाये जा रहे हैं। मऊ के पास में काझा देहात का बहुत बढ़िया क्षेत्र है। वहाँ नहीं बनाये जा रहे हैं। मऊ के आस पास ट्यूबवेल्स न लगा कर सरकार का खर्चा बेकार किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई मंत्री जी को चेतावनी या आगाह करना चाहता हूं कि जो करप्शन यानी भ्रष्टाचार का बोल बाला हमारे देश में खाद्य विभाग में था कहीं ऐसा न हो कि इस विभाग को भी वही नसीब हो। अभी आजमगढ़ में यह काफी पैमाने पर बढ़ा नहीं है। माननीय झारखंडे राय जी से बातें हुई थीं तो मालूम हुआ कि वहाँ पर भी रिश्वत खोरी शुरू हो गई है। इन शब्दों के साथ मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौक़ा दिया। मैं बोलना चाहता था। सिंचाई मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो काम अपने रिजीम में किया है वह बहुत सुन्दर किया है। हर जगह पानी की उत्तम व्यवस्था की है। परन्तु साथ ही साथ मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं गोरखपुर के पश्चिमी क्षेत्र से चुन कर आया हूं जहाँ पर दो नदियां बहती हैं राप्ती और आमीन और दोनों के बीच में मेरा क्षेत्र है। खरीफ की फसल तो वहाँ नष्ट हो ही जाती है और सिंचाई का ठीक प्रबन्ध न होने के कारण रबी की फसल को भी नुक्सान पहुंचता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे क्षेत्र में नलकूप की व्यवस्था शीघ्र ही कर दें। वहाँ की जनता को बहुत सहूलियत और आनन्द मिलेगा। अगर नल कूप हो जायंगे तो खरीफ की फसल के बाद लोग चीना वगैरह बो कर बाढ़ आने से पहले काट लेंगे और रबी की फसल भी मिल जायगी।

उन्होंने नलकूपों की व्यवस्था पश्चिमी क्षेत्र में की है। लेकिन जिला अधिकारियों ने घोषणा कर दी है कि यह नलकूप तब बनेंगे जब गोरखपुर के और सब बन जायंगे। इसको सुन कर वहाँ के लोग उतावले हो रहे हैं और उनका मेरे से कहना है कि आप सिंचाई मंत्री जी से हमारी तरफ से नहीं कहते कि हमें क्या कष्ट है। इसलिये मुझे सदन में बोलने की जरूरत पड़ी। अब की बार जब वह २८ तारीख को वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के अधिकारियों को यह आदेश दे दें कि पश्चिमी क्षेत्र में

[श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह]

जो नलकूप मंजूर किये हैं उनको शीघ्र बना दिया जाय ताकि जनता का कष्ट दूर हो जाय। मुझे इतना ही कहना है।

श्री दाता राम (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ डबल धन्यवाद इसलिये भी देता हूं कि ५ लाख रुपया जो जमुना नहर को ठीक करने के लिये उन्होंने रक्खा है तो इससे यह साबित होता है कि इन्हें पश्चिम का भी ध्यान है, पूरब ही पूरब का नहीं है। इसलिये भी मैं धन्यवाद देता हूं।

एक बात माननीय मंत्री जी ने अभी भवन के सामने कही थी कि कुछ मौसम ऐसे आते हैं कि जब कि पानी की सब जगह जरूरत होती है और वह खास कर रबी की फसल में जरूरत होती है। मुझे तो यह निवेदन करना है कि अगर हमें खरीफ की फसल में भी जमुना नहर से पानी मिल जावे तो उसे भी हम काफी समझेंगे। मैं समझता हूं कि जितनी वहाँ के काश्तकारों को खरीफ की फसल में जरूरत है पानी की, उतना पानी नहीं मिलता है।

आज हमारे इस प्रदेश में जापानी धान की काश्त की बड़ी चर्चा होती है और इस सरकार ने लाखों रुपया उस पर खर्च किया है। मैं समझता हूं कि जापानी धान की काश्त में कोई खास बात नहीं है। यह तो हमारे हिन्दुस्तानी धान की काश्त है। अगर हमारे काश्तकारों को उतना पानी मिल जाय और खाद मिल जाय, क्योंकि जमीन तो यहाँ की पहले ही से अच्छी है, तो मैं समझता हूं कि जहाँ पर इतना पानी अच्छा मिलता है वहाँ जापानी ढंग से अच्छी काश्त हमारे सूबे में होती है।

एक बात जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि रजबहे वगैरह पर आज कल अफसरों का दौरा बहुत कम होता है और उससे यह बात होती है कि लोग माइनरों की और रजबहों की पटरी काट लेते हैं। एक साहब से जिक्र आया कि आखिर इसकी क्या वजह है? अंग्रेजी काल में तो लोग घोड़ों पर बहुत दौरा किया करते थे और आज कोई दौरा नहीं होता, कोई इन्तजाम और देखभाल नहीं होती? तो उन्होंने कहा कि घोड़े का ३० रुपया तो कुल अलाउंस मिलता है और सौ रुपये से कम घोड़ा नहीं रखा जाता। खैर, कुछ भी हो, इसका सिंचाई मंत्री प्रबन्ध जरूर करेंगे कि दौरा जरूर होना चाहिये और जो पानी चोरी होने की प्रथा है वह बन्द हो जानी चाहिये।

दूसरी बात एक मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में पानी चोरी होता है उसमें कुछ न कुछ नहर के छोटे अधिकारी भी जिम्मेदार होते हैं। यही नहीं कि काश्तकार कुछ गड़बड़ करता है, वह तो खैर अपनी जरूरत में करता ही है, तो मेरा तो सुझाव यह है कि जहाँ पर नुक्सान हो, पटरी काटी जाय तो उनसे भी कुछ न कुछ जवाब तलब होना चाहिये। और उसका इन्तजाम होना चाहिये।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि बाज दफा ऐसे झगड़े पड़ जाते हैं कि गूलों वगैरा को काश्तकार अपने खेत में से नहीं जाने देते। जब चकबन्दी हो ही जायगी तब यह तरीका हट जायगा, लेकिन अभी तक ऐसा है कि जो बड़ा काश्तकार है या जबरदस्त काश्तकार है वह अपने खेतों में से होकर दूसरे कमजोर काश्तकार की गूल नहीं जाने देता। तो इसका ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि चाहे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को अख्तियार दे दिया जाय या कुछ और अख्तियार दे दिये जायं तो जिले के जिले में ऐसे मामले तय हो जायं और गूल का प्रबन्ध हो जाय।

एक बात मुझे यह कहनी है कि हमारी जमुना नहर में जो सब से बड़ी खामी है वह यह है कि फस्ल खरीफ में जब बारिश ज्यादा हो जाती है और पानी जमुना में ज्यादा आता है तो वह सूख जाती है। अब सवाल यह होता है कि हमारी धान की फसल में तो पानी की कमी है।

अफसरान कहते हैं कि रौ आ रही है, लेकिन उधर पानी नहीं मिलता। तो यह सब से बड़ी कमी है। बाज दफा तो लाखों मन धान सूख जाता है। पहाड़ों पर बारिश होती रहती है और मैदानी इलाकों में बारिश होती है।

नहर में पानी नहीं मिलता। इसके लिये मैं माननीय सिंचाई मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी इसका प्रबंध करें।

एक बात जो मैं और कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी हमारे कुछ साथियों ने यह कहा कि पश्चिम के लिए तो अंग्रेजों ने ही बहुत काफी इन्तजाम कर दिया था, अब तो पूरब की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सहारनपुर जिले में बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें पानी पीने तक के लिए कुएं नहीं हैं। मैं तो यह प्रार्थना करूंगा सिंचाई मन्त्री से कि वह इस बात की जांच करावें कि कितने गांव ऐसे हैं जिनमें पानी पीने के लिए कुएं तक नहीं हैं। यानी वहां पर सिंचाई के और साधन कौन कहे पीने के पानी के कुएं तक नहीं हैं और बाज बाज गावों में कई मील तक लोग पानी लेने के लिए जाते हैं। तीसरी बात मुझे ट्यूबवेल्स के सम्बन्ध में कहनी है और वह यह है कि हमारी तहसील में ट्यूबवेल तो काफी लग गये हैं और काश्तकारों ने अपने गेहूं काटकर बहुत सी गूलें भी अपने श्रमदान से बना दी हैं लेकिन उनमें पानी आज तक नहीं चालू हुआ है। पहले तो यह ख्याल था कि उस रबी की फसल में ही सिंचाई हो जायगी लेकिन अब की भी नहीं हुई और यह नहीं पता कि कब तक पानी उनमें आयगा। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां पानी की व्यवस्था करें और यही बात कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश का प्रत्येक नागरिक और इस सदन का प्रत्येक सदस्य अपने प्रदेश अथवा जिले में चहुंमुखी उन्नति और विकास देखना चाहता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध और प्रयत्नशील है। बहुत कुछ उन्नति हो भी चुकी है और उन्नति होनी शेष भी है लेकिन फिर भी हमारे बहुत से साथी जो उन्नति और प्रगति के कार्य हुए हैं उनकी चर्चा न करते हुए उनमें जो खामियां नजर पड़ती हैं उन खामियों का वह जिक्र करते हैं। ठीक है खामियों का जिक्र करना चाहिए किन्तु साथ ही अगर उन्नति और प्रगति तथा विकास के कार्यों का भी वह जिक्र करें तो उसमें उनका भी और इस प्रदेश का भी भला है और यह समझना चाहिए कि केवल रचनात्मक कार्यों के जरिये से ही, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से ही अथवा कंस्ट्रक्टिव सुझावों से ही इस देश का और इस देश के निवासियों का भला हो सकता है। प्रदेश में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए यहां पर सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा का विनाश कर चकबन्दी का नया कानून पास किया गया जिससे किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। और इसके बाद ही सबसे पहले सिंचाई के ऊपर इस प्रदेश की इनकम का बहुत बड़ा भाग खर्च किया जा रहा है और आपने यह देखा कि पिछले तीन चार पांच सालों में इस प्रदेश ने काफी तरक्की की है। आंकड़े में दिए हुए हैं और जो कि माननीय मन्त्री जी ने आपके सम्मुख रखे भी हैं, उनको दुहराने की अवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी जो कुछ सिंचाई के कार्यों मे अथवा सिंचाई व्यवस्था में इस प्रदेश ने प्रगति कमी है, चितने डैम्स प्रारम्भ हुए हैं और दिन पर दिन बनते जा रहे हैं और जिस कदर नये नये ट्यूबवेल्स और उनके चैनल्स और कैनाल्स बनते जा रहे हैं वह एक उत्साहवर्धक चीज है। उससे हमारे देश के खाद्यान्न मे तरक्की होगी। हम यह अच्छी प्रकार समझते हैं कि हमारे प्रदेश ने अपनी उस खाद्यान की कमी को पुरा किया है जिसके लिए हमारा प्रदेश दूसरों का मुहताज था। हमने कंट्रोल को खत्म किया। क्या कंट्रोल के लिए हम नित्य गवर्नमेंट को बुरा नहीं कहा करते थे। चाहे सदन के इस पक्ष का सदस्य हो या उस पक्ष का, सभी कंट्रोल के सम्बन्ध में गवर्नमेंट को बुरा कहा करते थे। गवर्नमंट ने खाद्यान की कमी को पूरा करके कंट्रोल को हटा दिया है और यह कमी हमारे इरीगेशन विभाग के प्रयत्नों द्वारा पूरी हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है नहीं कि जो कुछ भी हुए हैं वह सारे के सारे पूरे हो चुके हैं।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

लेकिन उनको पूरा करने में एक विशेष प्रगति हुई है जिसकी हम मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। साथ ही साथ मुझे अपने सिंचाई मंत्री से यह भी निवेदन करना है कि हर समय यह कहा जाता है कि पश्चिमी यू० पी० में जितनी नहरें और ट्यूबवेल हैं सारे प्रदेश की आय का हिस्सा उनके बनाने में लगा है। यह बिल्कुल निर्मूल है। १७३८ में मुहम्मद शाह ने, यमुना नहर को बनवाया था। उसी की रिमार्डलिंग अंग्रेजों ने की थी। जहाँ तक गंगा नहर का सवाल है साढ़े चार करोड़ रुपया कर्ज लेकर उसको बनवाया गया था। जो कभी का बेबाक भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर सूचना विभाग की पुस्तकों में कहा जाय कि प्रदेश की समस्त आमदनी का एक बड़ा भाग यमुना और गंगा नहरों के बनाने पर लगा था तो मैं समझता हूं कि वह बिलकुल निर्मूल और गलत बात है जिसका प्रचार किया जाता है। (एक आवाज : आकाश से आया था ?) कर्ज से आया था।

बजट के साधारण विवाद पर कुछ बोलने का मौका नहीं मिल सका। मैं इस बजट को डेवलपमेंट बजट भी कहता हूं, लेकिन जहां मैं इसको डेवलपमेंट बजट कहता हूं वहाँ अगर इस बजट को ईस्टर्न यू० पी० का बजट कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। हम चाहते हैं कि पूर्वी जिलों का विकास हो लेकिन पश्चिमी यू० पी० को भी कम्प्लीटली नेगलेक्ट न किया जाय। पश्चिमी यू० पी० से जितनी भी आय होती है हम नहीं चाहते कि उसका सब हिस्सा हम पर ही खर्च किया जाय। हमारे जो पिछड़े हुये इलाके हैं उनका डेवलपमेंट किया जाय। हम भी उसमें हृदय से सहयोग देते हैं। लेकिन दो तीन सालों से और इस साल भी हम देखते हैं पश्चिमी यू० पी० पर बिलकुल नामिनल किस्म का खर्चा किया गया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी आय पश्चिमी जिलों से होती है उसका ५० प्रतिशत हमारे जिलों पर खर्च किया जाय, और अगर इतना भी न हो सके, तो ६० प्रतिशत पूर्वी यू० पी० पर खर्च कर, शेष ४० प्रतिशत पश्चिमी यू०पी० पर अवश्य ही खर्च किया जाय जिससे हम अपने यहां के रहने वालों को बता सकें कि पंच साला योजना में हमारी सरकार ने इस क़दर कार्य किया है। चाहे किसी भी योजना को लीजिये, अथवा किसी भी विभाग को लीजिये, पश्चिमी यू० पी० बिलकुल नेगलेक्ट किया जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान रखें। वित्त मंत्री महोदय इस समय नहीं हैं। यह तीसरे साल का बजट है लेकिन केवल चार पाँच फीसदी बजट का पश्चिमी यू० पी० पर खर्चा किया जाता है। यह मेरी अकेले की फीलिंग नहीं है। जितने भी इस सदन में पश्चिमी जिलों के सदस्य हैं उनकी सब की यही फीलिंग है और मैं उन सब की तरफ से यह चीज माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं।

इसके साथ ही मुझे दो चार बातें और कहनी हैं। वे ये हैं कि किसी जमाने में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जितनी शिकायतें पुलिस की की जाती थीं वह आज इस विभाग के सम्बन्ध में की जाती हैं। माननीय मंत्री जी को भी इस बात का अनुभव हुआ होगा कि काफी लोग शिकायत करते हैं।

इसके अलावा मुझे तावान के सम्बन्ध में कहना है कि जहां पर कोई पटरी कटी चाहे किसान काटे या अपने आप टूट जाय तो तावान पतरौल की रिपोर्ट पर किसानों से वसूल किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि पटरी अपने आप कट गई हो और ऐसा भी होता है कि किसानों ने काटी हो लेकिन हर दशा में किसानों को तावान देना पड़ता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि वह इसका भविष्य में ध्यान रक्खें और आवश्यक आदेश जारी करें जिससे जो वास्तविक मुलाजिम हो पूरी जाँच कर के उसी को सजा दी जाय।

श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो २ वर्ष हो गये एक सालाना बजट पेश होते हुए भी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया। मेरे जिले से हो शारदा कैनाल निकली है उसका लेविल बहुत अबड़-खाबड़ है। उसका नतीजा यह निकलता है कि जहां ऊपर से पानी चला और

नीचे जाकर रुकता है, वहां काश्तकारों को आबपाशी करने में बड़ी तकलीफ होती है। काश्तकारों जो बम्बे का पानी खोलने के लिये जाता है, वहां पानी बहुत नीचा होता है और पानी उसे आबपाशी के लिये नहीं मिल पाता। पुलियों के पास जो मुंह होता है पतरौल से मिल कर चोरी से घास फूस का ढेर लगा कर पानी को रोकता है तब पानी लेकर काश्तकार ले पाता है। अगर एक लेबिल कर दिया जाय तो ऊपर से ले कर नीचे तक पानी बब्बे में चलता रहेगा और सबको आबपाशी के लिये पानी बराबर मिलता रहेगा।

नहर वाले जब वहां से पास होते हैं तो एक्जिक्यूटिव इंजीनियर साहब का तो पता ही नहीं चलता। सरकार ने उनको मोटर दे रक्खी है। मोटर से वह हवा के माफिक सफर करते हैं और काश्तकार बेचारे किनारे ही खड़े रह जाते हैं। कोई बात वह सुनने की कोशिश नहीं करते। सरकार से इस बात की प्रार्थना है कि वह एक्जिक्यूटिव इंजीनियर को बजाय मोटर देने के घोड़ा दे ताकि काश्तकार उनको रोक सके और रोकने पर उनसे पूरी बात कर सकें। मोटर से तो वह दौड़ते चले जाते हैं और काश्तकार की कोई बात सुनने की वह कोशिश नहीं करते और न पड़ताल करने के लिए ही वह किसी काश्तकार के खेत के पास जाते हैं।

पतरौल का यह हाल है कि २४ गांवों में वह आबपाशी लिखता है। उस दौरान में अगर पानी बरस गया तो आबपाशी खत्म। पतरौल को पता ही नहीं चलता कि कहां आबपाशी हुयी और कहां नहीं हुयी। सैकड़ों किसानों की आबपाशी छूट जाती है और जिनकी आबपाशी नहीं हुयी नाम उनके भी इन्दराज हो जाते हैं और बेचारा किसान पिस कर रह जाता है।

नहरों पर जो सफाई होती है उसका इन्तजाम ओवरसियर्स के हाथ में होता है। वे झूठ-मूठ मजदूरों का नाम रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं और लिख दिया जाता है कि इतने मील सफाई कराई गयी। घास सफा की, पेड़ सफा किये और मिट्टी डलवाई और इस तरह से झूठा सफाई कराने का बिल देते हैं। लेकिन काम होता कहीं नहीं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक एरिया में तीन एक्जिक्यूटिव इंजीनियर रहते हैं। उनका यह काम है कि वह नहर को देखने किनारे किनारे चले जाते हैं और महीने में एक बार तनख्वाह बटवाते हैं। दो दिन उसमें लगते हैं और उनकी निगरानी के लिये ६ आदमी रहते हैं और उसके बाद वे ६ आदमी महीना भर बेकार रहते हैं। बेहतर तो यह होगा कि पुलिस की एक गारद उनको दे दी जाया करे ताकि वह रुपया बांट सकें और उनकी हिफाजत कर सकें।

सरकार जो ओवरसियर्स मुकर्रर करती है उनको तनख्वाह और टी०ए० के अलावा २० रुपये सिंचाई का एलाउन्स भी मिलता है। पहले ओवरसियरों की बहुत कमी थी जिसकी वजह से यह सिंचाई एलाउन्स दिया जाता था लेकिन अब तो रुड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से हर साल बहुत से ओवरसियर्स पास हो कर निकलते हैं और वे नहर विभाग में आने के लिये तैयार भी रहते हैं। फिर इस एलाउन्स के देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

गांव में जो तालाब हैं गांव सभाओं ने उन तालाबों को पट्टे पर उठा दिया है। यदि सरकार उन्हें अपने हाथ में ले ले तो उनमें जो बहुत सा पानी बरसात में जमा हो जाता है उससे बहुत आसानी से काश्तकार आबपाशी कर सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ३ दिन के उठने-बैठने के बाद आपकी कपा से मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। चाहता तो था पहले ही अनुदान पर इन बातों को कहूं लेकिन जब आपने अवसर दिया तभी मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं। पूर्वी–पश्चिमी नहरों और ट्यूबवैल के रगड़े झगड़े के कारण

[श्री जोरावर वर्मा]

हम दक्षिणी-बुन्देलखंड वालों की कोई सुनवाई इस समय नहीं होती है। वहां पर पहले की जो नहरे बनी हुयी है उनकी हालत कितनी खराब है यह मैं बतलाना चाहता हूं जिससे आप जान जायेंगे। माननीय मंत्री जी हमारे वहां नहरों के लिये बांध बनवा रहे हैं। उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन वहां पर पहले से बेतवा और धसान नदियों से नहरें निकली हुयी हैं और उनके विषय में जो शिकायतें सुनने में आ रही है कि समय पर पानी नहीं मिलता है मैं उसके कारणों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

पानी न मिलने का पहला कारण तो यह है कि बांध के जो अधिकारी हैं वह रुपया ले देकर जिस समय बुवाई का टाइम होता है कछार को खाली करने के लिये बांध को खोलकर पानी निकाल देते हैं। जहां जमीन का किराया या लगान ५ रुपया एकड़ होता है उसका २५ रुपया घस ले लेते हैं जैसा कि पहले जमींदार किया करते थे। यह अधिकारी घूस लेकर वहां कछार को खाली करने के लिये उसका पानी निकाल देते हैं जिसके कारण सिंचाई के लिये आगे मुश्किल पड़ती है और उस नहर में पानी नहीं रहता है।

दूसरा कारण है जब सिंचाई नहीं होती है तब नहरों को बन्द नहीं किया जाता है जिसके कारण पानी का दुरुपयोग होता है और पानी इतना बह जाता है कि आवागमन के रास्ते बन्द हो जाते हैं।

तीसरा कारण यह है कि जो छोटे-छोटे तालाब हैं जैसा कि हमीरपुर जिले में कुलपहाड़ और कमालपुरा के तालाब हैं। वहां पर नहरें खुली रखते हैं ताकि तालाबों में पानी न रह सके जिसके कारण समय पर तालाब में पानी नहीं मिलता है। यह तो सदन के सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो रेट बढ़ाया गया है उसको देने में कृषकों को बड़ा कष्ट होता है। बुन्देलखंड की भूमि मेरठ और दोआबा की भूमि से बहुत कम उपजाऊ भूमि है। इसलिये इस बात पर विचार करके सिंचाई के रेट को तय करें और उसी तरह से उनसे वह टैक्स लिया जाय, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उस भूमि की उपज को देखते हुये १।। के बजाय १। टैक्स करदें तो अधिक अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ५२-५३ में बंदियों की स्कीम बुन्देलखंड में चालू की गयी थी। लेकिन मुझे दुख है कि हम इस बजट में उनके लिये रुपया का प्राविजन क्यों नहीं किया गया है जिसके कारण बन्दी नहीं बन सकती हैं। जहां कि नहरें नहीं निकल सकती हैं, वहां पर छोटे काश्तकारों के लिये, उनके लिये पानी की सुविधा देने के लिये यह आवश्यक है कि इन बंदियों की स्कीम को फिर से चालू किया जाय और उनके लिये बजट में रुपया रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो नये नये बांध बन रहे हैं वहां पर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे यह सदन पूरे तरीके से परिचित है। मजदूरों को जो मजदूरी का पूरा रेट है वह न देकर बहुत कम पैसा उनको दिया जाता है। यह मेरी जानकारी है कि माननीय मंत्री जी जिस समय माताटीला बांध गये थे तो इस विषय में उनसे मजदूरों का एक डेपुटेशन मिला था। एक बात और यह है कि ठेकेदारों के साथ ओवरसियर ऐसा करते हैं कि एक ठेकेदार से दूसरे ठेकेदार को ओवरसियर मिट्टी नाप देते हैं और उसका पेमेन्ट करके खद आधा ले लेते हैं। पानी न मिलने का एक कारण यह भी है कि पतरौल लोग जहां पुल नहीं हैं वहां से नहर काट कर जहां सिंचाई के लिये पानी नहीं जाना चाहिये वहां पानी दे देते हैं और रुपया ले लेते हैं। इस प्रकार जिनकी सिंचाई होनी चाहिये उनसे रुपया तो वसूल कर लिया जाता है हालांकि उनको पानी नहीं मिलता है और जिनको पानी मिलता है उनसे रुपया नहीं लिया जाता है। इससे सरकार को हानि होती है और किसानों की तो होती ही है। इससे पतरौल को रुपया लेने का अच्छा मौका मिल

जाता है। समय पर पानी न मिलने का एक कारण यह भी है कि अधिकारी वर्ग पानी देने में देर कर देते हैं। जब लोगों को बहुत जरूरत होती है और वे जाकर अधिकारी वर्ग को मानते हैं तो वह कहते हैं कि ऐसे पानी थोड़े ही मिल जाता है। इन्द्र भगवान बिना पूजा के प्रसन्न नहीं होते और इन्द्र भगवान की कृपा होगी तब पानी मिलेगा। इस प्रकार से वे किसानों से रुपया लेकर उनको पानी देते हैं।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में यह सिंचाई अनुदान उपस्थित है मैं उसके लिये माननीय सिंचाई मंत्री जी को अत्यन्त बधाई देता हूं क्यों कि जिस रोज से उन्होंने यह विभाग अपने हाथ में लिया है उस दिन से सिंचाई विभाग में उन्नति होती जा रही है। जब से हमारी सिंचाई की विभिन्न योजनायें चली हैं तब से नहरें और ट्यूबवेल हमारे प्रांत में लगने आरम्भ हुये। आज सिंचाई का इतना प्रबंध देखते हुये मुझे खेद के साथ एक बात कहनी पड़ती है। हमें महसूस होता है और वह आबपाशी का लगना बढ़ाने की बात है। खैर, किसान देगा परन्तु जिसे जिले के किसानों से इतना लगान वसूल किया जाता हो उनको पानी तो समय से मिलना चाहिये। यदि आपको समय से पानी न मिले तो यह कर देने में आप कितनी कठिनाई मालूम करेंगे? क्या आप खुशी से लगान दे देंगे? आप नहीं दे सकते? तो मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस किसान को पानी समय पर नहीं मिलता वह कैसे खुशी से पैसा देगा।

मुझे अत्यन्त खुशी है कि मैंने अपने सिंचाई मंत्री में एक खास बात देखी कि उन्होंने किसानों के मध्य में जाकर उनकी बातें सुनीं और यह आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी कठिनाइयां दूर करने का प्रयत्न किया जायगा। तो किसान अत्यन्त खुशी हुये। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने अधिकारी वर्ग से भी कहें कि वे भी वहाँ जाकर किसान की बात सुनें और उनको विश्वास दिलावें कि उनको पानी न मिलने की कठिनाई का इन्तजाम किया जायगा। परन्तु ऐसा नहीं होता। उसका खास कारण यह है कि उनको मोटरें घूमने के लिए और रहने के लिए कोठियां चाहियें। किसान जाड़े और धूप में मेहनत करता है जिसको पानी देने की अधिकारियों को कोई चिन्ता नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक माइनर जो धौलरी से गुजरती है उसके लिये हम लोगों ने कहा कि वहां कुलाबे चौड़े कर दिये जावें और उसकी सफाई कर दी जाय ताकि पानी अच्छी तरह से जा सके और काश्तकारों को पानी समय पर मिल सके। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि वह बातें वहीं तक रह गयीं और आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुयी, जबकि मंत्री महोदय ने भी यह आदेश अधिकारियों को दे दिया था। यदि ऐसी ही बातें चलती रहे तो किसान असन्तुष्ट हो जायगा और जिनके दिलों में खुशी की बात भर रही है कि सरकार हमारे लिये प्रबन्ध करने जा रही है वहां वह असन्तुष्ट हो जायगा और समझेगा कि यह कहते ही हैं करते कुछ नहीं हैं।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आप पूर्वी जिलों में सिंचाई के लिये अधिक प्रोत्साहन दीजिये लेकिन जितना रुपया उन जिलों से आता है उसका आधा रुपया तो अवश्य ही वहां पर खर्च किया जाना चाहिये ताकि वहां के कृषक यह समझ सकें कि हमारी सरकार ने जो आबपाशी बढ़ाई है उसका कुछ हिस्सा हमारे यहां भी खर्च किया जा रहा है। आज तो वे कहते हैं कि हमारी आबपाशी तो बढ़ गयी है लेकिन हमारे यहां सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब आप वहां से आबपाशी और पानी का लगान वसूल कर रहे हैं तो कम से कम भगवन यह तो देखिये कि आप वहां पर लगा क्या रहे हैं, कितने पैसे आप उन पर खर्च कर रहे हैं। वहां के काश्तकार व्याकुल हैं। आपके आपरेटर्स रिश्वत लिये बगैर पानी नहीं देते हैं और नहरों के जो अधिकारी हैं वे काश्तकारों की कोई

[श्री हरि सिंह]

बात नहीं पूछते । कोई भी अधिकारी यह नहीं देखता कि काश्तकारों को वक्त पर पानी मिलता भी है या नहीं और किसान जो कि अपनी खेती की स्थिति को उन्नतिशील बनाना चाहता है उसको पानी क्यों नहीं मिलता ? अगर वे मौके पर जायं तो उनको किसानों की मुसीबतों का हाल मालूम हो सकता है । अतः मैं माननीय सिंचाई मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे उन किसानों की तरफ भी ध्यान दें ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के अनुमोदन के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सारे प्रांत के इर्रीगेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला दी है । लेकिन पर्वतीय प्रदेशों के लिये थोड़े सुझावों की तरफ मैं उनका ध्यान, इस अवसर का लाभ उठाते हुए आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उन बातों पर विचार करेंगे । मुझे दुख है १५ करोड़ के बजट में से पर्वतीय इलाकों के लिये केवल ६ लाख का अनुदान रक्खा गया है । मुझे यह तो नहीं मालूम कि टेहरी-गढ़वाल, गढ़वाल और नैनीताल में कितनी गूलों और कितने हाईड्राम की आवश्यकता है । लेकिन मैं यह जानता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जिला अल्मोड़ा में चम्पावत-पिथौरागढ़ के इलाकों में इसकी बहुत जरूरत है जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान पिछले बजट में आकर्षित भी कर चुका हूं । मैं इस समय सदन का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि वहां पर जो गूलें बनानी हैं उनके नाम पिछले बजट के समय मैं सदन को बता चुका हूं और उस समय माननीय मंत्री जी ने पर्वतीय प्रदेशों से बहुत सहानुभूति दिखायी थी जिससे मुझे आशा थी कि वे इस बजट में काफी रकम पर्वतीय प्रदेशों के लिये रखेंगे । उनका कहना था कि वहां पर हाईड्राम सिस्टम की व्यवस्था की जायगी लेकिन मेरे सामने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुयी । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो धनराशि ६ लाख की रखी गयी उसमें से जिला अल्मोड़ा के लिये १ लाख ३० हजार रुपया था उसमें से एक पैसा भी जिला नियोजन कमेटी ने आजतक खर्च नहीं किया है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह अत्याचार क्यों हो रहा है । जहां लोग भूखे मर रहे हों, पहनने को कपड़ा न हो, कोई करने का काम न हो जिससे रोजी कमा सकें ऐसी हालत में भी जो थोड़ी धनराशि मिलती है वह भी जिला नियोजन कमेटी लैप्स कर देती है उसको क्यों खर्च नहीं किया जाता ? गूलें क्यों नहीं बनायी जाती हैं, क्यों सरकार के आदेशानुसार अर्थव्यवस्था को कार्यान्वित नहीं किया जाता ? मुझे इसका हार्दिक दुख है । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस बात की छानबीन की जाय कि क्या बात है कि धनराशि की मंजूरी होते हुए भी वहां कोई काम अब तक नहीं किया गया । जब जिला नियोजन कमेटी के सामने यह मामला गया तो मालूम हुआ कि जो जो गूलें वहां बननी हैं और जिनके लिए रुपया भी मंजूर हो चुका है, सर्वे भी हो चुका है और सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया जा चुका है कि बहुत जल्दी कार्यान्वित किया जायगा और ये गूल बन जायेंगे फिर भी यह धनराशि वैसी की वैसी रखी रह जाय और लैप्स हो जाय, मैं आशा करता हूं और बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात की जानकारी हासिल करे कि क्यों इस प्रकार से धनराशि लैप्स हुई है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरी इस भावना को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे और यह नहीं सोचेंगे कि चूंकि हमने इस काम को जिला नियोजन कमेटी के ऊपर छोड़ दिया है इसलिये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है । अगर ऐसी भावना रही तो फिर इसका कार्यान्वित होना सम्भव ही मालूम होता है । जहां तक पुलीगाड़ जल विद्युत योजना की बात है यह एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की योजना है जिससे काफी इर्रिगेशन होता और जनता का लाभ होता और साथ ही साथ बिजली भी उससे पैदा होती । इसके अलावा टनकपुर में कई जगहें ऐसी हैं जहां कुछ भी नहीं सिंचाई होती । एक जमाना था जबकि वहां सिंचाई की व्यवस्था थी मगर अब भी उनसे वही टैक्स लिया जा रहा है जो सिंचाई

की भूमि पर पड़ता है । तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन जगहों पर सिंचाई नहीं हो रही है या तो ऐसी कोई व्यवस्था वहां निकाली जाय कि सिंचाई की जाय या वहां के लोगों का टैक्स माफ कर दिया जाय । और इलाके में तो सिंचाई का इन्तजाम है मगर टनकपुर में खासतौर से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि वहां कोई सिंचाई की व्यवस्था न हो तो कम से कम जो टैक्स उन लोगों के ऊपर पड़ता है उससे तो उनको माफी मिलनी चाहिये क्योंकि जब इरिगेशन नहीं होता है तो उनसे टैक्स लेना कुछ अनुचित सा मालूम होता है। इसके अलावा मुझे सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना है कि पर्वतीय प्रदेशों में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां फलों के बड़े बड़े बगीचे बन सकते हैं बशर्ते कि हाइड्राम सिस्टम से पानी की सिंचाई का प्रबंध किया जाय । यदि हाइड्राम सिस्टम से पानी नीचे से ४, ५ सौ फीट ऊंचा चढ़ाया जाय तो कई फलों के बगीचे लगाये जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां गूलें बन चुकी हैं लेकिन ठेकेदारों का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। इसका नतीजा यह है कि वे ठेकेदार गरीब मजदूरों को पैसा नहीं दे पाये हैं जिससे जनता में बहुत असन्तोष फैला हुआ है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी । इसके अलावा मुझे सरकार से सबसे पहले यह प्रार्थना करनी है कि कई जगहों में लोगों ने श्रमदान से बहुत कुछ काम किया और बहुत सी गूलें बनायीं मगर उनके पास पैसा न होने की वजह से वे गूलें पूरी तरह से नहीं बन पायी हैं। अगर सरकार पूरी गूलों के लिये कोई धनराशि मंजूर न करे तो न करे मगर ऐसी हालत में श्रमदान से बहुत सी गूलें बन चुकी हैं उन गूलों को पूरे रूप में कार्यान्वित करने के लिये थोड़ी बहुत धनराशि की मंजूरी अवश्य दे ताकि वे सिंचाई के कार्य पूरे हो सकें ।

सदन की बैठक का समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे का और बढ़ा दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा **श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)---मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये नियम यह है :

"A demand for grant shall be presented in such order and then discussion shall continue for such time within the period allotted under sub-rule (1) as the Leader of the House in consultation with the Leader of the Opposition, may determine."

तो यह सब समय तय हो चुका है और लीडर आफ दि हाउस और लीडर आफ दी अपोजीशन द्वारा उसको मंजूर किया गया है। नियम के अनुसार तो यों ही जैसे और कार्यों में समय सदन में बढ़ाते रहे हैं यों इस कार्य में समय नहीं बढ़ेगा। इसके लिये लीडर आफ दि हाउस से कहें और वह लीडर आफ दि अपोजीशन से बातचीत कर के कोई परिवर्तन करना चाहते हों तो वह कल उपस्थित हो सकता है।

कटौती प्रस्तावों पर बोलने के लिए सदस्यों को समान अवसर देने की प्रार्थना

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि जिनके कटमोशंस हैं वह शुरू से खड़े होते रहे लेकिन उनको अवसर नहीं मिला। इसके माने यह होते हैं कि उनका कटमोशन देना बेमानी हो जाता है। इस विषय में आप की क्या व्यवस्था है मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---यह तो प्रथा का सवाल है। प्रथा अब तक यही चली आयी है कि एक ही कटमोशन ले लेवें। वैसे तो एक एक कटमोशन ले सकते हैं लेकिन प्रथा यह है कि एक कट-मोशन ले लेते हैं और उस पर जितने लोग बोलना चाहें उनको बोलने का अवसर दें जहां तक हो सके दें। अब अध्यक्ष की नजर जिस सदस्य पर पड़ जाती है वही सदस्य बोलता है लेकिन उसमें भी यह देखना पड़ता है कि जो पिछले दो तीन दिनों से बोल रहे हैं उनको अवसर न मिल कर जो नहीं बोले हैं उसको अवसर मिले। ४ सौ का हाउस है, सब तो बोल नहीं सकते। यह भी नहीं होना चाहिये कि कुछ दो-दो, तीन-तीन दफे बोल लें और दूसरों को अपने विचार प्रकट करने का कभी अवसर न मिले। ऐसा हो तो उसमें लोगों को थोड़ी तकलीफ हो जाती है। इसलिये इसका भी यह विचार करना होता है कि दो-दो, तीन-तीन बार लोगों को बोलने का अवसर न मिल कर अगर नये लोगों को मिल सके तो अच्छा है। फिर भी ग़लती हो भी जाती है लेकिन कोशिश यही होती है कि लोगों को दोबारा मौक़ा न दिया जाय। माननीय सदस्यों को थोड़ा सा अपने को संयमित करना ही चाहिये क्योंकि उनकी ४ सौ की फेमिली है और उसमें सब को खुश करना है।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४२-लेखा शीर्षक--६८-सिंचाई, नौचालन बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री शिवबक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में सिंचाई के संबंध में नलकूपों के द्वारा, बांधों के द्वारा, नहरों के निर्माण और विस्तार के द्वारा जो प्रगति हुई है उसके लिये मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है कि जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम जिस प्रगति से इस ओर बढ़ रहे हैं उससे हम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा हो जायगा।

यह सिंचन विभाग बड़ा कल्याणकारी विभाग है। हमारे देश की खाद्य समस्या, बढ़ती हुई जन संख्या की समस्या बहुत कुछ इससे हल हो सकती है लेकिन इसके साथ ही साथ जहां हमारे मंत्री महोदय इस दिशा में प्रगतिशील हैं और इस सिंचन के विभाग को अधिकाधिक उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के लिये चिन्तित हैं वहां मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अधिकारी वर्ग की मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की बड़ी आवश्यकता है।

हमारे यहां नहरों की पटरियों पर जो खांदियां होती हैं उनका जिस तरह से अनुचित ढंग से लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं उसके सम्बन्ध में जो व्यवस्था होनी चाहिये वह मेरी राय में ऐसा होनी चाहिये जिससे समुचित ढंग पर किसानों को न्याय मिल सके। खांदियां जो हो जाती हैं उनके लिये अनुचित ढंग से हमारे अधिकारीवर्ग हमारे किसान भाइयों को परेशान करने के लिये उनसे तावान वसूल करने का यत्न करते हैं। मुझे अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में अनुभव है। मेरे यहां इटावा डिविजन में इस तरह की एक खांदी हुई। पहले उसके लिये जिन्होंने खांदी की थी उनके ऊपर तावान लगाया गया लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो तीन गांव के और निरपराध किसान थे उन पर भी वह तावान लगाया गया। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने व बाबू मिजाजी लाल जी ने इस बारे में प्रयत्न किया और यह कोशिश की कि जिन लोगों पर तावान गलत लगा है उन पर नहीं लगना चाहिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पतरौल से ले कर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर तक नहर के अफसरों ने यह प्रयत्न किया कि जो ग़लत फैसला हो गया है वही रहना चाहिये और जो गलती से निरपराध किसानों पर तावान लग गया है वह लगना चाहिये। तो जब हमारे प्रदेश में इतने बड़े-बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर आसीन सरकारी अफसर जो हैं उनकी मनोवृत्ति छोटे-छोटे सवालों पर ऐसी हो जो कि

हमारे किसानों के जीवन और मरण का प्रश्न है और जहां उन्हें न्याय और इन्साफ मिलने का प्रश्न हो उसे सरकारी अफसर अपने मान और सम्मान का प्रश्न बना लें तो मैं समझता हूं कि इस प्रगति के पथ पर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ सकेंगे। मैं अपने माननीय मन्त्री महोदय का आभारी हूं कि इस बारे में उन्होंने हस्तक्षेप करके उन निरपराध किसानों को न्याय दिलाने की चेष्टा की लेकिन फिर भी मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक इस तरह की हमारे सरकारी अफसरों की मनोवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक जो प्रयत्न हमारे किसान भाइयों को लाभान्वित करने के लिये किये जा रहे हैं उनका सारा लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह की जो मनोवृत्ति जिन अधिकारियों में है वह निन्दनीय है और उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस तरह के अधिकारियों को या तो उन्हें स्वयं अवकाश ग्रहण कर लेना चाहिये या उन्हें आप के, द्वारा अवकाश मिल जाना चाहिये। खांदियों के मामले में जो इन्साफ होता है उसमें बड़ी छानबीन की आवश्यकता है। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां बहुत से थानेदार ऐसे हैं जो कि किसी संगीन जुर्म ,डकैती या क़त्ल का हो जाना अपने लिये भगवान की देन समझते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि परिपाटी हमारे नहर विभाग में नहीं होनी चाहिये कि वह अपने यहां खांदी हो जाना भगवान की देन समझें। इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई विभाग के माननीय मंत्री को जो उन्होंने इस दिशा में प्रगति की है, उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से माननीय सदस्यों के बहुत से भाषणों को सुन रहा हूं और मुझे आज भी इस कटमोशन पर बहुत से सदस्यों के भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो बहुत असमंजस में पड़ गया हूं और आश्चर्यचकित हूं कि जितने भी माननीय सदस्य यहां पर बोलने के लिये प्रस्यत हुये उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी झगड़ों को अपने भाषणों में स्थान दिया। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि माननीय सिंचाई मंत्री जी पूर्वी क्षेत्रों के माननीय सदस्यों के विश्वासपात्र और पश्चिमी क्षेत्रों के माननीय सदस्यों के अविश्वासपात्र हो गये हैं, ऐसी गलतफहमी हो गई है। इसी तरह का भाषण कल भी मैंने इस सदन में सुना।

एक माननीय सदस्य ने माननीय सिंचाई मंत्री जी को भागीरथ की उपाधि दी। मुझे भी इसमें किंचितमात्र कोई अन्देशा नहीं मालूम होता। मैं भी यही भाव प्रकट करना चाहता हूं कि सिंचाई मंत्री जी भागीरथी उपाधि के योग्य हैं लेकिन कुछ संशोधनों के साथ। भागीरथ ने जो प्रयत्न किया उससे गंगा का आकाश से अवनि पर अवतरण हुआ। मनुष्यों ने समझा कि स्नान करने के बाद उन्हें मोक्ष मिलेगा। वह गंगा लोगों को मोक्ष देती हुयी आगे बढ़ी और जा कर समुद्र में मिली, जहां उसका रूपान्तर हुआ और वह भी खारी पानी की शक्ल में। मैं माननीय मंत्री जी का आप के द्वारा इधर ध्यान आकर्षित करते हुये चाहूंगा कि भागीरथ की उपाधि सदन ने उन्हें यहां दी है, वे अपने प्रयत्नों में खारे पानी का ढेर बनने की कोशिश न करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में बड़ी काफी चर्चा रही है और यह कहा गया है कि सिंचाई विभाग में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो निन्दा की पात्र हैं। पुलिस विभाग की इस विभाग से तुलना भी की गयी है और मुझे भी इसमें कोई अन्देशा नहीं मालूम होता।

बहुत से सुझाव आये हैं और मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं जिसके लिये मैं चाहता कि माननीय सिंचाई मंत्री जी बधाई के पात्र बनें। माननीय सिंचाई मंत्री ने बहुत से बांध बनवाये हैं। मैं सिर्फ एक और बांध बांधने के लिये उनसे अपील करूंगा। इस अनुदान के द्वारा जिस सम्पत्ति को लेकर वे देश में, सूबे में, गांवों में लोगों के घरों में फैली हुई ग़रीबी के स्थान पर सम्पत्तिकी धारा बहाना चाहते हैं, उस धारा को एक और बांध के द्वारा रोक दें जो ग़रीबों की झोंपड़ियों में जा कर रुक जाय और फिर वहां से कोई छिद्र उसका अन्यत्र न बहा ले जाय, वह उनसे

[श्री रामेश्वर लाल]

दूर न माना जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में विरोधी पक्ष से सहयोग की अपील की गयी है। विरोधी पक्ष कब सहयोग नहीं करता है। मैं आप के द्वारा सदनके सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमारा सहयोग माला पहनाने में, जय बोलवाने में लेना चाहते हैंजैसा कि पहले होता था, या जहां देश की जनता के उत्थान का प्रश्न है वहां आप हमारा सहयोग लेना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में, अखबार पढ़ने वालों ने अखबार में पढ़ा होगा कि २१ तारीख को ६ आदमियों की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण बतलाते हुये सम्वादाता ने लिखा है कि चारे की कमी, अन्न की कमी और सिंचाई की कमी के कारण ६ आदमी तड़प-तड़प कर मर गये हैं और और भी आदमियों के मरने की संभावना है। मैं आप के द्वारा सदन का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी पूर्व पश्चिम के झगड़ों में न पड़ कर उन जिलों की विशेष आवश्यकताओं की ओर ध्यान दें जिन जिले में अनाज की कमी है, जिन जिलों में लोग भूख से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं, जिन जिलों में पैदावार की कमी है, जिन जिलों में लोग पानी और ओले से तबाह हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि वे देवरिया जिले की तरफ ध्यान दें। बहुत से स्थानों पर सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां सिंचाई का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है लेकिन अधिक पानी उन्हें बर्बाद कर देता है और उन्हें मौत के मुंह में डाल देता है उनके लिये बांध बंधवाने की आवश्यकता है। देवरिया जिले में रुद्रपुर का कछार का इलाका है। यदि वहां के लिये एक बांध बांधने की योजना आगे चल कर रख दी जाय, तो उचित ही होगा। बस इतना ही मुझे इस अनुदान के सम्बन्ध में कहना है।

श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कि आज हम लोगों के सामने सिंचाई का बजट माननीय श्री मंजी महोदय ने रखा है बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमारे झांसी जिले में माटा टीला बांध की जो योजना माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने बनायी है वह बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी सराहनीय है। माननीय मंत्री महोदय ने सन् ५३ में झांसी का दौरा किया और माताटीला बांध का निरीक्षण किया। हमारे झांसी जिले की तीन तहसीलें ऐसी हैं कि जहां पर नहर की योजना बहुत कठिन है। वह पहाड़ी इलाक़ा है, वहां पर छोटी और बड़ी पहाड़ियां हैं जहां पर नहर नहीं निकल सकती है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वहां पर छोटे-छोटे तालाब या बांध बनवायें तब सिंचाई का साधन हो सकता है। माननीय मंत्री महोदय ने जब माताटीला बांध का निरीक्षण किया और वहां पर जितने भी मजदूर थे उनके सामने अपना भाषण दिया और उनको समझाया और उन्हें यह उत्साह दिलाया कि यह माता टीला बांध केवल झांसी में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बड़ा भारी निर्माण कार्य करेगा। मन्त्री महोदय के सामने वहां के मजदूरों ने यह मांग की कि हम लोगों को सवा रुपया रोज दिया जाता है, यह बहुत ही कम है, हमारी इतने में गुजर नहीं हो सकती, हम आप से यह प्रार्थना करते हैं कि ठेकेदारों को आप के द्वारा सूचना दी जाय कि हमारी मजदूरी बढ़े। माननीय मंत्री जी ने यह भी देखा कि उनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है कि जहां पर वे ठंड के समय और गर्मी की धूप के समय अच्छी तरह से रह सकें। मैं उनका ध्यान उन मजदूरों की ओर आकर्षित करता हूं कि उनके रहने सहने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे वे अच्छी तरह से वहां पर रह सकें और उत्साहपूर्वक उस कार्य को कर सकें।

इसके बाद में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ३ जून को मैंने पारोन के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा था और वहां से मुझे सूचित किया गया था कि आप का जो प्रार्थना-पत्र पारोन का आया है वह हमने श्री जी० पी० सक्सेना के पास भेज दिया है और वह अगले साल में पारोन का योजना रखेंगे। मैंने जब से बजट को देखा और समझा तो यह मालूम हुआ कि पारोन

के बारे में कोई योजना नहीं रखी गयी है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह क्षेत्र ऐसा है कि वहां पर जब तक छोटे छोटे तालाब और बांध न बनाये जायं तब तक वहां के लोगों के लिये कोई सिंचाई का साधन नहीं हो सकता है। वहां पानी की इतनी कमी है कि गर्मी के मौसम में वहां के जानवरों को भी पानी नहीं मिलता है और न वहां कोई ऐसी छोटी नदी या तालाब है जहां उनमें पानी गर्मी के दिनों में मिल सके। मैं और कुछ न कह कर मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि वे तहसील महरौनी और ललितपुर में छोटे-छोटे तालाब और बांध बनवायें जिससे वहां की जनता खुश हो सके।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मेरा भी दिल चाहता था कि मैं सिंचाई मंत्री की इस कार्य के बारे में कुछ सराहना करूं मगर खेद की बात यह है कि हमारे जिले में आज तक एक इंच भी काम सिंचाई विभाग की तरफ से नहीं हुआ है। मेरा जिला बहराइच, गोंडा जिले का सबडिवीजन बना कर रखा गया है जिसकी वजह से सिंचाई विभाग के कर्मचारी गोंडा जिले में ही रहते हैं और मेरे जिले की जरा भी पर्वाह नहीं करते हैं। यही नहीं कि उन्होंने हमारे जिले के अन्दर सिंचाई के काम में कोई प्रगति नहीं की है बल्कि जो निर्माण कमेटियां भी कभी कभी होती हैं उनमें भी आने की कृपा नहीं करते। श्रीमन्, हमारा वह जिला है जिसमें चार नदियां बहती हैं। उन नदियों के कोप से सैलाब का पानी तो सब से पहले हमारे जिले को तबाह करता है लेकिन सिंचाई के लिये और और जिलों में उन नदियों से नहरें निकाली जाती हैं। लेकिन हमारे जिले के लिये कोई योजना अब तक नहीं रखी गई। पांच साल जो सिंचाई की प्रगति की पुस्तिका बांटी थी उसमें मेरे जिले के लिये सरजू नहर योजना बतलायी गई थी लेकिन आज तक जहां तक मैं जानता हूं कि सिंचाई विभाग द्वारा एक इंच भी मेरे जिले में कोई काम नहीं हुआ है।

हमारे जिले के लिये पंच-वर्षीय योजना में १५० नलकूपों की आयोजना की गयी थी लेकिन आज तक कहीं भी सरकार की तरफ से एक भी नलकूप बनाना शुरू नहीं हुआ। सिर्फ दस नलकूप कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये हमारे जिले में बनाये गये हैं जिनमें काश्तकारों से रुपया लिया गया और उनसे वायदा किया गया था कि तुम्हें सिंचाई के लिये पानी समय पर मिल जायगा। मगर श्रीमन्, यदि ईश्वर की कृपा न होती तो किसानों के ऊपर जो बीतती वह मैं नहीं कह सकता। आज तक नलकूपों से पानी नहीं मिल सका। इस तरह की बातें हैं।

अभी हमारे सिंचाई मंत्री जी अपने भाषण में कह रहे थे कि मैंने सूबे के हर कोने में सिंचाई योजना चालू कर दी है तो मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी हुई कि मेरे जिले के लिये ३० नलकूप और दो रिजरवायर बनाने की योजना रखी गयी है। मगर जहां तक काम पूरा होने का सवाल है पिछले साल के आंकड़ों को देखते हुये जिस पुस्तिका में मेरे जिले का भी नाम था, लेकिन कोई काम नहीं किया गया, इसको सोच कर आशा निराशा में बदल जाती है। अब से पौने दो साल पहले माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे यहां गये थे। वे भी गा जा कर सैलाबी इलाके देख आये हैं। और उन्होंने वायदा किया था कि यह पानी जो लोगों को परेशान करता है उसको इस शक्ल में बदल दूंगा कि यह जनता के फायदे के लिये हो जायगा और यह पानी सिंचाई के काम में आयेगा। इसके अलावा जो यह नाले तंग करते हैं उनको ऐसे निकलवा देंगे कि यह दिक्कत न दे सकेंगे।

हमें नहीं मालूम कि क्या वजह है कि हमारे जिले पर हमारी सरकार की कृपा क्यों नहीं होती। जो ३० नलकूप लगाये जा रहे हैं वह शायद भारत सरकार द्वारा लगाये जा रहे हैं। (कुछ आवाजें—क्या कहा?) जी हां, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाये जा रहे हैं। अब तक हमारे जिले के लिये इस विभाग द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। यह जिला गल्ला पैदा करने में हमेशा आगे रहा है और दूसरे जिलों को भी मदद करता है। लेकिन ऐसे जिले के लिये सिंचाई के कोई साधन पैदा न किये जायं यह बड़े खेद की बात है।

[श्री सियाराम चौधरी]

दुर्भिक्ष योजना के लिये हमारे जिले को भी रुपया दिया गया था। जिससे एक पुल बनाया गया। अन्यथा इसके मेरे जिले के लिये कुछ नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि इस साल जो रुपया हमारे जिले के वास्ते रक्खा गया है वह जरूर खर्च किया जायगा। इससे हमारे यहां के काश्तकारों को जरूर फायदा होगा।

रिहन्द बांध जिसकी चर्चा इस सदन में अक्सर हुआ करती है और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके बन जाने से कई जिलों को लाभ होगा। लेकिन मैं देखता हूं कि जो जिले इसके पानी से सींचे जाने वाले हैं उन्हीं जिलों में सिंचाई के लिये नलकूप और नहरें बनायी जा रही हैं। इस योजना में भी हमारा जिला नहीं है। अपने जिले के बारे में कहने में हर आदमी हिचकिचाता है लेकिन हर जिले का आदमी अपने जिले के लिये कहता है। इसलिये मुझे भी लाजिम है कि मैं भी कुछ कहूं। यह जिला न पूर्वी है, न पश्चिमी है, न उत्तरी है, न और मध्यमी। आप देखेंगे कि जब पूर्वी जिलों के बारे में कोई बात कही जाती है तो उस जिले का नाम नहीं आता और न पश्चिम में ही आता है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बारे मेरे जिले के ऊपर वह अवश्य कृपा करें।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, मुझे खेद है कि इस अनुदान के बारे जो वाद विवाद हुआ वह कुछ थोड़ा असंगत सा हुआ। बहुत से सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो बातें कहीं वह ऐसी थीं जिनका सम्बन्ध अनुदान संख्या ९ और १० से है और यह अनुदान ४२ है, जिसमें पूंजी से होने वाले सिंचाई सम्बन्धी निर्माण के कार्यों के लिये धन मांगा गया है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने सिंचाई के प्रबन्ध और उसकी व्यवस्था, उसके संचालन और नहरों के रख-रखाव और संरक्षण के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं उन्होंने मेरे नोट कर लिया है और मैं इसके सम्बन्ध में पहले कह चुका हूं, अनुदान संख्या १० के समय, कि सरकार का ध्यान भी इस तरफ है और भी जो सदस्यगण इसमें सुझाव देंगे हम उन पर विचार करेंगे।

मैं समझता हूं कि उस विषय में जब मैं स्वयं उत्तर दे चुका हूं तो इस अनुदान के सम्बन्ध में उनका अलग जिक्र न करूं। कुछ ऐसी बातें कही गयीं जिससे अध्यक्ष महोदय, मुझे वास्तव में बड़ा दुख है। मैं बार बार इस बात की चेतावनी देता रहा हूं आग्रह करता रहा हूं, अनुनय विनय करता रहा अपने भाइयों से, पूर्वी पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण जिस तरफ भी रहते हों इस प्रदेश में, कि इस प्रश्न को इस प्रकार न उठाया जाया करे जैसा आज तक उठा दिया जाता है। मेरा थोड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे मुहकमें पर जब विचार होने लगता है तो पूर्व, पश्चिम का सवाल अवश्य आता है और उसका परिणाम यह होता है कि हमारे भाई देवरिया से, श्री रामेश्वर जी जो अभी बोल रहे थे, उन्होंने उसमें यह गंध पायी कि पश्चिम के जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे भाई हैं उनका मेरे ऊपर कुछ अविश्वास है, क्योंकि मैं पूरब में रहता हूं। इस तरह की धारणा उन्होंने अपने भाषण में व्यक्त की। ठीक है। राजनीति में तो शतरंज की चाल का बड़ा महत्व होता है। इस मुहकमें के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाय, क्यों न कुछ मौका मिले तो पूरब और पश्चिम के झगड़े में मुझे ही नेता बनाया जाय, यह कह करके कि तुम्हारे ऊपर पश्चिम के लोग अविश्वास करते हैं। बहरहाल मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिम के भाई या पूरब के भाई, किसी का मेरे ऊपर अविश्वास नहीं है, सबका मेरे ऊपर विश्वास है और मैं यह भी आज आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने हृदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने हृदय से यह अनुभव करता हूं कि यह पूरब और पश्चिम का विवाद और अक्सर इसे इस प्रकार उठा देना हमारे प्रान्त के हित के लिये बड़ा घातक होगा। और आज जो भी किसी प्रकार के जोश में या किसी प्रकार के यों कहें, आमोद रूप में ही, इसका इस प्रकार जिक्र करता है वह अपने प्रदेश का अहित करता है और इस तरह उसका उल्लेख कभी होना नहीं चाहिये। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मुझे यह अनुभव होता है कि इस विवाद को कुछ जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी वास्तव में हमारे पूरब के भाइयों

की हो है। बार-बार यह कहना कि पूर्वी जिलों में कुछ नहीं होता, पश्चिम के जिलों में सब हो जाता है, इधर ही ध्यान दिया जाय, यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और आज मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, विशेष करके अपने उन भाइयों से जो पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश की पूर्वी दिशा में रहते हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रकार के विचार और ऐसे उद्गार वह कभी न प्रकट किया करें। पश्चिम के जिलों में अगर नहरें बनीं अथवा ट्यूबवेल पहले बने तो इसमें हमारे पश्चिम के इलाके का और पश्चिम में रहने वाले भाइयों का कोई अपराध नहीं। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई इस प्रकार का उनके ऊपर अभियोग नहीं लगाया जा सकता कि उनके यहां ट्यूबवेल बन गये और उनके यहां नहरें बन गयीं। जिन लोगों ने वहां इन नहरों को बनाया वह इस देश में आये थे हुकूमत करने और राज्य भी वह करते थे व्यवसाय की दृष्टि से। अंग्रेजी सरकार की यह नीति थी कि जहां कहीं से पैसा मिले, वसूल किया जाय और सिंचाई का मुहकमा जो उन्होंने कायम किया वह इसलिये नहीं कि किसानों की मदद की जाय, प्रत्युत् इस विचार से कि इसके द्वारा आमदनी कमायी जाय और वह उन्होंने इसलिये किया कि उन्होंने देखा कि पश्चिम के इलाके ऐसे हैं कि जिनमें नहरों के निकालने से उनकी आमदनी हो सकती है। गंगा और जमुना का इधर स्रोत था, भूमि इधर की ऐसी थी जो अधिक अन्न पैदा कर सकती थी, पानी यहां कम बरसता था। यह उन्होंने देखा कि १७ इंच, १८ इंच पानी बरसता था अगर पानी का प्रबन्ध हो जाय तो उनकी कुछ आय हो जाय और इस दृष्टि से आज से १०० वर्ष पूर्व जमुना की नहर, गंगा की नहर और आज से २०–२५ वर्ष पूर्व कुछ थोड़े से ट्यूबवेल्स भी बनवा दिये और बनवाने के बाद उससे राजस्व वसूल किया और वह राजस्व इसलिये नहीं वसूल किया कि कोई डेवलपमेंट फंड कायम करें और उससे दूसरे क्षेत्रों में जहां पानी न हो वहां पानी पहुंचाया जाय, बल्कि इसलिये कि आमदनी हो। अब इसमें हमारे बेचारे पश्चिमी अंचल में निवास करने वाले भाइयों का क्या दोष है? आज यह कहना कि सब कुछ तो उधर हो जाता है या इधर कुछ नहीं होता, एक प्रकार की कटुता उत्पन्न करता है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं उस स्थान के निवासियों से, जहां कि कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है, कि वह इस प्रकार पूरब और पश्चिम की दृष्टि से विचार न किया करें। वास्तव में आज अपने प्रदेश में अपना सरकार कायम है जो जनता की सरकार है और मेरा यह दावा है कि वेलफेयर स्टेट है या होने जा रही है। मैं इसमें अपने भाई राजनारायण जी की तरफ से फेयरवेल नहीं देखता। मैं तो यह देखता हूं कि वेलफेयर स्टेट बनाने की अपनी रेस में इस प्राविन्स ने यों कहें कि फेयर्ड वेल, उसने अच्छी तरह से प्रयास किया और एक बड़ी सीमा तक वह सफल हुयी। हमारी ३१ करोड़ की योजनायें हैं। इन योजनाओं में हम १० करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। १० करोड़ रुपये की हमने आगामी वर्ष के लिये मांग की है। २० करोड़ रुपये सन् १९५४–५५ के बजट में हम समाप्त कर देंगे। १० या ११ करोड़ रुपया रह जायगा जिनके लिये आगामी दो वर्ष मौजूद हैं और मुझे राई बराबर भी सन्देह नहीं है कि हमारी यह सारी योजनायें पूर्ण होने जा रही हैं और इस प्रदेश के सहयोग से यहां के लोगों के उत्साह और उनकी कृपा के फलस्वरूप अपने ही पैसे से अपने ही साधनों के द्वारा हम अपनी योजनाओं को पूरा करने जा रहे हैं। पश्चिम के अंचल में निवास करने वाले भाइयों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा अभी मेरे भाई वीरेन्द्र जी ने जो कुछ कहा उससे मुझे थोड़ा दुख हुआ। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी इस प्रकार न सोचें। पूरब वाले जोकि अत्यन्त गरीब हैं या दक्खिन वाले हमारे बुन्देलखंड के इलाके के या पहाड़ी इलाके जहां की बड़ी गरीबी फैली हुयी है, वहां के लोगों के लिये अगर कुछ सेवा करने का अवसर उन्हें मिलता है तो एक बड़े भारी श्रेय के कार्य में वह सहायक होते हैं। उनके ऊपर कोई दोष नहीं है अथवा लांछन नहीं है। केवल यह अवश्य है कि आज हमारे प्रदेश में ६०,७० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबंध है। ३ करोड़ ७० लाख एकड़ जमीन

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जिस प्रदेश में हल के नीचे हो, यदि उसमें ६०-७० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध हो तो तीन करोड़ एकड़ भूमि असिंचित जायगी और जो भूमि असिंचित जायगी वहां के लोगों की क्या आर्थिक स्थिति होगी, वहां के लोगों की जीविका जो केवल कृषि पर निर्भर करती हो उसकी क्या गति होगी, इसको समझना उन लोगों के लिए कठिन नहीं जिनके पास कुछ थोड़े बहुत साधन सिंचाई के हैं।

कहा गया है कि आज नहरों में पानी कम मिलता है। उन प्रदेशों की स्थिति जहां पर एक इंच भी नहर नहीं है, जहां पर एक भी ट्यूबवेल नहीं है, सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, बाढ़ में, सूखे में जहां के लोग तबाह हुआ करते हैं अगर वहां पर कुछ थोड़ा बहुत प्रबन्ध करने का प्रयास हो और उनके सहयोग और सहायता से प्रयास हो तो इसमें उन्हें प्रसन्न होना चाहिये और "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्" भूखा कभी कभी क्रोध में भी आ जाता है, अतः उनकी बातों से बहुत क्षुब्ध होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि पूर्वी इलाकों में गरीबी बहुत है। बुन्देलखण्ड के तो श्रीमान् आप हैं ही, वहां की गरीबी के सम्बन्ध में क्या कहूं। पहाड़ी इलाका मैंने देखा है, वहां में घूमा भी हूं और मैं समझता हूं कि वहां जो गरीबी है वह शायद दुनिया के किसी अंचल में ही ऐसी गरीबी दिखायी पड़े।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---गढ़वाल नहीं घूमे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जितना घूमा, उसी से गरीबी का अन्दाजा लग गया है। यदि आप गढ़वाल अपनी गरीबी दिखाने के लिए बुलायें तो वहां भी चला जाऊंगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इन सारे अंचलों में हम गरीबी को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

सिंचाई की दर के सम्बन्ध में बार बार कहा गया। प्रदेश के जिस भाग में नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं वहां पर सिंचाई के साधन हैं वहां के हमारे भाइयों ने, मैं मानता हूं कि कोई अपराध नहीं किया है जो वहां नहरें निकाली गयी हैं, परन्तु वह यह क्यों समझते हैं कि सिंचाई की दर में जो वृद्धि की जा रही है वह उनको दंड देने के लिए अथवा शोषण करने के लिये की जा रही है। सिंचाई की दर के सम्बन्ध में अनेक बार बातें कही जा चुकी हैं। आज इस दर से जो कुछ प्राप्त हो रहा है वह प्रदेश के विकास के काम में लगाया जा रहा है और इसमें भी कुछ संदेह नहीं है और इसे हमारे भाई स्वीकार करेंगे कि बावजूद इसके कि बड़ा भारी बोझा उनके ऊपर पड़ रहा है, बावजूद इस बात के कि किसान को जब यह दर देनी पड़ेगी तो वह चीज उनको अखरेगी, बावजूद इसके इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि हमारे रेट में जो वृद्धि हुई है वह उस अनुपात में जो अनुपात गल्ले की कीमत का आज दिखायी देता है बहुत कम है। मैं यह मानता हूं कि किसान को जितना भी सरप्लस बच जाय उतना उसके लिये फायदेमन्द है, परन्तु हमारे लिये कोई रास्ता नहीं है। एक ओर हमारी दरिद्रता है और दूसरी ओर विकास है। आज हम इन दोनों के दुश्चक्र में पड़े हुए हैं, उसे हम कैसे तोड़ें? यदि प्रदेश की गरीबी दूर करनी है तो विकास करना पड़ेगा और विकास करने के लिये पैसा चाहिये। यह भी सत्य है कि हमारा प्रदेश गरीब है। हमारे प्रदेश के किसी भी जिले में किसान के पास कोई इतना बड़ा सरप्लस नहीं बचता है, यह कोई नहीं कह सकता। परन्तु इस गरीबी के रहते हुए यदि हमें विकास करना है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता है और इसके लिए हमें इस दुश्चक्र को तोड़ना होगा। इसके लिये हम कर्ज भी ले रहे हैं, रेट बढ़ा कर भी हम आप से कुछ न कुछ सहायता मांगते हैं। दूसरे टैक्स भी लगाये गये हैं। किसी न किसी प्रकार से सबसिडी भी मांगी जाती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया से अभी सबसिडी मिली है और उसे भी धन्यवादपूर्वक स्वीकार किया है और इस चेष्टा में लगे हुए हैं कि अपने यहां का विकास इस तरह से करें कि २०० वर्षों तक जो कष्ट उठाते रहे हैं, दो चार वर्ष और कष्ट उठा लिया जाय तो उन कष्टों का निराकरण हो जाय और आगे आने वाली संतति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। इस दृष्टि से यह मांग सिंचाई विभाग की ओर से की गयी है। इस विभाग की ओर से सेवा होती है। जनता को पानी दिया जाता है। जिन

लोगों को अब तक ट्यूबवेल और नहरें मिल गयी हैं इस विभाग की, उनसे मांग है कि प्रदेश के दूसरे भूभाग के कल्याण के लिये वे जो कुछ दे सकें दें ताकि यह विभाग विकास का कार्यक्रम पूरा कर सके ।

जहां तक श्रीमन्, हमारी इस योजना का सम्बन्ध है मैंने पहले भी कहा और फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्यगण हमारे बजट के साहित्य को देखें तो यह देखेंगे कि यह सही है कि प्रदेश के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र को सपोर्ट करने की चेष्टा की गयी है । हमारे एक भाई ने अभी बहराइच का जिक्र किया । उनको यह दिखायी पड़ा कि वहां जो ३० ट्यूबवेल्स रक्खे गये हैं यह कहीं ऊपर से आ रहे हैं । ऊपर से आना उनकी समझ में कहां से आया यह मेरी समझ में नहीं आया । ट्यूबवेल्स का पानी तो नीचे से आता है और ट्यूबवेल बनता है धरती पर और उनको दिखाई पड़ा कि कि ट्यूबवेल ऊपर से लटक रहा है । मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो पंचवर्षीय योजना चल रही है उस योजना के अनुसार दो हजार ट्यूबवेल पांच वर्षों के बीच में पूरे करने हैं । यह हमारी योजना का एक लक्ष्य है कि हम दो हजार ट्यूबवेल्स पंचवर्षीय योजना में पूरा करेंगे और उन दो हजार ट्यूबवेल में से १५००, १६०० के भी ऊपर काम हो रहा है । संख्या में शायद थोड़ी बहुत भूल करूं लेकिन मोटे हिसाब से करीब ३४० ट्यूबवेल पर मैनपुरी, एटा और फर्रुखाबाद के जिलों में, ३२० ट्यूबवेल पर फैजाबाद, सुल्तानपुर के जिलों में, २९५ ट्यूबवेल्स पर गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के जिलों में, २०० ट्यूबवेल पर आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया के जिलों में और २३० ट्यूबवेल पर गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बनारस और जौनपुर के हिस्सों में काम हो रहा है । इस हिसाब से १५००, १६०० ट्यूबवेल हमारे यहां बन रहे हैं । इन्हीं २,००० में से २८० ट्यूबवेल बनाने की योजना ५३–५४ में रखी गयी थी और ५४–५५ में अधिक से अधिक बनाये जायेंगे । उनमें तराई के इलाके के लिये ५० और ३० ट्यूबवेल बहराइच के लिये बनेंगे । और मुझे आशा है कि पंचवर्षीय योजना में बहराइच के लिये जितने कुओं को निर्धारित किया गया है उनको पूरा किया जायगा । गोंडा में तीस ट्यूबवेल्स बन चुके हैं और बहराइच में ३० बनने जा रहे हैं । मेरा ऐसा अनुमान है कि जिन जिलों की जो संख्या निर्धारित है वह करीब-करीब पंचवर्षीय योजना के अनुसार पूरी होगी ।

श्रीमान् साथ ही साथ सात आठ रिजरवायर्स भी बन रहे हैं । जहां तक बुन्देलखंड का ताल्लुक है मुझे खेद है कि हमारे जोरावर वर्मा जी ने यह कहा कि पूर्व और पश्चिम की लड़ाई में हम पिस रहे हैं और मैं देखता हूं कि बुन्देलखंड पूर्व और पश्चिम के बीच में मोटा होता जा रहा है । मैं साक्षी में आपको ही वहां पेश करता हूं । वह क्षेत्र ऐसा है जो बड़ा गरीब है । भूमि वहां की पथरीली है, उर्वरा होते हुए भी पानी न होने के कारण उपज वहां नहीं हो पाती । पिछले दस बीस साल में कई बार अकाल पड़ चुका, यह मैं मानता हूं, लेकिन आज बुन्देलखंड के लिये काफी प्रयास हो रहा है । मैं तो आपको ही साक्षी पेश करता हूं । आज झांसी, जालौन, बांदा और हमीरपुर इनमें से कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बांध, नहरों के जरिये लाख डेढ़ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध न किया गया हो । और भी छोटी बंधियां बन रही हैं । मातातोला बांध जिसको कृपाकर हमारे नेशनल प्लानिंग कमीशन ने भी मंजूर किया है और जिसके लिये उन्होंने कर्ज देने का वायदा भी किया है और जो करीब ४ करोड़ रुपये की योजना है उस पर तीव्रगति से कार्य चल रहा है उससे करीब ३,४ करोड़ ऐकड़ की सिंचाई होगी । आप इस बात को समझें कि इतने बड़े भूभाग की दिक्कतें दूर होंगी । फिर वह किस प्रकार से पिसते जा रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आता । हमारे राजा वीरेन्द्रशाह यहां पर इस समय नहीं हैं, जब सरकार सिंचाई का रेट लेती है तो उनको शिकायत होती है । सरकार जो रेट वसूल करती है वह तो सर्विस रेन्डर करके ही रेट वसूल करती है, जो कि सिंचाई विभाग कर रहा है उसके एवज में वह रेट वसूल करती है । लेकिन बदकिस्मती से मैं भी उसी तबके का सदस्य

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हूं जो कि बिना सर्विस किये हुये किसी तरह से भी सैकड़ों वर्षों तक किसानों से लगान वसूल करते रहे। आज उनको शिकायत होती है कि सरकार यह रेट क्यों लेती है? कहा जाता है कि गंगा और जमुना के बीच के जो रेट हैं वह बुन्देलखंड से वसूल किये जाते हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में तो शिड्यूल २ के अनुसार रेट वसूल किये जाते हैं। जहां तक मुझे स्मरण है पश्चिम के जिलों से लगभग ३२ रुपये रेट लिया जाता है और बुन्देलखंड से शिड्यूल २ के अनुसार १२ या १४ रुपया रेट लिया जाता है जो कि आधे के करीब होता है। तो फिर समझ में नहीं आया कि उनकी शिकायत यह किस प्रकार से होती है कि उनसे अधिक रेट लिया जाता है? उनको समझना चाहिये कि बुन्देलखंड की सेवा जितनी हो सकती है की जा रही है।

हमारे एक भाई ने कहा कि इलाहाबाद में क्यों शुरू नहीं किया गया है। वहां पर टोंस नदी का बांध बनाया जा रहा है उससे मेजा और करछना तहसील के एरिया की सिंचाई होगी तो क्या यह तहसील इलाहाबाद में नहीं है?

अब मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मुझे खेद है कि ज्यादा टाइम उन लोगों ने दूसरी चीजों के लिये ले लिया किन्तु जितना सम्भव हो सका है मैंने मोटी मोटी बातों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। इस वजह से मैं आपके द्वारा इस सदन में इस अनुदान को प्रस्तुत करता हूं ताकि कृपा कर यह सदन इसको स्वीकार करे और श्री रामसुन्दर पांडेय जो जिन्होंने इस कटमोशन को पेश किया है वह इसको वापस लेने का कष्ट करें, क्योंकि उनके जिले में बहुत काम हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जी तो चाहता है कि माननीय सिंचाई मंत्री की मदद करूं कि इस अनुदान पर जो संशोधन रखा है सबको वापस लूं लेकिन सिंचाई का जो रेट बढ़ा हुआ है और माननीय सिंचाई मंत्री इसको मानें या न मानें लेकिन माननीय सदस्यगण ने सदन में सिंचाई के रेट के संबंध में जितनी शिकायतें की हैं उसे माननीय सिंचाई मंत्री को स्वीकार करना चाहिये और सिंचाई का जो रेट बढ़ाया जा रहा है उसे कम करके माननीय सिंचाई मंत्री सदन की आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे।

मैं २,३ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। एक तो यह है कि पूरब पश्चिम का सवाल यहां पर उठाया गया। मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय उप सिंचाई मंत्री जो यहां पर बैठे हुये हैं उनके द्वारा ही यह कहा गया था कि पश्चिमी जिलों से जहां पर सिंचाई के साधन हैं अगर वहां से टैक्स वसूल करके पूर्वी जिलों में जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं? लगाया जाय, तो क्या गुनाह है? यही बात माननीय उप-मंत्री जी के मुंह से निकली और उसी का असर हुआ कि सारे सदन के लोग, चाहे पूरब के हों या पश्चिम के हों, उसमें बह गये। वह मैं समझता हूं कि सरकार के आदमियों का ही दोष है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि बरसात के पानी को ताल तलैया में रोक कर हमारे यहां अच्छे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इन ट्यूबवेलों से तो हम विदेशियों के ही हाथों में धन दे रहे हैं। इससे बहुत ही नुकसान होगा। आजमगढ़ जिले की तहसीलें, फूलपुर, देवगांव, मुहम्मदाबाद, और सदर ये सब जगह उजड़ी पड़ी हैं। ये ट्यूबवेल वहां कारगर नहीं हो सकेंगे। वहां नहर और कुएं ही सफल हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, सगड़ी पूर्वी में इलेक्शन के समय जहां पर कांग्रेस कमेटी के सदर पंडित अलगूराय शास्त्री के भाई श्री विश्राम राय जी के मुकाबिले खड़े हुये थे कहा गया था कि सहारनपुर से ७ मील लम्बा बांध बनाया जायगा। अध्यक्ष महोदय, बड़ा तकलीफ होती है जब सत्ताधारी दल की ओर से चुनावों में केवल वोट प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की घोषणायें होती हैं। इलेक्शन के जमाने में टेस्ट वर्क्स से कुछ काम हुआ भी लेकिन ७ मील लम्बा बांध टेस्ट वर्क्स से नहीं बनाया जा सकता। माननीय सिंचाई मंत्री की कसौटी है यदि बांध नहीं बनेगा

तो हमारी ही धारणा सत्य होगी। कुछ चर्चा महानारा के बारे में हुयी। इस सदन में हाहा नाला के सम्बन्ध में कई बार चर्चा कर चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि यह भी लगभग ४ मील लम्बा बांध शीघ्र बन जायेगा।

सदन की बैठक का समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की सदन की बैठक का समय १० मिनट अगली कार्यवाही के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४२---लेखा शीर्षक ६८---सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२---राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) (लेखा शीर्षक ६८-सिंचाई, नौ चालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण) के अन्तर्गत ९, ६४, १५, ६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश पंचायतराज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४ को, जो विधान सभा की १६ फरवरी, १९५४, की बैठक में पुरः स्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

मुझे इस विषय में अधिक नहीं कहना है। केवल इतना कहना है कि इस सदन के सामने चूंकि इस समय बजट पेश है, तो विचार यह है कि इस विधेयक को पहले अपर हाउस में पेश कर दिया जाय और वहां से यहां आ जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---अध्यक्ष महोदय, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इसलिये कि जिस समय यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ उस समय हम लोगों ने अपने दिमाग से यह बात अच्छी तरह समझ ली कि इसमें क्या बातें और कमियां हैं। परिपाटी ऐसी है कि जो ऐक्ट इस सदन से पास हो जाता है वह दूसरे सदन में जाता है। माननीय मंत्री महोदय का यह अंदेशा है कि अगर यहां से पास हो कर वह वहां गया तो गड़बड़ हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि वह बिल पहले इस हाउस में उपस्थित हो, उस पर विचार-विनिमय हो और फिर यह संशोधन रूप में अपर हाउस में जाय क्योंकि पंचायतों के सम्बन्ध में जितनी जानकारी इस सदन के सदस्यों को रहती है उतनी अपर हाउस के लोगों को नहीं रहती, क्योंकि

* १६ फरवरी, १९५४ ई० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री राजनारायण]

वे विशेष विषयों के ऐक्सपर्ट्स होते हैं जिन नियमों की उन्हें विशेष जानकारी होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह हमारे साथ बड़ा अन्याय होगा अगर माननीय मंत्री जी का यह संकल्प मान लिया जायगा। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे इसको वापिस न लें और इस बजट के समाप्त हो जाने के बाद उस को रख दें। यह बजट मार्च में २५-२६ तारीख तक समाप्त हो जायगा। इस एक महीने में कुछ अन्तर नहीं पड़ता है। मैं फिर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संकल्प को वापस न लें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--- अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री राजनारायण जी के भाषण को सुन कर बहुत दुख हुआ। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह केवल काम चलाने के लिये रक्खा गया है क्योंकि फिलहाल असेम्बली अपने काम में लगी हुई है इसलिये उनका जो सुझाव है वह मैं समझता हूं कोई आपत्तिजनक नहीं है। जहां तक राजनारायण जी के संशोधनों का सवाल है वे उन संशोधनों को अपर हाउस से यहां वापस आने पर पेश कर सकते हैं और उन पर पूरी तरह से विचार हो सकता है। अतः मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि श्री राजनारायण जी का संशोधन स्वीकार न किया जाय।

श्री अध्यक्ष---उनका कोई संशोधन नहीं है, विरोध है।

श्री मोहन लाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, उत्तेजना और उस शक के बारे में जो विरोधी दल के नेता ने प्रकट किया है, मेरे लिये कोई उत्तर देना मुश्किल है और यह कहना भी कि अपर हाउस के मेम्बर ज्यादा जानते हैं या यहां पर मेरे लिये मुनासिब नहीं है। इस विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बिल २४ मार्च के पहले हो जाना चाहिये। चूंकि यहां पर बजट पेश है, हाउस का समय नहीं है। इसलिये मैंने यह सोचा कि पहले उस हाउस में रख दिया जाय। मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि अगर बजट समय के बाद यह हाउस बैठने के लिये तैयार हो और कल या परसों जब तक यह बिल पास न हो जाय तब तक ५ बजे के बाद हम बैठ जाया करें। अगर हाउस इस बात को मंजूर कर ले तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं समझता हूं कि बजट के दिनों तक इंतजार करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इसको २४ मार्च तक पास हो जाना चाहिये। इसलिये मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अगर सदन मेरी इस तजवीज को मान लेता है कि यह सदन कल ५ बजे के बाद उस वक्त तक जब तक यह बिल पास न हो जाय लगातार बैठा रहेगा, चाहे रात के ग्यारह बारह या एक बज जायं।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से और सम्मानित सदस्यों से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी को ऐसी आपत्ति थी तो यह बिल उनको इससे पहले ही लाना चाहिये था क्योंकि २४ मार्च तक इसे पास हो जाना है। इस बात को तो वह पहले से ही जानते थे फिर वे इस बजट की कार्यवाही के पहले इस बिल को क्यों नहीं लाये? अब अगर अपर हाउस से भी यह पास हो जाता है फिर भी केवल इस प्रस्ताव से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। फिर भी इस बिल को ५ बजे के बाद उन्हें रखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष---वे चाहते हैं कि रोजाना सामान्य वाद-विवाद हो जाने के बाद यह हाउस ५ बजे के बाद बैठे। आपका इस विषय में क्या कहना है।

श्री राजनारायण---श्रीमन, बजट बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर वाद-विवाद करने के लिये हम मेहनत करके आते हैं और सुझाव देते हैं। सरकार को भी उत्तर देने के लिये देखना पड़ता है। अभी आज की ही बात है कि सिंचाई मंत्री जी ने कल्याणकारी राज्य की बात कह दी। तो यह एक बड़ा ही व्यापक विषय है इसलिये श्रीमन् इस पर विस्तृत पूर्ण तरीके से विचार करना चाहिये, मनन करना चाहिये। यह तो एक बड़ी जबरदस्ती की बात मालूम होती है कि इस सदन के सम्मानित-सदस्य ५ बजे तक तो बजट ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अपना

मस्तिश्क खपा चुके हों और उसके बाद इस परिस्थिति में रह कर, गांव पंचायत बिल के बारे में विचार-विनिमय कर सकें। यह तो हमारे साथ बहुत जबरदस्ती है, अन्याय है और उस सदन के अधिकारों के साथ कुठाराघात है।

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने एक सुझाव दिया है।

श्री राजनारायण--मैं चाहता हूं कि अभी तो इसको माननीय मंत्री जी वापस ले लें और जब माननीय मुख्य मंत्री जी आ जायं और उनसे सारी बातें हो जायं, या उनके चीफ ह्विप आ जायं, उनसे सारी बातें हो जायं कि किस तरह से इसका ऐडजस्टमेंट किया जा सकता है। नहीं तो इस तरह से तो रोज रोज कोई न कोई मंत्री ५ बजे के बाद बिल लाता ही रहेगा।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी केवल आप से इतनी ही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से जिस रूप में माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का एक अल्टिमेटम दिया है कि यह करें या वह करें, मेरे खयाल में यह अनुचित है। इसके ऊपर आप स्वयं अपना विचार प्रकट करें, वैसे तो सदन का समय ५ बजे तक का है और उसके बाद यही समझा जाता है कि सदन का समय समाप्त हो जाने के बाद सदस्य कुछ न कुछ और कार्यवाही करेंगे। तो इस प्रकार का अल्टिमेटम देना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--यह तो उनकी राय थी, यह कोई अल्टिमेटम नहीं था। जैसी आप की भी राय थी कि माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को पास वापस लेने की अनुज्ञा दे दी जाय। लेकिन उन्होंने विरोधी दल के माननीय नेता को एक और भी सुझाव दिया कि यदि आज सम्भव न हो तो दूसरे रोज से ५ बजे के बाद इसको पास करने के लिये सदन बैठा करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४ को, जो विधान सभा की १६ फरवरी, १९५४ की बैठक में पुरःस्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शनिवार, ६ तथा १३ मार्च, १९५४ को सदन की बैठक करने का संकल्प

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं:--

> "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को बैठक नहीं हुआ करती तथापि १९५४-५५ के आय-व्ययक में एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल) को ३१ मार्च, १९५४ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर ६ और १३ मार्च, १९५४ ई० को भी, जो शनिवार हैं, अनुदानों पर मतदान के लिये होगी।"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को बैठक नहीं हुआ करती तथापि १९५४-५५ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल) को ३१ मार्च, १९५४ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर ६ और १३ मार्च, १९५४ को भी, जो शनिवार हैं, अनुदानों पर मतदान के लिये होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शुक्रवार, २६ फरवरी तथा १२ मार्च, १९५४ के असरकारी कार्य के दिनों में सरकारी कार्य करने का संकल्प

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं:---

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार २६ फरवरी, १९५४ और १२ मार्च, १९५४ को उक्त महीनों के क्रमशः चौथे और दूसरे शुक्रवार होने के कारण उक्त दिनों पर सरकारी कार्य की अपेक्षा गैरसरकारी कार्य की अग्रामिता (प्रिसीडेंस) होगी। किन्तु १९५४-५५ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक को ३१ मार्च, १९५४ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त दिनांक अनुदानों पर मतदान करने के लिये ही निश्चित रहें।"

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ दि प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार २६ फरवरी.....

श्री मलखान सिंह---अब १० मिनट समय खतम हो गया, इसलिये यह पास नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---तो यह सब तो यहां राजीनामे से होता है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखे देता हूं।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि सदन का समय ५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(एक क्षण के अनन्तर।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि---

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीसर आफ़ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार २६ फ़रवरी, १९५४ और १२ मार्च, १९५४ को उक्त महीनों के क्रमशः चौथे और दूसरे शुक्रवार होने के कारण उक्त दिनों पर सरकारी कार्य की अपेक्षा गैर सरकारी कार्य की अग्रगामिता (प्रेसीडेंस) होगी। किन्तु १९५४-५५ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक, ३१ मार्च, १९५४ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त दिनांक अनुदानों पर मतदान करने के लिये ही निश्चित रहें।,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—मैं इतनी बात यहां पर अवश्य कह देना चाहता हूं कि जो असरकारी दिन काटे गये हैं, मैं यह चाहूंगा कि, इस विषय में दूसरे दिन दिये जायं जैसे पहले यहां एक दिन दिया गया था और दूसरा दिन उसके बदले में दिया गया था। माननीय नेता सदन यहां मौजूद नहीं हैं तो इस पर विचार करके मन्त्री महोदय मुझसे कोई दो रोज निश्चित कर लें, क्योंकि असरकारी दिन कट जाने में आपत्ति हो सकती है और यह विरोधी दल की आपत्ति वाजिब भी है। जो दिन इस तरह से कट गये हैं उनके बदले में उनको कोई न कोई दिन मिलना चाहिये। इसलिये उसके बारे में आप मुझसे मिल कर कोई दिन तय कर दें और मैं विरोधी दल से भी यही आशा करूंगा कि वे इसके लिये मुझसे मिल लें ताकि जितने रोज कटे हैं उतने रोज मिल जावें।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२५ फरवरी, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६२ पर)

श्री गेंदा सिंह जी द्वारा पूछे गये तीसरे गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न सं० २१ के उत्तर में उल्लिखित सूची।

पद	पूर्वी अल्मोड़ा संख्या	पश्चिमी अल्मोड़ा संख्या
रेन्जर	३	३
डिप्टी रेन्जर	४	३
फारेस्टर्स	१२	११
फारेस्ट गार्ड्स	५३	५९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(क) (देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

(अ)

जौनपुर जिले में जिन-जिन लोगों को साबुन के उद्योग-धंधों के लिये जो रुपया, ऋण तथा अनुदान के रूप में दिया गया है उनकी सूची निम्न प्रकार है:—

क्र० सं	वर्ष	नाम व पता	ऋण रू०	अनुदान रु०	उद्योग
१	१९५०–५१	श्री केसरी प्रसाद पान्डे, वैलेन्डगंज, जौनपुर	३,०००	५००	साबुन और तेल
२	१९५२–५३	श्री रामशंकर लाल, वैलेन्डगंज, जौनपुर	२,०००	,, ,,	,,
३	१९५३–५४	,, ,,	,,	५००	साबुन

नोट:—क्रम संख्या ३ पर के व्यक्ति को अभी तक रुपया नहीं दिया गया है, क्यों कि उन्होंने एग्रीमेन्ट नहीं भरा है।

(ब)

(ख) कुटीर उद्योगों की सूची

१—डाइंग ऐण्ड प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग
२—कारपेट मेकिंग
३—दरी, टेप और निवाड़ मेकिंग
४—टेलरिंग और एम्ब्रायडरी
५—फर्नीचर, खिलौने
६—आइरन फौन्ड्री
७—इन्जीनियरिंग वर्क्स
८—कटलरी और छुरी बनाना
९—टीन के डिब्बे बनाना
१०—आइरन और टिन स्मिथी
११—साबुन बनाना
१२—रोशनाई बनाना
१३—बूट पालिश
१४—चमड़े की चीजें बनाना
१५—केमिकल्स
१६—कार्ड बोर्ड के डिब्बे बनाना
१७—फाउन्टेनपेन बनाना
१८—इलेक्ट्रोप्लेटिंग
१९—मार्बल का काम
२०—रस्से बनाना
२१—टाट-पट्टी बनाना
२२—पाटरी

२३—ब्रुश बनाना
२४—कैन की चीजें बनाना
२५—क्ले के खिलौने
२६—ग्लास बीड्स
२७—प्लास्टिक की चीजें बनाना
२८—पेन्ट्स और वार्निश
२९—हाथ से बना कागज
३०—खेल की वस्तुयें
३१—क्ले माडेल्स
३२—जिल्दसाजी
३३—इलेक्ट्रिक की चीजें
३४—टाइप फौन्ड्री
३५—सर्जिकल इन्स्ट्रूमेन्ट बनाना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४६ एल० ए०—१९५४—८५०